खण्ड-274, अंक-10
बुधवार, 4 श्रावण, शक संवत् 1889
(26 जुलाई, 1967 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 274 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, २६ जुलाई, १९६७

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री जगदीशशरण अग्रवाल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—४१४

अंगनेलाल, श्री
अख्तर अली खां, श्री
अजीत प्रत प, श्री
अठई राम, श्री
अतीकुर्रहमान, श्री
अनन्त राम, श्री
अब्दुल खालिक, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अयोध्या प्रसाद, श्री (झांसी)
अयोध्या प्रसाद, श्री (मिर्जापुर)
अयोध्या प्रसाद आर्य, श्री
अर्जुन, श्री
अवधेश प्रताप मल, श्री
अशफाक अली खां, श्री
अशर्फी लाल, श्री
अश्वनी कुमार, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', श्री
अहमदउल्ला खां, श्री
आत्मा, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रमोहिनी, श्रीमती
इन्द्रलाल, श्री
ईश्वर शरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उदय प्रताप, श्री
उदयवीर सिंह, श्री
उदित नारायण, श्री
उमादत्त, श्री

ऊदल, श्री
एस० जो० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकार सरन, श्री
ओम प्रकाश, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्धई लाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री (इटावा)
कन्हैयालाल, श्री (झांसी)
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला प्रसाद, श्री (जौनपुर)
कमला प्रसाद, श्री (बहराइच)
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पना सिंह, श्री
कल्याण चन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याण सिंह, श्री
कामता सिंह, श्री
कालीचरण, श्री
काशीनाथ, श्री
किशनलाल, श्री
किशनलाल दिलेर, श्री
किशनसिंह, श्री
किशुनलाल, श्री
कृष्ण बहादुर मिश्र, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदार राज जंगबहादुर राणा, श्री

केशरीलाल, श्री
केशव देव, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमा, श्री
गंगाधर, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (एटा)
गंगाप्रसाद, श्री (मथुरा)
गंगाभक्त सिंह, श्री
गंगाराम, श्री
गंगारूप भटनागर, श्री
गजाधर, श्री
गया प्रसाद, श्री (उपनाम मास्टर साहब)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाशंकर, श्री
गिरधारीलाल, चौधरी
गिरिराज सिंह, श्री
गिरीशचन्द्र तिवारी, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोविन्द नारायण तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
गौरीशंकर सराफ, श्री
गौरीसिंह राठौर, श्री
घनश्याम गिरि, महन्त
घनश्यामदास, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्र किशोर, श्री
चन्द्र कुमार, श्री
चन्द्र देव, श्री
चन्द्रबली, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रशेखर, श्री
चन्द्रशेखर सिंह, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चरण सिंह, श्री
चेतराम पचपेड़ा, श्री
चेतराम वर्मा, श्री
जंगबहादुर, श्री
जगत सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश नारायण त्रिपाठी, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगपत सिंह, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादार सिंह, श्री
जमीलुर्रहमान, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जवाहरलाल जाटव, श्री
जवाहिरलाल, श्री
जसोदा नन्द, श्री
जानकी प्रसाद, श्री
जितेन्द्र नाथ मिश्र, श्री
जियाउर्रहमान, श्री
जी० एस० चौधरी, श्री
जुगल किशोर, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
जैदत्त सिंह, श्री
जैनूराम, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टम्बरेश्वर प्रसाद, श्री
टीकम सिंह, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दल बहादुर सिंह, श्री
दलसिंह, श्री
दशरथ, श्री
दीपंकर, आचार्य
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
दृयराज सिंह, श्री
देव राम, श्री
देवीचरण अग्निहोत्री, श्री
देवी दयाल सेन, श्री
देवी सहाय बाजपेयी, श्री
देवी सेवक, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
देशराज सिंह, श्री
धनराज यादव, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मराज सिंह, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री

ध्रुव कुमार, श्री
नन्हेलाल, श्री
नरदेव सिंह, श्री
नरवदेश्वर, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नवल किशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणदास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज़ हसन, श्री
निहाला सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पब्बर राम, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पीतम सिंह, श्री
प्यारेलाल, श्री (अलीगढ़)
प्यारेलाल, श्री (मेरठ)
प्रताप नारायण तिवारी, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फारूक चिश्ती, श्री
फूलसिंह, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बजरंग बली, ब्रह्मचारी
बदनसिंह, श्री
बदलराम, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद अवस्थी, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेवसिंह, सरदार
बलवीर सिंह, श्री (मेरठ)
बलवीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बसन्तलाल, श्री (जालौन)
बसन्तलाल, श्री (लखनऊ)
बसन्त सिंह, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बिशनलाल, श्री
बुधिराम, श्री
बज किशोर, श्री

बृजपाल सिंह, श्री
बृजमोहन दास अग्रवाल, श्री
बेचन राम, श्री (मिर्जापुर)
बेचनराम, श्री (वाराणसी)
बेनी बाई, श्रीमती
बेनी सिंह अवस्थी, श्री
बैजनाथ, श्री (बलिया)
बैजनाथ, श्री (वाराणसी)
ब्रह्माश्रम, स्वामी
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद वर्मा, श्री
भग्गूराम, श्री (उपनाम भृगुनाथ)
भारत सिंह चौहान, श्री
भीखालाल, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
भुवनेश भूषण, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भैरवदत्त धूलिया, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगला प्रसाद तिवारी, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मकसूद हुसैन, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मदन मोहन सिंह, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्सादीन, श्री
मलिखान सिंह, श्री
महरामसिंह, श्री
महिपालसिंह, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्रप्रताप सिंह, कुंवर
महेशकुमार, श्री
माताप्रसाद, श्री
मानसिंह, श्री
मारकण्डे, श्री
मुंशीलाल चमार, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्शीलाल, श्री
मुरलीधर, श्री
मुलायम सिंह, श्री
मुल्की राज, श्री
मुल्तान सिंह, श्री

मुहम्मद महमूद अली खां, श्री
मुहम्मद रऊफ, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, आचार्य
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहन लाल गौतम, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उपनाम लल्लन)
योगेश्वर प्रसाद, श्री
रईसउद्दीन, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री (आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (कानपुर)
रघुनाथ सिंह, श्री (झांसी)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीर सिंह, श्री (एटा)
रघुवीर सिंह, श्री (मैनपुरी)
रफी मुहम्मद खां, श्री
रमाकान्त, श्री
रमावल्लभ मिश्र, श्री
रमाशंकर अग्रवाल, श्री
रवीन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजकिशोर, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथ, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजबली, श्री
राजबहादुर, श्री (जौनपुर)
राजबहादुर, श्री (सीतापुर)
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबहादुर द्विवेदी, श्री
राज राजेश्वर, श्री
राजाराम, श्री (आगरा)
राजाराम, श्री (देवरिया)
राजाराम, श्री (बलिया)
राजेन्द्र कुमारी बाजपेई, डाक्टर
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधे श्याम कपूर, श्री
राम अंजोर, श्री
रामअचल सिंह सेंगर, श्री
राम अधार, श्री
रामअधीन सिंह, श्री
रामआसरे, श्री
रामकरन, श्री
राम किंकर, श्री
रामकिशोर, श्री
राम कुमार, श्री
रामचन्द्र आजाद, श्री
रामचन्द्र जोशी, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्र सिंह, श्री
रामचरन दोहरे, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदत्त, श्री
रामदास, श्री
रामदुलार पटेल, श्री
रामदुलारे, श्री (गोंडा)
रामदुलारे, श्री (रायबरेली)
रामदेव, श्री (गोंडा)
रामदेव, श्री (प्रतापगढ़)
रामनरेश पांडेय, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ, श्री (मिर्जापुर)
रामनाथ, श्री (शाहजहांपुर)
राम नारायण, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
रामप्रकाश त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री (आगरा)
रामप्रसाद, श्री (गढ़वाल)
रामप्रसाद, श्री (रायबरेली)
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
राम रतन, श्री
राम लखन सिंह, श्री
राम लाल, श्री
रामश्री राजपूत, श्री
रामसजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
रामसरन सिंह, श्री
रामसिंह, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसेवक, श्री
रामस्वरूप, श्री (देहरादून)

रामस्वरूप, श्री (प्रतापगढ़)
रामस्वरूप, श्री (मैनपुरी)
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर सिंह, श्री
रुस्तम सैटिन, श्री
रूपनाथ, श्री
रूपनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर, श्री
लटूरीसिंह, श्री
लाखन, श्री
लालकृष्ण कुमार पाल, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर, श्री
वरमेश्वर पाण्डेय, श्री
वसी नकवी, श्री
विजय कुमार त्रिपाठी, श्री
विजय शंकर सिंह, श्री
विपिन बिहारी तिवारी, श्री
विश्वनाथ प्रसाद, श्री (उपनाम झींगन साहू)
विश्वनाथ सिंह, श्री
विष्णु स्वरूप, श्री
वीर बहादुर, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेश्वर त्यागी, श्री
शंकर सिंह, चौधरी
शकुंतला देवी, श्रीमती
शफकत जंग, श्री
शब्बीर हसन, श्री
शमीम आलम, श्री
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषण सिंह, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवनाथ सिंह, श्री
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शीतलादीन, श्री
शीतलाप्रसाद सिंह, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्याम सिंह, श्री
श्रीनाथ, श्री
श्रीनारायण तिवारी, श्री
श्रीपति मिश्र, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
श्रीशंकर शर्मा, श्री (उपनाम लालो शर्मा वकील)
सईद अहमद, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्तू, श्री
सरजू प्रसाद, श्री
सरदार सिंह, श्री
सहदेव सिंह, श्री
सालिक राम, श्री
सियाराम, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुखनलाल, श्री
सुखदेव, श्री
सुखदेव प्रसाद, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सुशील कुमार विद्यार्थी, श्री
सोहनलाल, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हरिगेनराम, श्री
हरिहरनाथ अग्रवाल, श्री (उपनाम हरी बाबू)
हरिहर बक्श सिंह, राजा
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीशचन्द्र, श्री
हरीश चन्द्र सिंह, श्री
हरीसिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरीसिंह, श्री (मेरठ)
हिम्मत बहादुर, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन गहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—उप मुख्य-मंत्री, श्री रामप्रकाश तथा उद्योग मंत्री, श्री प्रभुनारायण सिंह भी उपस्थित थे।

प्रश्नों के संबंध में आपत्ति

श्री रघुनाथ सिंह--

मान्यवर, इस महीने के शुरू में मैंने ४ तारीख से ८-१० तारीख के बीच में कई प्रश्न दिये थे। उनके बारे में मुझे कोई सूचना नहीं मिली और न आज तक वे एजेंडे में ही आये। मैं जानना चाहता हूं कि उनका क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष--

मैं कई बार कह चुका हूं कि इस प्रकार की शिकायतों के लिये कोई माननीय सदस्य कृपा करके सदन का समय न लें तो मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह होगा। मेरे कक्ष में वे पधारें, मेरा प्रयास होगा कि मैं उनको संतुष्ट करूं। इस प्रकार की जो शिकायतें आई हैं और मैंने जांच करके मालूमात की तो उससे माननीय सदस्य संतुष्ट हो गये। मैं आशा करता हूं कि आप भी संतुष्ट हो जायेंगे।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, २६ जुलाई, १९६७

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

बड़ागांव ब्लाक में प्राइमरी हेल्थ सेन्टर की इमारत

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

*१--क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक बड़ागाव में एलोपैथिक अस्पताल, तहसील व जिला वाराणसी (प्राइमरी हेल्थ सेन्टर) की इमारत अब तक न बनने का कारण क्या है और उसके लिये कितना रुपया मंजूर हुआ, और कब से हुआ है

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्री कृष्ण बहादुर मिश्र) --

संकट कालीन स्थिति एवं योजना की धनराशि में कटौती के कारण यह कार्य अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस निर्माण कार्य के लिए १९६२-६३ के वित्तीय वर्ष में ६२,००० रुपये की स्वीकृति दी गयी थी।

श्री ऊदल--

किस खंड में और क्यों कटौती की गई ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री प्रताप सिंह)--

चीन के हमले के कारण इमर्जेंसी समझकर कटौती की गई।

श्री ऊदल--

क्या मंत्री जी पुरानी फाइल देखने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर में पिछले सत्र में सरकार की तरफसे आश्वासन दिया गया था कि जमीन मिल गई है और बिल्डिंग जल्दी तैयार की जायेगी।

श्री प्रताप सिंह--

मान्यवर, जमीन मिल गई है, लेकिन इमर्जेंसी की वजह से न तो परसाल रुपया रखा गया था और न इस साल रखा गया है। जहां तक पैसे का प्रश्न है बजट कम कर दिया गया इसलिये नहीं रखा गया।

श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी (जिला गोरखपुर)---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि चीन की लड़ाई खत्म हो गई और आपत्ति कालीन स्थिति भी खत्म हो गई, लेकिन इसकी व्यवस्था नहीं की गई ?

श्री प्रतापसिंह---

माननीय मित्र प्रपोजल भेजेंगे तो सरकार उस पर विचार करेगी।

श्री ऊदल---

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि जिस जगह अस्पताल चल रहा है वह पंचायत विभाग की एक इमारत है और वहां जगह बहुत कम है ? मरीजों के रहने के लिये सुविधा नहीं है, इनको देखते हुए मंत्री जी जल्दी से जल्दी इमारत बनाये जाने का निर्णय लेंगे ?

श्री प्रताप सिंह---

मान्यवर, मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि सामूहिक विकास योजना में प्र इमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं। इनमें ६७-६८ में ४९० लाख रुपये में से २९९.२० लाख रुपया कम कर दिया गया है। इसलिये दुबारा प्रस्ताव आयेगा तब उस पर विचार किया जायेगा।

श्री रामनरेश पांडेय (जिला देवरिया)---

क्या मंत्री जी को पता है कि बहुत सी जगहों में किराय के मकान में सेंटर्स चलाये जा रहे हैं ? तो इस संबंध में सरकार की क्या नीति है ?

श्री प्रताप सिंह (जिला मुरादाबाद)---

मान्यवर, यह बात सही है कि पिछले दस बारह सालों से जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स खुले थे उनकी इमारतें नहीं बन पायी थीं। विभागीय आदेश जारी हो गये हैं कि जहां बजट रखा गया है वहां इमारतें बना कर शानदार अस्पताल प्रारम्भ किये जायं।

नियोजन विभाग के फील्ड कर्मचारियों को बढ़ा वेतन न मिलना

*२---श्री महेशकुमार (जिला मुरादाबाद)---

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, १९६५ में उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की गई थी ? यह सारे कर्मचारियों को तो दे दिया गया है, परन्तु परिवार नियोजन के फील्ड कर्मचारियों को अभी तक क्या बढ़ा हुआ धन नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कृष्ण बहादुर मिश्र ---

जी हां।

परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य करने वाले अधिकतर फील्ड कर्मचारियों को वेतन अभिनवीकरण समिति की रिपोर्ट के आधार पर जो धन मिलना चाहिये था वह दिया जा चुका है। कुछ गिने चुने फील्ड कर्मचारियों को यह धन नहीं दिया जा सका है इसके कारण हैं कर्मचारियों का स्थानान्तरण, सेवा पुस्तिकायें देर से प्राप्त होना या अधूरी होना, कर्मचारियों का देर से विकल्प पत्र देना या न देना, बिलों का क्रास इन्ट्री होकर न आना और वेतन निर्धारण विभागीय जांच में होना।

बढ़े हुए वेतन के धन को शीघ्र भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

श्री महेशकुमार--

मैं जानना चाहता हूं कि इन छोटी छोटी तनख्वाह पाने वाले लोगों के लिए उनका ट्रांसफर होने, सेवा पुस्तकों के न आने इन सब कारणों की जिम्मेदारी किस पर है और वह कब तक पूरी हो जायेंगी ?

श्री प्रताप सिंह--

मेरे लायक दोस्त ने पूछा है कि जिम्मेदारी किस पर है। आज तक पिछले प्रशासन पर थी। आइन्दा इसमें कोई देरी नहीं होगी। इसके आदेश जारी कर दिये गये हैं।

श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि जिन अधिकारियों या कर्मचारियों ने सेवा पुस्तकें भेजने में देरी की उनके विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायगी ?

श्री प्रतापसिंह--

पत्रावली देखने से ऐसा विदित नहीं होता कि किसी अधिकारी की असावधानी से पेमेंट नहीं हुआ। कुछ लोग ट्रांसफर पर चले गये। उनके बिलों पर काउंटर सिगनेचर होने में देर हुई।

सहकारी संघ सिकंदराराऊ में गबन

*३--श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सहकारी संघ, सिकन्दराराऊ (अलीगढ़) में हाल ही में कोई गबन की सूचना है ? यदि हां, तो कितने रुपये का गबन है और उसके सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

सहकारिता उप-मंत्री (श्री जोरावर वर्मा)--

जी नहीं, गबन की कोई सूचना नहीं है, अतः दूसरा प्रश्न नहीं उठता।

*४--श्री नेकराम शर्मा--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि साधन सहकारी समिति पिपलगवां ब्लाक सिकन्दराराऊ (अलीगढ़) में हाल में ही गबन की सूचना मिली है ? यदि हां, तो कितने रुपये का गबन है ?

श्री जोरावर वर्मा--

जी नहीं, गबन की कोई सूचना नहीं मिली है, अतः दूसरा प्रश्न नहीं उठता।

श्री नेकराम शर्मा--

मैंने यह प्रश्न नहीं पूछा था। यह प्रश्न गलत है। प्रश्न यह था कि सहकारी संघ, सिकन्दराराऊ में कोई गबन हुआ है। लेकिन "हाल ही में" बढ़ा दिया गया।

श्री अध्यक्ष--

आप का जिस रूप में प्रश्न था वह बिलकुल ग्राह्य नहीं था इसलिए कि जब तक समय न हो तब तक प्रश्न की ग्राह्यता नहीं हो सकती। आपके भाव से यह समझा कि कोई हाल में घटना हुई है इसलिए "हाल" में परिवर्तित कर दिया। अगर आप समझते हैं कि उस परिवर्तन से आपकी मंशा खत्म हो गयी, वह पिछली घटना थी, तो दूसरी बात है।

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, यही है।

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह सूचना इस बात की मंगायेंगे कि इसमें कितना गबन हुआ है, हाल ही में नहीं, उससे पहले और हुआ है तो कार्यवाही करेंगे?

श्री अध्यक्ष—

हाल में नहीं हुआ तो अब आप दूसरा प्रश्न कर लें और उसमें समय दें कि कब गबन हुआ, तो मैं स्वीकार कर लूंगा।

इसमें भी वही स्थिति रही।

राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी फार्मेसी, लखनऊ के कर्मचारी

*५—श्री केशरी लाल (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी फारमेसी, लखनऊ के अन्तर्गत कार्य करने वाले कितने कर्मचारी दैनिक वेतन भोगी हैं और उनका कार्यकाल कितना-कितना है तथा क्या यह सही है कि वर्षों से रेगुलर कार्य करने पर भी उन्हें स्थायी पद नहीं प्रदान किये गये हैं? यदि हां, तो क्यों?

श्री प्रतापसिंह—

दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की संख्या ८३ है। इनके कार्यकाल के विवरण की तालिका की एक प्रति माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गयी है। यह सही है कि वर्षों से रेगुलर कार्य करने पर भी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को अभी तक स्थाई पद प्रदान नहीं किया जा सका है। इस समय सरकार द्वारा केवल ४० रेगुलर पद स्वीकृत हैं जिन पर नियुक्ति पहले ही हो चुकी है। जब तक और रेगुलर पद स्वीकृत न किए जायें, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को रेगुलर पद देना सम्भव नहीं है। ऐसा कोई प्रस्ताव इस वित्तीय वर्ष में शासन के विचाराधीन नहीं है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७९०—७९२ पर)

जिला स्वास्थ्य अधिकारी, जौनपुर के स्थानान्तरण की मांग

*६—श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि जौनपुर जिले में सन् १९६४ और १९६५ की ट्रेन्ड दाइयों की नियुक्ति न करके मार्च, १९६७ में जिन दाइयों की नियुक्ति की गई है वे सभी सन् १९६४ और सन् १९६५ के बाद की ट्रेन्ड हैं और उनमें से कुछ के पास दाई प्रशिक्षण का सार्टीफिकेट भी नहीं है? यदि हां, तो क्यों?

श्री कृष्ण बहादुर मिश्र—

जी नहीं।

पांच दाइयों की नियुक्ति मार्च, १९६७ में की गयी इनमें एक सन् १९६५ की ट्रेन्ड है और चार सन् १९६६ की। इन दाइयों ने पूरी ट्रेनिंग ले ली है और परीक्षा पास कर ली है।

*७—श्री माताप्रसाद—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले के स्वास्थ्य विभाग में अप्रैल, १९६६ से दिनांक १४ जून, १९६७ तक कुल कितने हेल्थ वर्कर टर्मिनेट किये गये और फिर उन्हीं में से कितने पुनः नियुक्त कर लिय गये?

श्री कृष्णबहादुर मिश्र--

६३ की सेवाएं समाप्त की गयीं और तीन की पुनः नियुक्ति की गयी।

श्री माताप्रसाद--

मान्यवर, मैं आपके द्वारा मंत्री जी को सूचना देना चाहता हूं कि जो सूचना दी गई है वह असत्य है। क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि श्रीमती शिवकुमारी, सुभद्रा देवी, रामदासी देवी, अमरावती देवी क्रमशः २६-६-६४, ९-९-६४, ३०-९-६४ और १८-१२-६५ की ट्रेंड हैं किन्तु इनकी नियुक्ति न कर के इसके बाद की ट्रेंड दाइयों की नियुक्ति कर दी गई है? क्या इसकी जांच मंत्री जी कराने की कृपा करेंगे?

श्री अध्यक्ष--

इसका जो दूसरा भाग है उसकी मैं सिर्फ अनुमति दे रहा हूं। सत्य है या असत्य है--यह कहना गलत है। जो आपने नामों का जिक्र किया उसकी मैं अनुमति दे रहा हूं।

श्री प्रतापसिंह--

यह जो आपने नामों का जिक्र किया, उनके कोई प्रार्थना-पत्र हमारे यहां नहीं आए।

श्री माताप्रसाद--

क्या मन्त्री जी को जानकारी है कि विभाग द्वारा जो दाई ट्रेन्ड की जाती हैं, क्या वह उसी क्रम से रखी जाती हैं, जिस क्रम से वह ट्रेन्ड की जाती हैं?

श्री प्रतापसिंह--

ट्रेनिंग लेने के बाद उन दाइयों को दरख्वास्त देना होता है कि हमारी नियुक्ति कर दी जाए, तभी उनकी नियुक्ति की जाती है, बिना प्रार्थना-पत्र के कोई नियुक्ति नहीं होती है।

श्री माताप्रसाद--

क्या माननीय मन्त्री जी इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे कि इन दाइयों ने कई बार इसके लिये दरख्वास्त दी, लेकिन उनको स्वास्थ्य अधिकारी ने न नियुक्त करके उसके बाद की ट्रेनिंग पाई दाइयों को नियुक्त कर लिया?

श्री प्रतापसिंह--

जो बात माननीय मित्र ने कही वह सही नहीं मालूम पड़ती है। अब माननीय सदस्य यदि उनके प्रार्थना-पत्र दिलवाएंगे तो अवश्य विचार किया जाएगा।

श्री माताप्रसाद--

क्या माननीय मन्त्री जी को हेल्थ वर्कर और दूसरे कर्मचारियों से इस बात की शिकायतें मिली हैं कि उन्हें नियुक्त कर के, सस्पेंड करके हटा दिया जाता है और उनसे रुपया लेकर स्वास्थ्य अधिकारी उन्हें पुनः नियुक्त कर देते हैं?

श्री प्रतापसिंह--

ऐसी कोई शिकायत तो मेरे पास नहीं है, किन्तु यदि माननीय मित्र इसे ठीक समझते हैं तो लिखित भेज दें तो उस पर विचार किया जाएगा।

श्री माताप्रसाद--

क्या माननीय मन्त्री जी को जानकारी है कि श्री राज बहादुर, एम० एल० ए० जो जनकांग्रेस में हैं, उन्होंने डेढ़ महीने पहले एक लम्बी सूची लिख कर मंत्री जी को दी थी वहां के स्वास्थ्य अधिकारी इस तरह से कर रहे हैं और उस पर मंत्री जी ने भी आदेश

दिया था कि उसकी जांच कराई जाय और अधिकारी का ट्रान्सफर कर दिया जाए? उन्होंने तीन हफ्ता पहले फिर लिख कर दिया है कि सैकड़ों कर्मचारियों को इस तरह से परेशान किया जा रहा है। इस पर फिर मन्त्री जी ने आदेश दिया है कि जांच की जाए और उसका ट्रांसफर किया जाए। क्या यह सही है?

श्री प्रतापसिंह--

मान्यवर, मेरे लायक दोस्त ने सैकड़ों की बात कही है। इस प्रकार का जिला अधिकारियों के खिलाफ कोई भी कागज आता है तो हम उसकी जांच करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब तक कोई स्पेस्फिक केस न हो, तो प्राईमाफेसी केस नहीं बनता और तब तक कोई कार्यवाही करना सम्भव नहीं हो पाता है।

श्री माताप्रसाद--

१० कर्मचारियों के नाम उन्होंने लिखकर भी दिये थे कि उनसे स्वास्थ्य अधिकारी ने रुपया लिया। वह स्पेस्फिक केस था, तो फिर उस पर क्यों जांच नहीं की गयी?

श्री प्रतापसिंह--

श्री राजबहादुर ने कोई लिखित शिकायत की, शिकायती पत्र मेरे पास आया। जैसा मेरे लायक दोस्त स्वयं कह रहे हैं मैंने स्वयं उस पर जांच करने के लिये कह दिया है। यदि प्राईमाफेसी केस बन गया तो अधिकारी के खिलाफ अवश्य कार्यवाही की जाएगी।

श्री कमलाप्रसाद (जिला जौनपुर)--

क्या माननीय स्वास्थ्य मन्त्री को पता है कि उन्होंने श्री राजबहादुर के कम्प्लेन्ट पर आदेश दिया कि जिला स्वास्थ्य अधिकारी का शीघ्र स्थानान्तरण कर दिया जाय, लेकिन उसका पालन नहीं हुआ?

श्री प्रतापसिंह--

मैं आप के द्वारा माननीय सदस्यों को बतलाना चाहता हूं कि उस आदेश का पालन नहीं हुआ ऐसा फाइल से पता नहीं चलता है और उसकी एन्क्वायरी हो रही है और इन्क्वायरी के बाद अगर चार्ज सही पाया गया तो ट्रान्सफर के अलावा और ऐक्शन उसके खिलाफ लिया जायगा।

श्री नेकराम शर्मा--

क्या यह सही है कि श्रीमान् मंत्री जी ने एक एक रजिस्टर बनाकर अपने दफ्तर में रख लिया है और माननीय सदस्यों से कहा जाता है कि जो आप चाहते हैं वह लिख दें और वह रजिस्टर यों ही रखा रहता है? मैं यह जानना चाहता हूं कि वह रजिस्टर कितना भारी हो गया है?

श्री प्रतापसिंह--

मान्यवर, अगर नेकराम शर्मा जी बुरा न मानें तो वह रजिस्टर उतना ही वजनी हो गया है जितना कि हमारे माननीय सदस्य का वजन है।

श्री राजबहादुर (जिला जौनपुर)---

माननीय मन्त्री जी से मैंने ५ हफ्ते पहले मिल कर प्रार्थना की थी कि हेल्थ आफिसर महान भ्रष्टाचारी हैं और उस पर माननीय मन्त्री जी ने बिना जांच-पड़ताल किये ही आदेश दे दिया कि उनको तबदील किया जाय। दो हफ्ते तक कुछ नहीं हुआ तो फिर मैं माननीय मन्त्री जी के पास दूसरा प्रार्थना-पत्र ले कर गया उसमें बीसों आदमियों के नाम हैं जिनके साथ अन्याय किया गया था। माननीय मन्त्री जी ने उस पर भी आदेश दिये कि पिछले आदेश का

पालन क्यों नहीं किया गया और फौरन् उसके खिलाफ एन्क्वायरी की जाय। जब फिर २ हफ्ते तक कुछ नहीं हुआ तो अभी ५ रोज हुये मैं माननीय मन्त्री जी के पास गया और उन्होंने उस समय निदेशक से टेलीफोन पर बात की। उन्होंने कहा कि अभी एक साल हुआ है इसलिये ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो क्या यह जरूरी नहीं था कि आदेश देने से पहले माननीय मन्त्री जी ने जानकारी कर ली होती कि १ साल तक आदमी का ट्रांसफर नहीं किया जाता चाहे वह कितना ही भ्रष्टाचारी क्यों न हो ?

श्री अध्यक्ष—

मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वे प्रश्नों को इतना लम्बा न बनावें कि उनका जवाब देना कठिन हो जाय। लेकिन स्वास्थ्य मन्त्री जी जल्दी समझ लेते हैं और वह शायद जवाब दे सकेंगे।

श्री प्रतापसिंह—

एक निवेदन मान्यवर, माननीय सदस्यों से करता हूं कि हमारा प्रशासन जनतांत्रिक है और इसमें तानाशाही आदेश नहीं दिया जाता है। हमने ट्रांसफर के लिये लिखा। उसके बाद फिर रिपोर्ट आयी कि इन इन नियमों के अनुसार ट्रांसफर नहीं हो सकता है। फिर मैंने लिखा कि चूंकि माननीय सदस्य चाहते हैं इसलिए एन्क्वायरी होने के बाद ट्रांसफर जरूर होना चाहिये।

श्री श्रीराम तिवारी (जिला उन्नाव)—

इस बात को ध्यान में रखते हुये कि माननीय मन्त्री जी ने ट्रांसफर आर्डर कर दिये हैं और अगर उसका ट्रांसफर नहीं होता है तो उस हालत में उस अधिकारी के उस जिले में रहते हुये ठीक से जांच भी नहीं हो सकेगी। इसलिये उसका तुरन्त ट्रांसफर करेंगे ?

श्री प्रतापसिंह—

मान्यवर, चूंकि माननीय सदस्य कह रहे हैं और जिम्मेदारी से कह रहे हैं तो उसका ट्रांसफर तो हो ही जायगा और उसके खिलाफ इन्क्वायरी भी होगी।

श्री मोहनलाल गौतम (जिला अलीगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि उन्होंने लिख दिया था कि उसका ट्रांसफर हो, लेकिन हेड आफ दि डिपार्टमेंट ने उनसे कहा कि एक साल इसको हुए हैं इसलिये नहीं हो सकता। तो क्या यह तरीका अब हो गया है कि माननीय मंत्रियों के हुक्म के होते हुये हेड आफ दि डिपार्टमेंट उनसे बाधित नहीं हो सकता और उसे लागू नहीं होने दे सकता।

श्री प्रतापसिंह—

मान्यवर, जैसा मैंने कहा कि ऐसे भी केसेज होते हैं कि हम कोई चीज लिखें और उसको नालिज हमको न हो और डिपार्टमेंट में उसका रिकार्ड दूसरा हो। उन्होंने लिखा है कि यह वस्तुस्थिति है। अब माननीय मन्त्री जी जो कहें किया जाय। ऐसे भी केसेज होते हैं कि अगर दोनों में, मन्त्री में और हेड आफ दि डिपार्टमेंट में फर्क हो तो वह फाइल चीफ मिनिस्टर को रेफर की जाती है। उन्होंने वस्तुस्थिति लिखी है और लिखा है कि मन्त्री जी इसमें क्या चाहते हैं। हमने लिख दिया है कि इनका ट्रांसफर किया जाय और साथ ही इन्क्वायरी भी हो।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

मैं यह जानना चाहता हूं कि उस अधिकारी के विरुद्ध जो अफसर जांच कर रहे हैं उन्होंने किस हद तक जांच की है ?

श्री प्रतापसिंह--

उस अधिकारी के खिलाफ हमारे असिस्टेंट डाइरेक्टर श्री धर, जो आई० ए० एस० के आदमी हैं जांच कर रहे हैं। वह मेडिकल के आदमी नहीं हैं।

श्री मोहनलाल गौतम--

मैं यह जानना चाहता हूं कि यह तरीका कब से अपनाया गया है कि अगर मिनिस्टर और हेड आफ दि डिपार्टमेंट के बीच कोई मतभेद हो तो वह कागज चीफ मिनिस्टर को रेफर किये जाते हैं क्योंकि मैं यह जानता हूं कि मिनिस्टर के हुक्म को कोई डिपार्टमेंट टाल नहीं सकता है?

श्री अध्यक्ष--

रेफर तो मिनिस्टर ही करता होगा। तो यह मिनिस्टर के ऊपर है।

श्री मोहनलाज गौतम--

मेरा आशय जानने का केवल यह है कि यह प्रथा कब से शुरू हुई कि मिनिस्टर और हेड आफ दि डिपार्टमेंट में कोई मतभेद हो तो वह फाइल चीफ मिनिस्टर को रेफर होती है?

श्री प्रतापसिंह--

मैंने यह नहीं कहा कि यह फाइज चीफ मिनिस्टर को गई है। मैंने यह कहा कि अगर किसी चीज को मिनिस्टर करना चाहता है और डिपार्टमेंट उसकी दूसरी तस्वीर उनके सामने रखता है तो उस सम्बन्ध में वह चीफ मिनिस्टर को फाइल भेज सकता है।

श्री अयोध्या प्रसाद आर्य (जिला देवरिया)--

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि विधायक महोदय ने उनको डाइरेक्टर के विरुद्ध शिकायत लिख कर दी है उसमें क्या क्या आरोप हैं?

श्री प्रतापसिंह--

उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत है और उसकी जांच के लिये हमने कहा है।

श्री मोहनलाल गौतम--

दो बातें जो मंत्री जी ने कहीं वह भिन्न थीं। उनमें कौन सी सही है? पहली बात यह कहा कि मन्त्री और हेड आफ दि डिपार्टमेंट में मतभेद है तो वह फाइल चीफ मिनिस्टर को जा सकती है। तो इसका क्या कायदा है, किस तरह से जाती है? क्या उस मतभेद को मिनिस्टर खुद साल्व नहीं कर सकता जो चीफ मिनिस्टर को रेफर कर सकता है या हेड आफ दि डिपार्टमेंट के नोट को ओवर रूल करके वह खुद फैसला नहीं कर सकता है?

श्री अध्यक्ष--

मैं समझता हूं कि इस प्रकार की प्रथा जो कैबिनेट में तय होती होगी तो हम इसके दायरे से बहुत आगे चले जाते हैं।

श्री मोहनलाल गौतम--

मेरा प्रश्न का तो सिर्फ इतने हिस्से से ताल्लुक है कि मंत्री और हेड आफ दि डिपार्टमेंट में मतभेद होता है तो कब वह चीफ मिनिस्टर को कागज भेजते हैं?

श्री अध्यक्ष--

मुझे आप के सवाल से ताल्लुक है कि वह सवाल दायरे के अन्दर ही होना चाहिये। यह दायरे से बहुत आगे निकल जाता है।

[२६ जुलाई, १९६७ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

स्वास्थ्य विभाग, जिला जौनपुर के अन्तर्गत मजदूरी में असमानता

*१--श्री माता प्रसाद--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि जौनपुर जिले में सेनेटरी गैंग मजदूरों को दो रुपया प्रतिदिन मजदूरी दी जाती है जबकि उसी विभाग में फाइलेरिया और मलेरिया विभाग के कर्मचारियों की मजदूरी दो रुपया ५० पैसे प्रतिदिन है? यदि हां, तो इस असमानता का कारण क्या है?

श्री कृष्ण बहादुर मिश्र--

जी हां। असमानता का कारण यह है कि सेनीटरी गैंग के मजदूरों की नियुक्ति रेगुलर रूप से देहाती क्षेत्र में काम के लिए की जाती है और फाइलेरिया यूनिट के कर्मचारियों की नियुक्ति आवश्यकतानुसर केवल चन्द दिनों के लिए अस्थायी (casual) रूप से शहरों में कार्य करने के लिए की जाती है और इनकी मजदूरी का दर समय-समय पर जिलाधीश एवं तहसीलदार द्वारा निर्धारित किया जाता है।

श्री माताप्रसाद--

क्या मन्त्री जी बतलायेंगे कि देहातों में जो स्वास्थ्य विभाग के गैंग मजदूर हैं और जो १५ वर्षों से अधिक समय से काम कर रहे हैं उनको मजदूरी दो रुपया रोज दी जाती है, तो क्या मन्त्री जी उनको राजकर्मचारी घोषित करने तथा उनकी मजदूरी बढ़ाने पर विचार करेंगे?

श्री प्रतापसिंह--

ऐसा कोई प्रस्ताव आये तो विचार किया जा सकता है लेकिन अभी तो उनको निर्धारित मजदूरी ही दी जाती है।

श्री माताप्रसाद--

एक ही विभाग में एक प्रकार का काम करने वाला गैंगमैन एक जगह ढाई रुपया पाता है और दूसरी जगह दो रुपया रोज, तो इस असमानता को दूर करने पर सरकार विचार करेगी?

श्री अध्यक्ष--

उसका तो कारण बतला दिया।

श्री माताप्रसाद--

श्रीमन्, वह भी सरकारी कर्मचारी हैं और जिलाधीश जिनसे काम लत हैं व भी सरकारी कर्मचारी हैं, तो क्या दोनों की मजदूरी एक करने पर सरकार विचार करेगी?

श्री प्रतापसिंह--

एक तो परमानेन्ट तौर पर रखे जाते हैं और एक अस्थायी रूप में रखे जाते हैं। अस्थायी रूप से काम करने वालों को २.५० रुपया रोज मिलता है और बाकी को दो रुपया रोज के हिसाब से रखा जाता है। दैनिक मजदूरी पर जो हैं उन को ज्यादा दिया जाता है।

श्री मोहनलाल गौतम--

क्या मन्त्री जी बतलायेंगे कि जितने मजदूर दैनिक अथवा अस्थायी तौर पर उनके विभाग में काम करते हैं उनके लिये आज कल के जमाने में मिनिमम वेजेज क्या हैं?

श्री प्रतापसिंह--

मिनिमम वेजेज ऐक्ट में जो प्राविजन है वे यहां लागू होते हैं लेकिन हमारे यहां मलेरिया में दो रुपये मिलते हैं और फाइलेरिया में अस्थायी रूप से रहने वालों को ढाई रुपये रोज मिलते हैं।

श्री अध्यक्ष—

मिनिमम वेजेज ऐक्ट के अतिरिक्त तो कोई मापदंड सरकार ने नहीं रखा ?

श्री प्रतापसिंह—

जी नहीं।

श्री अयोध्याप्रसाद आर्य—

क्या मन्त्री जी बतलायेंगे कि आजकल जितने जोरों पर महंगाई है उस का खयाल रखते हुये जो दो रुपये रोज उनको दिया जाता है, उस के स्थान पर उनको ढाई रुपया रोज देने की कृपा करेंगे ?

श्री प्रतापसिंह—

यह बात सही है कि महंगाई बढ़ रही है और उसका हल दाम कम करने से ही हो सकता है, लेकिन माननीय सदस्य के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है।

श्री माताप्रसाद—

क्या इस दृष्टि से माननीय मंत्री जी विचार करेंगे कि पी० डब्लू० डी० के गैंग जिनको दैनिक मजदूरी दी जाती रही है उनको सरकार ने राजकीय कर्मचारी मान लिया है और इस आधार पर इन गैंगमैन को सरकार क्या राजकीय कर्मचारी मान कर उनको तनख्वाह बढ़ायेगी ?

श्री प्रतापसिंह—

यह सरकार की घोषित नीति रही कि जो ३ साल से अधिक समय से काम कर रहे हैं उनमें से हमें अपने फाइनेंशयल रिसोर्सेज को देख कर स्थायी करना चाहिए और उसी दिशा की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं।

गोलागोकरननाथ में डाक्टरनी न होना

*२—श्री विपिन बिहारी तिवारी (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित) तथा श्री राज राजेश्वर (जिला खीरी)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में सरकारी सेवा में नियुक्त एम० बी० बी० एस०, ऐसे कितने डाक्टर हैं जिनका सेवाकाल १० वर्ष का हो गया है और उन्हें जिला केन्द्र चिकित्सालयों में नियुक्त नहीं किया गया है ?

श्री कृष्ण बहादुर मिश्र—

सूचना एकत्रित की जा रही है। किन्तु २९८ पी० एम० एस० (पुरुष शाखा) के डाक्टरों की नियुक्तियों की समीक्षा करने से विदित हुआ है कि उनमें से अब तक ६८ डाक्टर जिला अस्पतालों में कभी तैनात नहीं हुए।

*३—श्री विपिन बिहारी तिवारी (अनुपस्थित) तथा श्री राज राजेश्वर—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि गोलागोकरननाथ, खीरी में राजकीय महिला चिकित्सालय में महिला डाक्टर कब से नहीं है ?

श्री कृष्ण बहादुर मिश्र—

उक्त चिकित्सालय में दिनांक १३-५-६५ से लेडी डाक्टर नहीं हैं।

श्री राज राजेश्वर—

गोलागोकरननाथ में लेडी डाक्टर के अभाव में वहां के मरीजों के इलाज की क्या व्यवस्था है ?

श्री प्रतापसिंह—

आज प्रातः काल एक आदेश दे दिया गया है कि जिन अस्पतालों में डाक्टर्स नहीं हैं उनके नजदीक जितने भी डाक्टर्स हैं वह हफ्ते में एक दिन उन अस्पतालों में विजिट करेंगे। तो जहां डाक्टर नहीं हैं तो उस अस्पताल में भी आयेगा। यह सारे प्रान्त के लिए हो गया है।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

क्या ऐसे भी डाक्टर हैं जो १०-१० साल तक जिला हेडक्वार्टर पर नहीं भेजे गये हैं और साथ ही ऐसे भी हैं जो १०-१० साल तक अपने घर पर हेडक्वार्टर पर ही रहने दिये जाते हैं क्योंकि इलाहाबाद के डफरिन हास्पिटल की डा० मिसेज शकुन्तला जायसवाल ७ जनवरी, १९५७ से इलाहाबाद में नौकरी पर आयीं और वहीं पर अभी तक हैं जबकि कई शिकायतें आ चुकी हैं हटाने के लिए, तो क्या उन को भी हटाया जायगा ?

श्री प्रतापसिंह—

पिछली सरकार के जमाने में २० और १० साल से एक अस्पताल में डाक्टर थे। पहली बार इस विभाग ने ५ साल से ज्यादा जिन डाक्टरों को हो गये हैं उनको बदलने की नीति अपनायी है और वही कदम सक्रिय रूप से सख्ती से उठाया जा रहा है। माननीय सदस्यों का दबाव भी पड रहा है लेकिन मैं नहीं सुन रहा हूं और डाक्टरों का तबादला हो रहा है। लेडीज के बारे में यह जरूर नीति अपनायी गयी है कि विदिन दि डिस्ट्रिक्ट उन्हें उनके प्रिफरेंस पर रखा जाय उनको एफिश्येंसी पर चूंकि उनको फैमिली प्लानिंग में भी काम करना पड़ता है। तो बिना आत्म-चिन्तन किये जो उन्होंने प्रश्न पूछा मैं उसका उत्तर भी दे रहा हूं।

श्री राज राजेश्वर—

मेरे जिले में केवल एक ही लेडी डाक्टर है खीरी में, ऐसी स्थिति में वह हफ्ते में एक बार किस तरह जाया करेगी जब कि उसके यहां ही इतना रश रहता है कि अपने मरीजों से ही अवकाश नहीं मिलता ?

श्री प्रतापसिंह—

मैं चाहूंगा कि अगर माननीय सदस्य का सहयोग रहा तो वह इस चीज को हमारे ऊपर छोड़ दें, वहां के मरीजों का इलाज भी होगा और डाक्टर जायंगे भी।

इलाहाबाद जिले में सहकारी पर्यवेक्षकों का स्थानान्तरण

*४—श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें साधन समिति, कसारी विकास खंड, कौडिहार, जिला इलाहाबाद के पंचों द्वारा वहां के सुपरवाइजर के विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं के संबंध में कोई शिकायती-पत्र दिनांक १ अक्तूबर, १९६५ अथवा उसके आस-पास प्राप्त हुआ? यदि हां, तो उस शिकायती-पत्र पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री जोरावर वर्मा—

जी नहीं।

*५—श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद जिले की तहसील सोरांव में सहकारिता विभाग के कितने ऐसे सुपरवाइजर हैं जो गत ५ वर्षों की अवधि से अधिक समय से एक ही स्थान पर काम कर रहे हैं तथा क्यों ?

श्री जोरावर वर्मा---

सोरांव तहसील, जिला इलाहाबाद में दो सहकारी पर्यवेक्षक एक स्थान पर ५ वर्ष की अवधि से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं। इन दोनों पर्यवेक्षकों के स्थानान्तरण आदेश जारी हो चुके हैं परन्तु स्थानीय अनुशासन समिति तथा स्थानीय बैंक के प्रबन्ध संचालक की असहमति के कारण वे कार्यभार से अभी तक मुक्त नहीं हुये हैं।

श्री नाथूराम शिक्षक---

उन दोनों सुपरवाइजरों के नाम क्या हैं और कितने दिनों से उस जगह पर काम कर रहे हैं ?

सहकारिता मंत्री (श्री गंगाभक्तसिंह)---

दलबहार सिंह हैं, वह १-६-६७ को नियुक्त हुए और दूसरे यदुबख्शसिंह जो कि ६-११- ५८ को नियुक्त हुए।

श्री नाथूराम शिक्षक---

मान्यवर, सुपरवाइजरों का ट्रांसफर हुआ लेकिन वे हटे नहीं। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इनका ट्रांसफर कब तक हो जायेगा और वे हट जायेंगे ? और क्या वे जनता के काम के लिये न रखे जाकर बैंक के मैनेजर और प्रबन्ध समिति आदि के काम के लिये रखे जाते हैं ?

श्री गंगाभक्तसिंह---

यह पर्यवेक्षक जनता के काम के लिये ही वैसे तो रखे जाते हैं, लेकिन वे प्रबन्ध संचालक और स्थानीय कमेटी के अन्तर्गत काम करते हैं। इस प्रश्न पर हम विचार कर रहे हैं कि जिनका समय एक जगह काम करते हुए ३ वर्ष हो जाये उनका ट्रांसफर हो जाया करे।

श्री राजबहादुर चन्द (जिला बस्ती)---

क्या इन सुपरवाइजरों का ट्रांसफर सरकार करती है ?

श्री गंगाभक्त सिंह---

इनका स्थानान्तरण और नियुक्ति उत्तर प्रदेश सहकारी यूनियन करती है।

श्री जंगबहादुर (जिला बाराबंकी)---

जब कि सरकार सहकारी समितियों को अनुदान आदि देती है सरकार को यह अधिकार नहीं है कि वे सुपरवाइजरों आदि का ट्रांसफर कर सके? जब यह अधिकार सरकार को नहीं है तो सरकार अनुदान फिर क्यों देती है ?

श्री गंगाभक्त सिंह---

जो व्यवस्था है उसी के अनुसार उत्तर प्रदेश सहकारी यूनियन इनका ट्रांसफर आदि करती है।

क्षय रोग अस्पताल, फाफामऊ, इलाहाबाद

*६---डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)---

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद क्षयरोग अस्पताल, फाफामऊ में लगभग तीन वर्षों से करीब ५० शैय्या का एक कक्ष स्त्रियों के लिये बन कर तैयार खड़ा है, परन्तु उसकी साज शैय्या (बेड्स) का कोई प्रबन्ध नहीं है ? यदि हां, तो क्या इसकी व्यवस्था इस वित्तीय वर्ष से करने की कृपा करेंगे ?

श्री कृष्ण बहादुर मिश्र—

इस अस्पताल में दो नये वार्ड्स बने हैं एक में २८ शैय्या है और दूसरे में २० शय्या हैं। दूसरा वार्ड पुलिस विभाग के कर्मचारी मरीजों के इलाज के लिये बना है। २८ शैय्या के वार्ड में १८ शैयायें पुरुषों के लिये हैं और १० शैय्यायें महिलाओं के लिये हैं। इस की साज सज्जा की पूर्ति शीघ्र हो जायगी।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

मैंने प्रश्न यह किया था कि क्या इसकी व्यवस्था इस वित्तीय वर्ष में करने की कृपा करेंगे? मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि 'शीघ्र' से तात्पर्य आपका यह है कि इसी वित्तीय वर्ष में आप इसका प्रबन्ध करेंगे?

श्री प्रताप सिंह—

शीघ्र से स्वास्थ्य विभाग का मतलब है कि दो-चार दिन के अन्दर हो जायेगा।

फैजाबाद जिले में चेचक

*७—श्री राज बहादुर द्विवेदी (जिला फैजाबाद)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, १९६७ से मई, सन् १९६७ तक फैजाबाद जिले में चेचक से कितने लोग बीमार पड़े और उससे कितनी मौतें हुई?

श्री कृष्ण बहादुर मिश्र—

फैजाबाद जिले में जनवरी, १९६७ से मई, १९६७ तक कुल ५८ व्यक्ति चेचक से बीमार पड़े तथा १७ व्यक्तियों की मृत्यु हुई।

श्री राजबहादुर द्विवेदी—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन १७ व्यक्तियों की मृत्यु वे बता रहे हैं इन चार महीनों के अन्दर, वे किन-किन गांवों में हुई हैं?

श्री प्रताप सिंह—

मान्यवर, प्रश्न तो जिले भर का पूछा गया था। किन-किन गांवों के वे व्यक्ति हैं उसके लिये तो सूचना की आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष—

अगर आपके पास गांवों की सूचना हो तो बता दीजिये।

श्री प्रतापसिंह—

मान्यवर, क्षमा चाहता हूं, मेरे पास गांवों की लिस्ट नहीं है।

श्री राजबहादुर द्विवेदी—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि चेचक से बहुत मृत्युएं हुई हैं। एक गांव कनकपुर में ही ३५ व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। माननीय मंत्री के पास जो सूचना आई है यह गलत है। क्या माननीय मंत्री जी मेरी सूचना को मानकर इसकी जांच करायेंगे और जिस अधिकारी ने गलत सूचना दी है उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे?

श्री प्रतापसिंह—

मैं द्विवेदी जी का आभारी रहूंगा अगर वे लिखित सूचना मुझे दे देंगे। अगर सूचना गलत निकलेगी तो जिस अधिकारी ने सूचना दी है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

श्री राजबहादुर द्विवेदी—

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चेचक की रोकथाम के लिये विगत तीन-चार महीनों में क्या कार्यवाही जिले में की गई ?

श्री प्रतापसिंह—

मान्यवर, इसी जिले में नहीं क्योंकि चेचक की बीमारी प्रिवेंटिव मैजर्स से बचाई जा सकती है इसलिये हमने विभागीय आदेश दे दिये हैं कि युद्ध स्तर पर इसकी रोकथाम की जाय ।

*८—श्री राजबहादुर द्विवेदी—

[६ ठें बुधवार के लिये स्थगित किया गया ।]

आजमगढ़ जिले में चेचक की रोकथाम

*९—श्री मारकण्डे (जिला आजमगढ़)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की फूलपुर तथा सगड़ी तहसील के सेनिटरी गैंग मजदूर तथा जमादारों ने मई, १९६७ में किन-किन ग्रामों में महामारी ड्यूटी की ? तथा कोपलसा और अतरैठ बाजार में जहां लोग चेचक से मर गये और अब भी बीमार हैं, इन कस्बों में इन गैंग वालों ने काम किया या नहीं ? यदि नहीं किया, तो क्या कारण है ?

श्री कृष्ण बहादुर मिश्र—

आजमगढ़ जिले के फूलपुर तथा सगड़ी तहसील के सेनेटरी गैंग मजदूर तथा जमादारों ने मई, १९६७ में किसी भी ग्राम में महामारी ड्यूटी नहीं की थी, क्योंकि इन लोगों को मई महीने में जिला स्वास्थ्य अधिकारी, आजमगढ़ के कार्यालय में आवश्यक सूखा पीड़ित स्टोर कार्य के लिये ड्यूटी लगाई गई थी । कोपलसा ब्लाक के अतरैठ बाजार में माह मई, सन, १९६७ में चेचक का कुछ प्रकोप रहा । मई के चौथे सप्ताह में पांच व्यक्ति चेचक रोग से ग्रसित एवं ३ व्यक्ति की मृत्यु हुई । इसके अतिरिक्त मई के पहले ३ सप्ताहों में, जून और जुलाई की ८ तारीख तक चेचक का प्रकोप नहीं रहा । जैसे ही अतरैठ बाजार में चेचक की बीमारी की सूचना मिली । क्षेत्रीय वैक्सीनेटर, बेसिक हेल्थ वर्कर, स्वास्थ्य निरीक्षक, तथा हेड क्वार्टर से टीका दरोगा, पेड अपरेंटिस वैक्सीनेटर तथा ऐपेडिमिक असिस्टेंट भेजे गये जिन्होंने अपने अथक प्रयास से चेचक का टीका लगाया और बीमारी का उन्मूलन किया ।

श्री मारकण्डे—

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि सूखाग्रस्त क्षेत्र में जो सरकार की ओर से कम्बल वगैरह दिये गये हैं संबंधित व्यक्तियों को नहीं बांटे गये हैं बल्कि विभागीय कर्मचारियों ने स्वयं अपने उपयोग में ले लिये हैं ? यदि यह सही है तो क्या सरकार उन कर्मचारियों के खिलाफ जांच कराकर उचित कार्यवाही करेगी ?

श्री प्रतापसिंह—

मान्यवर, मैं पहिले आपके द्वारा माननीय सदस्यों को यह सूचना देना चाहता हूं कि हमारे विभाग से कम्बल नहीं बांटे गये। हां बेबी फूड, पाउडर जरूर वितरित किये गये हैं । अगर वे भी ठीक से वितरित नहीं किये गये तो माननीय सदस्य इसको लिखित रूप में भेज दें, उसकी जांच करा ली जायेगी ।

जिला अस्पताल, झांसी में आपरेशन

*१०--श्रीमती बेनी बाई (जिला झांसी)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि झांसी जिला अस्पताल झांसी में अप्रैल, १९६६ से अप्रैल, १९६७ तक कुल कितने आपरेशन हुये हैं और कितने आपरेशन सिविल सर्जन द्वारा किये गये हैं ?

श्री कृष्ण बहादुर मिश्र—

जिला अस्पताल, झांसी में १ अप्रैल, १९६६ से ३० अप्रैल, १९६७ तक कुल ९८३ आपरेशन हुए जिसमें से १६ आपरेशन सिविल सर्जन द्वारा किये गये।

श्रीमती बेनीबाई--

इन आपरेशनों में कितने सफल और कितने असफल हुए ?

श्री प्रतापसिंह--

सभी सफल हुए हैं।

श्रीमती बेनी बाई--

इनमें कितने आपरेशन मेजर थे ?

श्री प्रतापसिंह--

परिवार नियोजन के हिसाब से सभी मेजर थे।

श्रीमती बेनीबाई--

मेरी सूचना मानकर कि कुछ सफल नहीं हुए, मंत्री जी फिर से जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री प्रतापसिंह--

जो प्रिविलैज माननीया सदस्यों को महिलाओं से पूछने का है वह मुझे नहीं है। अगर वह बतला सकेंगी तो मैं जरूर ऐक्शन लूंगा।

रामनगर वन खण्ड में चेक मुहर्रिर

*११—श्री गोपाल दत्त ओझा (जिला पिथौरागढ़)—

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला नैनीताल के रामनगर वन खंड के अन्तर्गत रेंज फतेहपुर में, सीजन १९६५-६६ के लिये स्थान कुसम खेड़ा में जो चैक मुहर्रिर रखा गया था, वह किस की आज्ञा से रखा गया था और इसके लिये कितना रुपया वन विभाग ने तनख्वाह के रूप में व्यय किया ?

वन उप-मंत्री (श्री ओमप्रकाश सिंह)—

१९६५-६६ सीजन के लिये फतेहपुर रेंज स्थान कुसुमखेड़ा में उप अरण्यपाल, रामनगर वन खंड की आज्ञा से चैक मुहर्रिर रखा गया था। इस मुहर्रिर के वेतन और महंगाई भत्ते में ३१८ रु० २१ पैसा व्यय हुआ।

*१२--श्री गोपालदत्त ओझा—

क्या मंत्री जी कृपया यह भी बतायेंगे कि इस चैक मोहर्रिर द्वारा १९६५-६६ के सीजन में कितनी लकड़ी चोरी से जाती हुई पकड़ी गई और इस वर्ष १९६६-६७ के सीजन में इसी स्थान पर कोई चैक मुहर्रिर न रखे जाने का क्या कारण है ?

श्री ओमप्रकाश सिंह--

इस चैक मुहर्रिर द्वारा १९६५-६६ के सीजन में दो साल के पेड़ों की अवैध निकासी रोकी गई और इस सिलसिले में तीन अदद लट्ठे जब्त किये गये। सन् १९६६-६७ के सीजन में इस कार्य के लिये कोई चैक मुहर्रिर नहीं रखा गया क्योंकि अवैध कटान एवं निकासी को रोकने के लिये तथा इस क्षेत्र के बनों की रक्षा के लिये अतिरिक्त फारेस्ट गार्ड रख दिया गया था।

श्री गोपालदत्त ओझा--

नियोजन अधिकारी के यहां पंजीकृत किये बिना ही रखा गया यदि हां, तो इसका नियम क्या है ?

वन मंत्री (श्री रामचन्द्र विकल)--

यह इतनी छोटी जगह है कि मुकामी अफसर अपनी मर्जी से रख लेते हैं।

श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)--

क्या माननीय वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो पेड़ अवैध रोके गये उनका वन अधिकारियों ने क्या किया ? यदि बेंचे गये तो कितने में ?

श्री रामचन्द्र विकल--

मूल्य ६५० रुपये अनुमान किया गया और उनका उपयोग किया।

कुमायूं वन तथ्य निरूपण समिति का प्रतिवेदन

*१३--श्री इन्द्रलाल तथा श्री गोपाल दत्त ओझा--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि शासकीय आदेश संख्या ३९५-१४, लखनऊ ७ अप्रैल, १९५९ के अन्तर्गत "कुमायूं वन तथ्य निरूपण समिति" का जो गठन हुआ था, उसने अपना प्रतिवेदन किस तारीख को सरकार के पास भेजा और उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री ओमप्रकाश सिंह--

कुमायूं वन तथ्य निरूपण समिति का प्रतिवेदन शासन को १०-१२-५९ को प्राप्त हुआ। समिति द्वारा की गई विभिन्न संस्तुतियों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही का संक्षिप्त† विवरण संलग्न है।

श्री इन्द्रलाल--

क्या यह सही है कि इसकी संस्तुति के पैरा १४४ के अनुसार आदेश का पालन विभागीय अधिकारी नहीं कर रहे हैं और काश्तकारों को सुविधा नहीं है ?

श्री रामचन्द्र विकल--

माननीय सदस्य कोई निश्चित सूचना देंगे तो जांच कराके उचित कार्यवाही की जायगी। जहां तक सरकार का संबंध है, सभी आदेश का पालन हो रहा है।

श्री गोपाल दत्त ओझा--

जब यह संस्तुति स्वीकृत हो गई है तो क्या कारण है कि अल्मोड़ा में २२० गांवों को, गढ़वाल में ५९ गांवों को और नैनीताल में ६३ गांवों को हकूक नहीं दिये गये हैं ?

---

†छापा नहीं गया।

श्री रामचन्द्र विकल--

नोटिस देंगे तो हम जांच करा लेंगे।

श्री राम दत्त (जिला नैनीताल)--

क्या निरूपण समिति ने सिफारिश की थी कुमायूं में किसानों को राइट्स पूर्ववत् रखे जाने चाहिये और इनका पालन नहीं हो रहा है।

श्री रामचन्द्र विकल--

अगर कोई निश्चित उदाहरण देंगे तो जांच करा ली जायगी।

*१४--श्री नेकराम शर्मा--

[६ वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

श्री नेकराम शर्मा--

मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। हेल्थ मिनिस्टर ने उस दिन बड़ा इरेंसपांसिबिल और मिसचीवस उत्तर दिया था। आज भी जानबूझकर इसे स्थगित कराया है। बाहर से इत्तिला मंगाने की बात नहीं है। अगर यह जवाब नहीं दे सकते हैं तो मैं ब्रीच आफ प्रिविलेज का नोटिस देता हूं।

श्री प्रतापसिंह--

मैं यह नहीं जानता कि माननीय सदस्य ने क्यों इरेंसपांसिविल और मिसचीवस शब्दों का प्रयोग किया है। वह इन शब्दों को वापस लें।

श्री अध्यक्ष--

इन शब्दों का प्रयोग न होता तो ज्यादा उचित था। जब से माननीय सदस्यों ने शिकायत की है, मैंने अपना नियम यह बना लिया है कि सरकार से प्रश्नों के स्थगन की प्रार्थनाओं को स्वयं देखता हूं संतुष्ट होने पर ही मैं समय देता हूं। कल केवल एक विशेष परिस्थिति में जिसमें मैं था, अपने कक्ष में मैं स्वयं नहीं देख पाया परन्तु अब उसके जवाब शीघ्र आ जावेंगे। इसमें कोई और बात सोचना ठीक नहीं होगा।

श्री प्रतापसिंह--

वे अपने शब्द वापस लें। वह १५ साल से यहां हैं।

श्री अध्यक्ष--

मैंने उस पर अपनी टिप्पणी कर दी। मंत्री महोदय को उन शब्दों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिये जिन्हें वह स्वयं अनुचित समझते हैं।

*१५--श्री हरीसिंह (जिला बुलन्दशहर)--

[६ वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

डफरिन अस्पताल, लखनऊ में शय्याओं की व्यवस्था

*१६--श्री राधेश्याम कपूर (जिला लखनऊ)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डफरिन अस्पताल, लखनऊ में कितनी शय्याओं की व्यवस्था है और ६ मई, १९६७ को उक्त अस्पताल में कितनी जच्चायें ऐसी थीं जिनको शय्याओं के अभाव में जमीन पर लिटाया गया ?

श्री कृष्ण बाहादुर मिश्र—

डफरिन अस्पताल, लखनऊ में १४७ शय्याओं की व्यवस्था है। ६ मई, १९६७ को उक्त अस्पताल में ५३ जच्चायें ऐसी थीं जिनको शय्याओं के अभाव में जमीन पर लिटाया गया था।

*१७—श्री राधेश्याम कपूर—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि डफरिन अस्पताल, लखनऊ में शय्याओं की संख्या बढ़ाने के सम्बन्ध में प्राक्कलन भी तैयार हो गये थे ? यदि हां, तो अब तक अस्पताल में उपयुक्त संख्या में शय्यायें उपलब्ध न करने के क्या कारण हैं ?

श्री कृष्ण बहादुर मिश्र—

डफरिन अस्पताल, लखनऊ में २४ अतिरिक्त शय्याओं के आरम्भिक प्राक्कलन (प्रिलिमिनरी एस्टीमेट्स) तैयार कराये गये थे पर चूंकि वे एक बड़ी स्कीम के अंग थे, जिसके विषय में कुछ और विचार होना था, इसलिये उन्हें १९६७-६८ के बजट में शामिल नहीं कराया जा सका।

श्री राधेश्याम कपूर—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि आबादी के हिसाब से लखनऊ के अस्पतालों में कितनी शय्या होनी चाहिये, जब कि यहां जिले से भी लोग आते हैं ?

श्री प्रतापसिंह—

मान्यवर, यह प्रश्न राजधानी से संबंधित है, इसके बारे में कुछ प्रकाश डालना चाहता हूं। कल मैं फिर डफरिन अस्पताल गया और वहां की हालत को देखा। माननीय गुप्ता जी और उनके साथियों ने इस अस्पताल में पिछले २० वर्षों में कोई नया निर्माण नहीं कराया। आज भी मान्यवर, एक कमरे में जहां १० शय्याओं की जगह है वहां ३० पेशेंट्स हैं। दूसरी चीज यह है कि वहां पर पानी की जो टंकी बनी हुई है वह १०० वर्ष पुरानी होगी उसमें से पानी नीचे को बह रहा है। नगरपालिका से कई बार निवेदन किया गया है लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। मैं नहीं समझ पाया कि राजधानी के इस अस्पताल की पिछले स्वास्थ्य मंत्रियों और स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्यों इतनी उपेक्षा रही। यह प्रशासन और विभाग इस बारे में बहुत चिंतित है और उसके बारे में कुछ करने पर विचार कर रहा है। मैं माननीय सदस्य का आभारी हूं कि उन्होंने मेरा ध्यान इस ओर दिलाया।

श्री राधेश्याम कपूर—

क्या माननीय मंत्री को मालूम है कि इस अस्पताल में डाक्टरों की भी कमी है, उसका नतीजा यह है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय डाक्टर वहां उपलब्ध नहीं होता ?

श्री प्रतापसिंह—

इस अस्पताल में इस समय आज की तारीख में डाक्टर की कमी नहीं है। इस समय इस अस्पताल में सुपरिंटेंडेंट ग्रेड के दो डाक्टर रखे हुये हैं ताकि मरीजों को सुविधा न हो।

श्री अयोध्या प्रसाद आर्य—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि गुप्ता जी की सरकार ने २० वर्षों में कुछ नहीं किया लेकिन जब मंत्री जी उसको देखने गये तो उसके बाद से उन्होंने उसकी उन्नति के लिये क्या कदम उठाया .

श्री प्रतापसिंह—

विभाग इस बात के लिये चिन्तित है कि किस प्रकार से वहां वार्डों और शय्याओं को बढ़ाया जाय। एक दिन के अन्दर इतना ही पर्याप्त है।

देवरिया जिले में चेचक की रोकथाम

*१८--श्री रामनरेश पांडेय--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला देवरिया के अन्तर्गत फाजिल नगर, तमकुही, सेवरही, कसया, दुद्धी ब्लाक में जनवरी, १९६७ से २८ जून, १९६७ तक चेचक से कुल कितनी मौतें हुयीं ? इसकी रोक थाम के लिये सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री कृष्ण बहादुर मिश्र--

देवरिया जिले के अन्तर्गत फाजिलनगर, तमकुही, सेवरही तथा कसया विकास खंडों में १ जनवरी, १९६७ से २८ जून, १९६७ तक क्रमशः ११,२८,११, १ व्यक्तियों की चेचक से मृत्यु हुई। विकास खंड दुद्धी में चेचक की बीमारी से किसी के रोगी होने की सूचना नहीं मिली ।

बीमारी की सूचना पाते ही स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने यथासम्भव चेचक निरोधक कार्य किया ।

श्री रामनरेश पांडेय--

मान्यवर, अधिकारियों की तत्परता और मौसम के बदलाव के कारण इस समय तो चेचक काबू में आ गयी है लेकिन माननीय मंत्री जी ने बताया कि प्रिवेंटिव मेजर्स से उस को कंट्रोल किया जायगा, तो क्या उसके लिए पुराने निकाले हुए वेक्सीनेटरों को वापस लेने पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री प्रतापसिंह--

प्रत्येक ब्लाक में ७ आदमी नये एप्वाइंट करने के बाद निकाले हुओं में से एक-एक को योग्यता के अनुसार लेने पर विचार किया जा रहा है।

दर्शक दीर्घाओं के लिए प्रवेश-पत्र न दिये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री अध्यक्ष--

अब आइटम ३ में मेरे पास....

श्री चेतराम पचपेड़ा (जिला बरेली)--

अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा प्रश्न यह है कि इससे पहले हम देखते थे कि सामने की दीर्घायें दर्शकों से भरी रहती थीं और कल सदन में कुछ ऐसी खेदजनक स्थिति पैदा हुई जिसके कारण आपने मना कर दिया। बहुत से लोग हमारे जिलों के आये हुये थे, हम यहां आते हैं तो हमारे क्षेत्रों की जनता आशा करती है जो कुछ हम यहां करते हैं उसका वह निरीक्षण करें और देखें। मैं आप से जानना चाहूंगा कि क्या आप के आदेश ऐसे हैं या बिना आपके आदेश के कर्मचारी वर्ग की ओर से यह व्यवस्था हुई है ?

श्री अध्यक्ष--

आपकी जानकारी की इच्छा ठीक है। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि मेरे ही ऐसे आदेश थे और बिना मेरे आदेश के कोई ऐसे आदेश नहीं दे सकता और न वह खाली हो सकती

हैं। मैंने सोच समझ कर जो स्थिति थी और उसमें जो आशंकायें और सम्भावनायें हो सकती थीं उनको बिना पर ऐसा किया है। साधारणतः यह जनता का अधिकार है और हमेशा रहेगा और ऐसा एक विशेष परिस्थिति में ही किया गया है।

श्री रमाशंकर अग्रवाल (जिला आगरा)—

क्या ऐसा केवल आज के लिये ही किया गया है ?

श्री अध्यक्ष—

इस वक्त तो आज के लिये ही किया है।

विभाजन के समय अपने-अपने दल के पक्ष में मत देने के लिये कथित दबाव डालने के सम्बन्ध में श्री बनारसीदास, श्री केदार राज जंग, बहादुर राणा और श्री सुरेन्द्र विक्रम तथा स्वायत्त शासन मंत्री, श्री वरमेश्वर पांडेय, श्री भुवनेश भूषण एवं श्री मलिखानसिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास ३ विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न आये हैं। सदन में जो कल घटनायें हुई उनसे यह सम्बन्धित है। साधारणतया मैंने यत्न किया कि जो विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न मेरे पास आयें उनके विषय में जहां तक सम्भव है मैं अपने कक्ष में ही माननीय सदस्यों से बात करूंगा और अगर आवश्यक होगा तो यहां चर्चा करूंगा। लेकिन यह घटनायें चूंकि सदन के सामने की ही थीं इसलिये मैं इन तीनों को पढ़े देता हूं और इन पर अपनी सम्मति बाद में बताऊंगा। एक तो यह मेरे पास श्री भगौती प्रसाद की ओर से आया है कि कल दिनांक २५ जुलाई, सन् ६७ को दिन में लगभग २.१५ बजे जबकि मैं आदरणीय सदन में आने के लिये कांग्रेस पक्ष की लाबी के मार्ग से जा रहा था मुझे लाबी के भीतर माननीय बनारसी दास तथा माननीय केदार राज जंग बहादर राणा तथा सुरेन्द्र विक्रम सिंह, सभी विधान सभा सदस्य, ने जबरदस्ती पकड़ लिया तथा कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने के लिये दबाव डालने लगे। मैं इस काम के लिये तैयार नहीं हुआ तब उन्होंने अपनी लाबी में मुझे जबरदस्ती पकड़ कर बिठाल लिया तथा धमकियां देने लगे। इस बीच मेरे दल के माननीय गजाधर प्रसाद आर्य तथा माननीय दृगराज सिंह तथा माननीय कृष्ण लाल भदौरिया किसी कारण वहां आ गये तथा उन्होंने मुझे छुड़ाया।

इस प्रकार माननीय बनारसीदास, माननीय केदारराज जंग बहादर राणा तथा माननीय सुरेन्द्र विक्रम सिंह ने जबरन मुझे स्वतंत्र रीति से मतदान न करने के लिये बाध्य करके विशेषाधिकार की अवहेलना की है। इससे आदरणीय सदन की अवमानना होती है। अस्तु मैं माननीय बनारसी दास, केदारराज जंग बहादुर राणा तथा माननीय सुरेन्द्र विक्रम सिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना देता हूं।'

एक दूसरा यह मेरे पास श्री राज बहादुर चन्द का आया है वह इस प्रकार है—कल दिनांक २५-७-६७ को मत विभाजन के समय माननीय सदस्य श्री नरदेव सिंह तथा बसन्तलाल जब सदन से उठ कर अपना मत व्यक्त करने के लिये लाबी में जाने लगे तब सर्वश्री माननीय सदस्य वरमेश्वर पांडेय, भुवनेशभूषण तथा मलिखान सिंह ने उन्हें रोका और हाथ पकड़ कर खींचा तथा हां पक्ष की ओर की लाबी में जबरदस्ती खींच कर ले जाने लगे जिस के फलस्वरूप

[श्री अध्यक्ष]

वातावरण उत्तेजित हो गया और माननीय प्रेमदत्त तथा शिवनाथ सिंह और अन्य सदस्य जो श्री नरदेव सिंह को बचाना चाहे और सर्वश्री वरमेश्वर पांडेय आदि को इस प्रकार जबरदस्ती सदन के कार्य में अवरोध डालने से रोकने की चेष्टा की जिस पर उपरोक्त सदस्यों ने इनके विरुद्ध भी बल प्रयोग किया और लात, घूसे, थप्पड़ आदि चलाये। श्री वरमेश्वर पांडेय ने चप्पल उतार कर मारना शुरू कर दिया और लातें चलाई जिससे श्री प्रेमदत्त को गम्भीर चोट आई और वे थोड़ी ही देर में बेहोश हो गये इस प्रकार उपरोक्त श्री वरमेश्वर पांडेय आदि सदस्यों ने सर्वश्री नरदेव तथा बसन्तलाल के सदन की सेवा कार्य में अवरोध उपस्थित किया और श्री प्रेम दत्त तिवारी, श्री शिवनाथ सिंह तथा अन्य माननीय सदस्यों को चोटें पहुंचा कर सदन के कार्य में बाधा डाली।

इस प्रकार सर्वश्री वरमेश्वर पांडेय, स्वायत्त शासन मंत्री, माननीय मलिखान सिंह, माननीय भुवनेशभूषण शर्मा ने सदन के उपरोक्त सदस्यों को सदन की सेवा में अवरोध उपस्थित किया, विशेषाधिकार की अवहेलना की एवं सदन का अवमान किया।

'नेशनल हेराल्ड' में प्रकाशित कथित गलत वक्तव्य के संबंध में श्री चन्द्रभानु गुप्त आदि के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक तीसरा विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न आया जो कुछ लेट जरूर आया है लेकिन वह भी पहले विषय से सम्बन्धित है। इसको भी मैं पढ़े देता हूं। यह माननीय अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश", अश्वनी कुमार शुक्ल तथा भृगुनाथ द्वारा हस्ताक्षरित है। इसमें लिखा है--सम्मानित पत्र नेशनल हैराल्ड, बुधवार, २६ जुलाई, १९६७, पृष्ठ ६ कालम ६ में प्रकाशित, माननीय सदस्यों श्री बसंत लाल तथा श्री जी० एस० दत्ता के वक्तव्यों में गलत बयानी पढ़ कर आश्चर्य एवं कष्ट का अनुभव हुआ। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की कहावत चरितार्थ हुई। हमने तथा हमारे किसी साथी ने श्री बसन्त लाल को नहीं मारा पीटा। न ही मुझे कांग्रेस लाबी से बाहर फेंका गया। केवल हमारे अधिकार का हनन करते हुए माननीय कांग्रेस सदस्यों ने धक्का देना शुरू किया और तब मुक्कों का प्रयोग शुरू हुआ। यह भी सदन का अवमान है कि किसी माननीय सदस्य के हाथ में खंजर देखा। यह सभी कुछ बहुमत न होने के कारण श्री चन्द्रभानु गुप्त तथा श्री बनारसी दास का कुचक्र था।

अतएव, हम श्री चन्द्रभानु गुप्त, श्री बनारसी दास, श्री बसन्त लाल तथा श्री एस० जी० दत्त आदि के विरुद्ध विशेषाधिकार अवहेलना का तथा सदन के अवमान की सूचना देते हैं।

इस विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न में एक तो समय की बात आयी और दूसरी कमी इसमें यह है, जैसा कि मैंने सदन में कई बार कहा है कि जब किसी लेख का प्रश्न उसमें आये तो उसक संलग्न करना परमावश्यक होता है। जब तक वह संलग्न न हो, तब तक वह अधूरा माना जाता है। एक बार विशेषाधिकार का प्रश्न हाउस आफ कामन्स में आया। उसमें भी यह हुआ कि उसमें जो प्रोसीडिंग्स के अतिरिक्त दूसरी बात करते हैं, वह संलग्न हो। तो यह आवश्यक हो जाता है कि जितनी कम्प्लायन्स रूल्स की तत्संबंधी हो, उनको, पूर्णरूपेण पालन नहीं होता है तो उसको ग्राह्य न मानूं।

विभाजन के समय अपने-अपने दल के पक्ष में मत देने के लिए कथित दबाव डालने के संबंध में श्री बनारसीदास, श्री केदार राज, जंग बहादुर राणा और श्री सुरेन्द्र विक्रम तथा स्वायत्तशासन मंत्री, श्री वरमेश्वर पांडेय, श्री भुवनेशभूषण एवं श्री मलिखान सिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचनायें (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—

अब जो दो शेष सूचनायें हैं, उनके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह कुछ बड़ी दुखद घटना हमारे सदन में हुयी, पर संतोष की एक बात है कि माननीय नेता विरोधी दल और माननीय नेता सदन, दोनों ने ही कल उस घटना के फौरन बाद उसके ऊपर अपने विचार व्यक्त किये और वे विचार ऐसे थे कि अगर माननीय सदस्य उनको ग्रहण करें तो कदाचित ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो और जो खेद उन्होंने प्रकट किया वह सब का खेद प्रकाश हो जाता है। मैंने स्वयं भी इस घटना के लिये खेद प्रकट किया क्योंकि मुझे दुख हुआ लेकिन मैंने यह कहा था कि यह घटना कैसे घटी यह जांच करना बहुत कठिन और असंभव है कि किसने क्या किया और किसकी कितनी गल्ती की, किसने शुरूआत की। मैं यहां पर सबसे ऊंची जगह पर बैठा था लेकिन मैं भी यह नहीं देख पाया कि किसने शुरुआत की। कई बातें तो मैंने आज अखबारों में पढ़ी जो कई माननीय सदस्यों ने भी बतायी। तो ऐसे विषय पर मैं अनुमति चाहूंगा कि जो माननीय सदस्यों के दोनों प्रश्न मेरे सामने आये हैं, वे इन पर आग्रह न करें और वे उनको वापस ले लें, माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल के और बाद में मैंने जो विचार व्यक्त किये हैं, उनके प्रकाश में, तो मैं उनका आभारी हूंगा।

*श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—

श्रीमन्, जो आग्रह आपने किया, उसके बारे में तो सदस्य अपने उत्तर देने पर मान्यवर मेरा एक निवेदन था। आपकी बड़ी कृपा और अनुकम्पा है कि आप हर चीज को बड़ी उदारता के साथ देखते हैं और इस बात की चेष्टा करते हैं कि सदन में किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो परन्तु मान्यवर, मेरा आप से यह निवेदन है कि आप इन दोनों विशेषाधिकार के प्रश्नों को विशेषाधिकार समिति को भेज दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। एक हद की बात है कि अगर माननीय सदस्य चप्पल निकाल कर खड़े हो जायं सदन के अन्दर, वाकया सही है या नहीं यह तो समिति छानबीन करेगी, और आप ने एक बात कही कि बहुत सी बातें आप ने देखी नहीं यहां से, मगर जो उस गुत्थम गुत्था में थे वे तो चश्मदीद गवाह हैं, उन्होंने देखा है।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि मुझे तो एक परेशानी यह है कि जिस प्रकार से यह हो रहा है सदन में आवागमन इसके बाद माननीय सदस्यों के विशेषाधिकार क्या क्या बाकी रह जाते हैं, कौन किसको फुसलाता है, किस को गुमराह करता है, अगर आप की इतनी कृपा हो जाय कि शाम को किसी दिन दारुलशफा में तशरीफ ले जायं तो आपको मालूम हो जायगा कि हम में से कितने आदमी हैं, कहां-कहां घूमते हैं और किस-किस को किडनैप और सेड्यूस करते हैं, तो यह सब काम चल रहा है मंत्रियों द्वारा। तो मेरा एक ही निवेदन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नवल किशोर]

है, जो आप आज्ञा देंगे वह होगा ही, लेकिन कम से कम इन मसलों को विशेषाधिकार समिति को भेज दें, इन दोनों मसलों को समिति को भेज दिया जाय ताकि छानबीन हो जाय कि कौन साहब कहां पर हैं ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय भगौती प्रसाद और माननीय राज बहादुर चन्द कदाचित् इस सदन में होंगे। मैं कहना चाहता हूं कि कभी मुझ से कहा गया कि विशेषाधिकार समिति निष्क्रिय हुई जा रही है, लेकिन मैं आप को बताता हूं कि बड़ी दुखद घटना इस सदन में हुई। माननीय नवल किशोर ने जो कहा वह ठीक है लेकिन एक बात प्रत्यक्ष है कि दोनों पक्ष थे और तनाव था, उसमें कुछ अशोभनीय बातें हुईं यह निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं, जिससे हमारी विधान सभा की गरिमा और मर्यादा को ठेस लगी। जैसा कल कहा गया था कि एक गर्व सा अनुभव हो रहा था कि अपनी विधान सभा कदाचित देश में सबसे अधिक नियंत्रित ढंग से चल रही थी, मैं समझता हूं कि वैसा कहने में अब कोई बल नहीं रहता है। मैं कहता हूं कि यह जो कुछ कल हुआ उसको क्या जानकारी हो सकेगी और उससे क्या फायदा होगा, दोनों तरफ से आरोप और प्रत्यारोप करेंगे। तो मैं व्यवस्था नहीं दे रहा हूं, बल्कि सुझाव देता हूं कि इस घटना को समाप्त करने में शायद जो वातावरण सदन में है उसमें लाभ होगा, ऐसा मेरा विचार है।

श्री प्रतापनारायण तिवारी (जिला गोंडा)—

श्रीमन्, उधर से जो बात माननीय नवल किशोर जी ने कही, मैं भी यह समझता हूं और चाहता हूं, वैसे तो जो कुछ कल हुआ उसके लिये सभी दुखी हैं, लेकिन यदि उधर से यह आग्रह है कि यह मसला विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाय तो मैं समझता हूं कि उचित ही होगा और उसके सामने जब बातें जायेंगी तो स्पष्ट हो जायगा कि किसकी ज्यादती थी। माननीय भगवती प्रसाद जी ने जो विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है मैं स्वयं वहां पर मौजूद था और मैंने देखा किस तरह से माननीय बनारसी दास ऐसे वरिष्ठ सदस्य....

श्री अध्यक्ष—

आप अपनी बात कहें।

श्री प्रतापनारायण तिवारी—

मैं चाहूंगा कि आप उस आग्रह को स्वीकार कर लें।

श्री अध्यक्ष—

(माननीय चन्द्रबली के खड़े होने पर) आप कृपया बैठें। सदन में व्यवस्था कायम करना मेरा काम है। आप इस बात पर और विचार कर लें कि अगर प्रिविलेज कमेटी इस निश्चय पर आये कि किसी माननीय सदस्य ने कोई गलती की है तो वह क्या सजा दे सकती है, उनकी भर्त्सना ही तो कर सकती है। वह कल हो चुका है। अब बहुत विवेचना से कुछ फायदा होगा और व्यवस्था को बल मिलेगा, तो मैं उसे देखूंगा।

श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, दोनों तरफ से विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न आये हैं और साथ ही दोनों तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि खेद का विषय है। तो मेरी समझ में नहीं आया कि यह मामला क्यों बढ़ाया जा रहा है, क्यों नहीं दोनों तरफ के लोग इसे वापस ले लेते ?

श्री अध्यक्ष—

यही तो मैं कह रहा हूं।

श्री राज बहादुर चन्द (जिला बस्ती)—

अध्यक्ष महोदय, आपने जो बातें कहीं वे अच्छी बातें हैं, परन्तु मैं यह देख रहा हूं कि सदन में जो परम्परायें कायम हो रही हैं वे बहुत भयावह हैं। आप देखें कि कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर इस सदन में . . .

श्री अध्यक्ष—

मैं घटना पर बोलने की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री राज बहादुर चन्द—

मैं यह चाहता हूं कि यह मसला विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द किया जाय ताकि जो जिम्मेदार लोग इसके लिये जिम्मेदार है उनकी व्यक्तिगत रूप से प्रताड़ना हो सके। आपने जो प्रकाश किया वह सामूहिक रूप से किया। इस तरह की घटनायें भविष्य में न हों इसके लिये यह आवश्यक है कि जो भी अपराधी पाया जाय उसकी प्रताड़ना व्यक्तिगत रूप से हो।

श्री भगौती प्रसाद वर्मा (जिला सीतापुर)—

अध्यक्ष महोदय, जिस तरह की बातें दोनों तरफ से जांच के सम्बन्ध में कही जा रही हैं, मैं समझता हूं कि लड़ाई से शान्ति नहीं हो सकती, मेरे भी काफी चोट आई है।

श्री अध्यक्ष—

आप यह राय दें कि आपका जो प्रस्ताव है उसे विशेषाधिकार समिति के सामने भेजा जाय या नहीं।

श्री रमा शंकर अग्रवाल—

यह वह भगौती प्रसाद जी नहीं हैं ?

श्री भगौती—

अध्यक्ष महोदय, मैं वापस नहीं लेना चाहता।

श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश" (जिला मिर्जापुर)—

मुझे यह निवेदन करना है. . . .

श्री अध्यक्ष—

मैंने आपके प्रस्ताव को अवैध घोषित कर दिया है।

श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश"—

मुझे कुछ कहने का अधिकार तो है ही। आपने कहा था कि अभी अन्तिम निर्णय नहीं दिया है।

श्री अध्यक्ष—

जो दो हैं उनके बारे में कहा था कि कोई अन्तिम व्यवस्था मैंने नहीं दी है, लेकिन आपका जो है उसके बारे में मैंने व्यवस्था दे दी थी कि कुछ कानूनी कमियों के कारण उसे मैंने अस्वीकार कर दिया है।

श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश"—

सारी की सारी चीजें सदन के सामने घटित हुई हैं। मुझे आप कुछ निवेदन करने दें।

श्री अध्यक्ष—

जो दो विशेषाधिकार के प्रश्न हैं उन पर आप कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। लेकिन कल की घटना पर कुछ आप कहना चाहें तो मैं उसके लिये इजाजत नहीं दूंगा।

श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश"—

जैसा मुझे पता चला है सदन के सामने यह घटना घटित हुई है इसलिये यह मामला आपने यहां पर लिया है।

श्री अध्यक्ष—

मैं कल की घटना के बारे में आपको अनुमति नहीं देता हूं और आपका जो प्रिविलेज का क्वेश्चन था उसके विषय में भी नहीं देता। तो फिर अब कौन सा विषय रह गया?

श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश"—

उसमें जो आपने फैसला कर दिया वह मुझे शिरोधार्य है, लेकिन उसके बावजूद आप मुझे कुछ कहने का मौका दे सकेंगे? अगर माननीय सदस्य कुछ कह सकते हैं तो मुझे भी आप मौका देंगे दो मिनट का।

श्री अध्यक्ष—

मैंने उस सिलसिले में नहीं मौका दिया है। जो दो विशेषाधिकार के प्रश्न मेरे सामने हैं उस सिलसिले में अगर आप कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं।

श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश"—

मैं उसके सम्बन्ध में ही कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

लेकिन उससे आगे न बढ़िएगा।

श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश"—

मेरी अपनी राय है कि उसको विशेषाधिकार समिति को दे दिया जाय और उसका कारण है .....

श्री अध्यक्ष—

मैं आपकी बात को शायद इतने से ही पूर्ण कर सकूं। (श्री अश्वनीकुमार चतुर्वेदी "राकेश" के बोलते रहने पर) मैं अपनी राय शायद इतने से ही बदल दूं। आप बैठें।

श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश"—

मुझे इस बात का कष्ट है और मैं इस बात को बता दूं कि जो कुछ हुआ वह सभी के लिये दुःख की बात है। इसीलिये मैं इस बात को कह रहा कि हमें जिन आधारों को लेकर आपने खारिज कर दिया वह शिरोधार्य है। आप हमारे मामले को विशेषाधिकार समिति को न दें, लेकिन इन दो मामलों को क्योंकि इनके पीछे एक बहुत बड़ी घटना हो चुकी है और जैसा कि अभी आपने कहा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, केवल प्रताड़ना या भर्त्सना की जा सकती है।

श्री अध्यक्ष—

अब आप बैठिये, मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश"—

अपनी बात को कहने का तो अधिकार देंगे।

श्री अध्यक्ष—

कहने का जहां अवसर होगा, वहां दूंगा। इस वक्त अवसर नहीं है।

कतिपय विषय

श्री अश्वनी कुमार (जिला गोरखपुर)—

मैं एक सूचना दे रहा हूं। मैं बहुत कमजोर आदमी हूं। यह जो नाम की गड़बड़ी है मेरा नाम बिला वजह घसीटा जाता है उससे बचा समझा जाय कि मेरा ही नाम अश्वनी कुमार "राकेश" है और अखबार में सब जगह अश्वनीकुमार, अश्वनीकुमार। तो इसको आप व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष—

मैं नहीं जानता कि आपका सौभाग्य है या दुर्भाग्य है कि आपका भी नाम वही है जो अश्वनीकुमार "राकेश" का है....

श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)—

अभी आपने घोषणा की थी कि दर्शक दीर्घा के पास मैंने बन्द कर दिये हैं। तो क्या आपने फिर आदेश दे दिये हैं ?

श्री अध्यक्ष—

अभी आप बैठिये, यह इस विषय से संबंधित नहीं है। जो व्यवस्था की है उसके अन्तर्गत सब कार्य हुआ है। गवर्नर के बाक्स पर गवर्नर का अधिकार होता है, मेरा नहीं। उनके राइट पर मैंने कोई इन्क्रोचमेंट नहीं किया है। इसके अलावा जो एम० एल० सीज बैठते हैं उनके राइट पर भी किसी हालत में इन्क्रोचमेन्ट नहीं करूंगा। सीक्रेट सेशन भी जब हाउस आफ कामन्स का हुआ है तो उनको यह प्रिविलेज था कि वे हाउस की प्रोसीडिंग्स को वाच करें। उनका यह राइट सुरक्षित रखा गया है और आज भी सुरक्षित है।

श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)—

दर्शक गैलरी जो ऊपर नीचे हैं उससे मुझे भी शिकायत है कि गवर्नर महोदय तथा इस सदन के लोग अगर अपनी बीवी, बेटियों को वह सुविधा दिलाते हैं तो यह निश्चित तौर पर हमारे बेटे, बेटियों का अपमान है और इस व्यवस्था को गवर्नर के नाम पर आप बनाये रखें मैं इसे बर्दाश्त करना पसन्द नहीं करता कि हमारी बेटी, बहुयें तो ऊपर से भी न देख सकें और किसी दूसरे की बेटी, बहुयें जिसका गवर्नर से नाता हो वह देखे यह मुझे कतई पसन्द नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको न कहना भी अच्छा होता है। मैं इसके बारे में विचार विमर्श कर लूंगा, लेकिन राज्यपाल की कुछ विशेष मान्यतायें संविधान में दी हुई हैं तो उसके ऊपर मेरा कोई अधिकार नहीं है। संविधान में जो मान्यतायें दी हुई हैं उन पर मैं विवाद नहीं चाहता। मैं और आप बात कर लेंगे। मैं समझता हूं कि उससे आपको अवश्य संतोष होगा। संविधान में जो मान्यतायें दी हुई हैं उस पर न आप एतराज कर सकते हैं और न मैं कर सकता हूं।

श्री राम आसरे (जिला बाराबंकी)—

अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न मैंने भी दिया था....

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा करके बैठ जायें। जब मैं बोल रहा हूं तो मेरे बोलते हुये आपका खड़ा होना अनुचित है। पहले मेरी बात समाप्त हो जाय। उसके बाद अगर आपकी कोई बात होगी तो मैं उसे सुनूंगा। माननीय टम्बरेश्वर प्रसाद जी आप क्यों खड़े हो गये? जब मैं बोलना शुरू कर चुका हूं तो जब तक मैं अपनी बात पूरी न कर लूं, आपके ऊपर भी वही बात लागू होती है।

विभाजन के समय अपने अपने दल के पक्ष में मत देने के लिए कथित दबाव डालने के संबंध में श्री बनारसी दास, श्री केदार राज जंग बहादुर राणा और श्री सुरेन्द्र विक्रम तथा स्वायत्त शासनमंत्री श्री वरमेश्वर पांडेय, श्री भुवनेशभूषण एवं श्री मलिखान सिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—

मेरे सामने दो विशेषाधिकार के प्रश्न आये हैं। उस पर मेरी एक भावना है, उसे मैंने सदन के सामने रखा। मैंने दोनों जो प्रश्न कर्ता हैं उनसे पूछा और दोनों तरफ के सदस्यों ने कहा कि इसे विशेषाधिकार समिति में अवश्य जाना चाहिये।

एक बात प्राग्दर्शन से सिद्ध है कि कल दुर्घटना हुई और कुछ अशोभनीय बात हुई। अब यह बात जांच का विषय होगी कि किसके जरिये हुई, कौन सा आरोप सही है। तो मैं इसको विशेषाधिकार समिति के लिये भेजता हूं।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना के सम्बन्ध में जानकारी

श्री रामआसरे (जिला बाराबंकी)—

श्रीमन्, आपने तीन विशेषाधिकार के प्रश्न को पढ़ कर तो सदन में सुनाया और चौथा विशेषाधिकार का प्रश्न माननीय अंगने लाल जी न जो जनसंघ के एक नये सदस्य हैं उन्होंने भी दिया था जिसका आपने कोई जिक्र नहीं किया। १७ तारीख की शाम को उनके कमरे में कुछ लोग....

श्री अध्यक्ष—

माननीय राम आसरे जी, आप कृपा करके बैठें। अगर माननीय सदस्य अपने हाथ में अधिकार ले लेंगे और खड़े होकर जो कुछ कहना चाहें कहने लगें तो यह अनुचित होगा।

श्री राम आसरे—

मेरी बात तो आप सुनें।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा करके बैठ जायं। मैं आपको अनुमति नहीं देता हूं। अब जो कुछ आप कहेंगे वह प्रोसीडिंग्स का पार्ट नहीं होगा।

पहले वह बात मैं समाप्त कर दूं। माननीय अंगने लाल जी ने जो मुझे विशेषाधिकार का प्रश्न दिया, उसके बारे में मैंने सदन में कहा था कि मैं उनसे कक्ष में बात करूंगा। मैंने बात की और उनसे मैंने एक प्रश्न पूछा था कि वे उसका जवाब दें। उन्होंने वायदा किया है कि वे इसकी सूचना दे देंगे। मैंने यह पूछा था कि जिन माननीय सदस्यों के प्रति आरोप हैं, क्या आपने उन्हें सूचना दे दी है? उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री करके भेजा है। वे मुझे रसीद लाकर दिखला देंगे तो फिर मैं उस पर उचित कार्यवाही करूंगा।

विभाजन के समय अपने अपने दल के पक्ष में मत देने के लिए कथित दबाव डालने के सम्बन्ध में श्री बनारसी दास, श्री केदारराज जंग बहादुर राणा और श्री सुरेन्द्र विक्रम तथा स्वायत्त शासन मंत्री, श्री वरमेश्वर पांडेय, श्री भुवनेश भूषण एवं श्री मलिखान सिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचनाएं

सिंचाई मंत्री (श्री टम्बरेश्वर प्रसाद)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय नवलकिशोर जी ने कहा कि मंत्रि-गण आजकल दारुलशफा में बहुत दिखलाई पड़ते हैं। एक तो जुल्म यह है कि वे बंगले में रहें और हम कमरे में रहें और वहां दिखलाई भी न पड़ें। दूसरी बात यह है कि अभी भी हमारे बहुत से साथी वहीं पर हैं जिनसे मिलने जुलने के लिये जाते हैं। किसी बदनीयती से नहीं जाते हैं। तो माननीय नवलकिशोर जी जरा हमारे ऊपर कृपा करें।

श्री नवल किशोर—

श्रीमन्, इतना मैं बतला दूं कि माननीय टम्बरेश्वर प्रसाद जी को कि ख्वामख्वाह के लिये मैंने कोई शिकायत नहीं की है। मेरी मंशा उन मंत्रियों से है जिनके पास आलरेडी बंगले मिले हुये हैं।

कतिपय विषय (क्रमागत)

श्री जितेन्द्र नाथ मिश्र (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, मैंने एक सूचना दी थी कि मैं संविद में शामिल हो गया हूं। तो इसकी सूचना आपने सदन को नहीं दी है।

श्री अध्यक्ष—

उसके बारे में मैं कल कह चुका हूं कि बहुत सी सूचनायें आती हैं, लेकिन मैंने उसके लिये थोड़ा सा समय दिया है कि माननीय सदस्य अपना मन स्थिर कर लें। इसलिये मैं उसको कल पढ़ कर सुनाऊंगा।

(व्यवधान)

उर्दू के संरक्षण के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री की घोषणा

*मुख्य मंत्री (श्री चरणसिंह)—

मैंने यह अर्ज किया कि गवर्नमेंट ने अभी एक फैसला लिया है। बजाय इसके कि हम प्रेस में घोषणा करें मुनासिब यह है कि पहले सदन को अवगत करा दिया जाय।

इस प्रदेश में शिक्षा और प्रशासनिक क्षेत्रों में भाषायी अल्प संख्यकों को जिसमें अधिकांश उर्दू बोलने वाले हैं, अनेक सुविधायें दी गई हैं और संरक्षण प्रदान किये गये हैं। सरकार का यह सदैव से प्रयास रहा है कि इन संरक्षणों को पूरी तरह से कार्यान्वित किया जाय जिससे विशेष कर उर्दू बोलनेवाले लोगों को कोई कठिनाई न हो और वे अपनी भाषा अपनी रुचि के अनुसार पढ़ सकें और उसका इस्तेमाल कर सकें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

[श्री चरणसिंह]—

सरकार भाषायी अल्प संख्यकों की हर जायज शिकायत की जांच कराती रही है और उसको दूर करने का प्रत्येक उपाय करती रही है । इस दिशा में सरकार ने समय समय पर बहुत से ठोस कदम उठाये हैं ।

सरकार ने रामपुर, बरेली, बिजनौर, मुरादाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, पीलीभीत और लखनऊ के जिलों में, जहां उर्दू बोलने वालों का प्रतिशत १५ से अधिक है, यह सुविधा दे रखी थी कि महत्वपूर्ण कायदे, कानून, नियमों का सारांश उर्दू में छापा जाय । अभी तक यह सुविधा केवल जिला स्तर पर उपलब्ध थी । जिले के स्तर के नीचे प्रदेश की तहसीलों में भी इस सुविधा को देने के सवाल पर सरकार बहुत पहले से विचार कर रही थी । सरकार ने यह फैसला ले लिया है कि यह सुविधा जिले के स्तर के नीचे भी दी जायेगी । सरकार ने यह भी तय किया है कि राज्य के सभी खास खास कानून, कायदों और विज्ञप्तियों का सारांश उर्दू गजट में छपा कर उर्दू भाषी क्षेत्रों में बांटा जाय । इस प्रकार ऐसे सभी क्षेत्रों में जहां उर्दू बोलनेवालों की संख्या काफी है जनता को यह मालूम होता रहेगा कि सरकार ने कौन कौन से नये कानून कायदे बनाये हैं ।

इस बात को सुनिश्चित करने के लिये उर्दू बोलने वाली जनता की कोई भी जायज शिकायत न रहे और उनको दिये गये सभी संरक्षणों का भलीभाँति कार्यान्वयन हो, सरकार ने यह तय किया है कि उप मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाय । इस कमेटी के सदस्य होंगे विधान सभा के दो सदस्य, विधान परिषद् के एक सदस्य और शिक्षा विभाग के सचिव । कमेटी के सेक्रेटरी होंगे मुख्य सचिव शाखा के और उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग ।

इस कमेटी का यह कर्त्तव्य होगा कि वह देखे कि उर्दू बोलने वालों को सरकार द्वारा जो भी सुविधायें समय समय पर दी गई हैं उनका ठीक ठीक अमलदरामद हो और उनके कार्यान्वयन में जो भी त्रुटियां, कमियां या कठिनाइयां हों उनको दूर किया जाय ।

(माननीय जियाउर्रहमान के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

देखिये ऐसा है कि मैंने सदन में कहा है कि यदि सरकार को नीति की कोई घोषणा करनी हो तो यहां की जाय । इसलिये यह स्टेटमेंट हुआ । अब इसमें प्रश्नोत्तर नहीं होंगे ।

एक सदस्य—

हम यह समझ नहीं पाये कि घोषणा क्या की गई है । यह तो खिलौना देकर बहलाने की बात हुई ।

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री जियाउर्रहमान (जिला उन्नाव)—

मैं एक बात मालूम करना चाहता हूं । यह तो वही पुराना तमाशा है । कोई नई बात नहीं हुई है । मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन परपजेज के लिये उर्दू बोलने वालों के लिये हुकूक दे रहे हैं तो क्या उनको कठिनाई है कि कांस्टीट्यूशन की दफाओं के तहत सुविधा देने में ?

(माननीय श्री एस० जी० दत्त के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

देखिये इस विषय पर कोई प्रश्न करने की इजाजत नहीं दूंगा । कोई बात उठानी हो तो उसके बहुत से साधन हैं । उसको आप उठायेंगे मैं उसका अवसर दूंगा ।

श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)—

इस हाउस में जो उर्दू बोलने वाले हैं उनको वही सहूलियतें देंगे क्योंकि हम हिन्दी नहीं जानते ।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा करके बैठिए । जब मैं कह चुका कि मैं प्रश्न करने की अनुमति नहीं दूंगा तो आप क्यों खड़े हो गये ?

आबकारी मंत्री (श्री अख्तर अली खां)—

मैं यही कहना चाहता था कि कोई माननीय सदस्य बोलेंगे तो जवाब देने की भी इजाजत होनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—

मैं इसके बारे में कह चुका । मेरी व्यक्तिगत कितनी भी सहानुभूति हो उन माननीय सदस्यों के साथ जो खड़े हो रहे हैं, लेकिन इस समय मैं कोई अवसर नहीं देखता जिसमें मैं प्रश्नोत्तर की अनुमति दूं ।

सदन में घटित घटना को भ्रान्तिपूर्ण ढंग से समाचार पत्र में प्रकाशित किये जाने के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष का स्पष्टीकरण

श्री अध्यक्ष—

मुझे एक बात कहनी है । कल जो घटना इस सदन में हुई उसके विषय में आज अखबारों में जो रिपोर्टिंग हुई उसको मैंने पढ़ा । एक अखबार ने यह लिखा है—

"Speaker was heard asking the Marshal as to what I am to do in this situation"

मैं यह बताना चाहता हूं कि यह जो रिपोर्टिंग है यह बिलकुल भ्रान्ति पर आधारित है । इसमें कोई गलतफहमी हुई है । (व्यवधान) अच्छा ठीक है । किसी अखबार में मैंने रिपोर्टिंग का जिक्र किया उसमें उन्होंने ऐसा लिखा है कि जब यह अव्यवस्था यहां चल रही थी उस समय . . . .

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)—

अखबार का . . . . .

श्री अध्यक्ष—

मैं बोल रहा हूं । कृपया जो मैं उचित समझूं वह करने दें ।

मैं यह कह रहा था कि उस पत्र की जो रिपोर्टिंग है उसका मतलब यह होता है कि जब यहां अव्यवस्था चल रही थी तो अध्यक्ष ने मार्शल से यह पूंछा कि ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं । मैं कहना चाहता हूं इस सदन के द्वारा कि जिस अखबार में यह रिपोर्टिंग हुई है यह गलत है । ऐसा नहीं था । हां, सही बात यह है कि जब यह अव्यवस्था चल रही थी तो मेरे पास यहां पर दो कर्मचारी दिखायी पड़े, एक मार्शल और एक मेरा पी० ए० । एक तो मैंने माननीय नेता सदन के पास भेजा और एक को माननीय नेता विरोधी दल के पास भेजा कि ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं, इसमें आपकी क्या सलाह है । दोनों ने सलाह दी । उसी सलाह पर आचरण करके ही सदन को मैंने स्थगित किया । मैं सदन की सूचना के लिये और बाहर जनता की सूचना के लिये, उससे अगर कोई भ्रान्ति पैदा हुई है, यह बताना चाहता हूं ।

दूसरी बात जो मुझे आज की रिपोर्टिंग के बारे में कहना है वह यह कि जो यहां परे मत विभाजन की मांग हुई उसके फलस्वरूप लाबी में कुछ वोट्स की रेकार्डिंग हुई उसके विषय में पत्रों में संख्या आयी है । जिन पत्रों ने संख्या दी है उन्होंने अच्छा नहीं किया, चाहे वह विशेषाधिकार का प्रश्न न होता

[श्री अध्यक्ष]

हो, कदाचित में मानता भी नहीं लेकिन अच्छा होता कि वह संख्या न देते क्योंकि जो कार्यवाही निरस्त हो चुकी, जिस कार्यवाही का आफिशल रेकार्ड किसी माननीय सदस्य को न उपलब्ध हो सकेगा न दिया जा सकता है उसके ऊपर अपने पत्र में प्रकाशित करना हो सकता है कि जानकर या अनजान में गलत बात को प्रसारित और प्रचालित करना है। जहां तक मेरा खयाल है, वह संख्या भी ठीक नहीं थी ।

श्री गोपाल राम दास द्वारा संयुक्त विधायक दल में सम्मिलित होने के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

इसके बाद एक सूचना और देनी है। मुझे एक माननीय सदस्य द्वारा सूचना मिली थी परसों। वह यह है कि माननीय गोपालरामदास (अल्मोड़ा) ने यह सूचना दी है कि वह कांग्रेस को छोड़ कर संयुक्त विधायक दल में सम्मिलित हो गये हैं। संयुक्त विधायक दल के जो मंत्री हैं उन्होंने भी सूचना दी है कि उन्होंने स्वीकार कर लिया है, उसमें।

१९६७–६८ के आय व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान– अनुदान संख्या ३९–अधिवर्ष भत्ते और पेंशनें

वित्त मंत्री (श्री राम स्वरूप वर्मा)—

श्रीमन्, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३९—अधिवर्ष भत्ते और पेंशनें के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २,४१,६३,९०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३९–अधिवर्ष भत्ते और पेंशनें के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २,४१,६३,९०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५२—पेशनों का राशि-मूल्य

श्री श्रीराम तिवारी (जिला उन्नाव)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, एजेण्डे में जो पांचवा आईटम है वह छूट गया है।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपका आभारी हूं, वह वास्तव में छूट गया था। अब मैं उसको इसके बाद में ले लूंगा।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

श्रीमन्, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ५२—पेंशनों का राशि-मूल्य के अन्तर्गत होने वाले

परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ६,१४,८०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ५२--पेंशनों का राशि-मूल्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ६,१४,८०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५४--ब्याज वाले ऋण और अग्रिम

श्री रामस्वरूप वर्मा--

श्रीमन्, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ५४--ब्याज वाले ऋण अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ५७,२४,७३,१०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ५४-ब्याज वाले ऋण अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ५७,२४,७३,१०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अपर इंडिया एक्सप्रेस में लूट की घटना के संबंध में वक्तव्य

श्री अध्यक्ष--

अब कृपा करके माननीय गृहमंत्री, आइटम नं० ५--अपर इंडिया एक्सप्रेस में लूट की घटना पर वक्तव्य दे दें।

गृह उपमन्त्री (श्री बस्तम सैटिन)--

मान्यवर, जो सूचना अब तक हमें उपलब्ध हुई, उसके आधार पर मैं यह वक्तव्य आपके सामने रखता हूं।

दिनांक १९-७-६७ को रात्रि में जब अपर इंडिया एक्सप्रेस कानपुर से करीब २ १/२ बजे चलने को हुई, तो इंजन से दूसरी बोगी के तीसरे दर्जे में, जिसमें स्त्रियां, पुरुष तथा बच्चे थे, आ दस व्यक्ति सवार हुये। गाड़ी जब रेलवे स्टेशन पनकी से आगे बढ़ी तो उनमें से आठ व्यक्तियों ने देशी तमंचा, चाकू, छुरा इत्यादि से डरा धमका कर ५ यात्रियों से जेवर, कपड़ा, घड़ियां तथा नकद आदि लूट लिया। कुल २,०२६ रु० का माल तथा २,८५० का बैंक ड्राफ्ट लूटा गया। किसी यात्री के चोट नहीं आई। फफूंद स्टेशन के प्लेटफार्म पर पहुंचते-पहुंचते जब गाड़ी धीमी हुई तो अपराधी कूद कर सब लूटे सामान के भाग गये।

सुबह ४-५३ पर गाड़ी जब इटावा स्टेशन पर पहुंची तो पांचों लूटे गये व्यक्तियों ने घटना की सूचना थाना जी० आर० पी०, इटावा पर दी। पुलिस अधीक्षक, इटावा को भी सूचना दी गई।

[श्री रुस्तम सैटिन]

जिला पुलिस व जी० आर० पी० अपराधियों की तलाश में उसी समय लग गये। परिणाम स्वरूप तीन अपराधी, उसी दिन, गिरफ्तार कर लिये गये। बाकी अपराधियों की तलाश जारी है। एक अपराधी की स्त्री भी गिरफ्तार की गई है। लूटे गये माल में से मूल्य ७६६ रु० का इन अपराधियों से बरामद हो चुका है। अन्य अपराधियों की खोज तथा मुकदमें की विवेचना हो रही है।

श्री अध्यक्ष—

अब मैं माननीय श्री राम तिवारी और माननीय भुवनेश भूषण जी को एक-एक प्रश्न करने की अनुमति दूंगा।

श्री श्रीराम तिवारी (जिला उन्नाव)—

जिस दिन यह घटना घटी और गाड़ी कानपुर से चली उस समय उस में पुलिस मौजूद थी और गाड़ी में भी चल रही थी, तो वह इस घटना को रोकने में सफल क्यों नहीं हुई ?

श्री रुस्तम सैटिन—

मान्यवर, इसकी सूचना ठीक तौर से तो मुझे नहीं है मगर गाड़ी में अक्सर पुलिस चलती है, लेकिन पुलिस हर डिब्बे में नहीं रहती है। इसलिये, अगर एक डिब्बे में कुछ लोग सवार हो जायं तो वह लूटने में सफल हो सकते हैं।

श्री भुवनेश भूषण (जिला इटावा)—

यह जो चारों अपराधी पकड़े गये हैं वे किस जिले के रहने वाले हैं और उनका क्या पेशा है ? क्या वे पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं या पुराने क्रिमिनल्स ?

श्री रुस्तम सैटिन—

उनके नाम तो मैं आपको बता सकता हूं। मंसूर खां, नूर मुहम्मद, सोनेलाल और एक स्त्री जो गिरफ्तार की गयी है उसका नाम प्रेमा है। उनका पेशा क्या है इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि फफूंद और इटावा के बीच क्या गाड़ी की जंजीर नहीं खींची गयी, क्योंकि हो सकता है कि जंजीर ही खींचने योग्य न हो ?

श्री रुस्तम सैटिन—

मान्यवर, मालूम होता है कि आतंक के कारण यात्रियों ने गाड़ी की चेन नहीं खींची हो, उन्होंने खुद गाड़ी की चेन खींची होगी और अन्त में गाड़ी स्टेशन के पास आ गयी और गाड़ी धीमी हो गयी तो वे प्लेटफार्म से कूद कर भाग गये।

श्री अध्यक्ष—

(बहुत से सदस्यों के खड़े होने पर) अब एक माननीय सदस्य को समय देने के बाद मैं फिर दूसरे माननीय सदस्यों को रोक नहीं सकता। इसलिये मैं ५ मिनट तक जितने प्रश्न हो सकेंगे उतनों की अनुमति दूंगा।

श्री भारतसिंह चौहान (जिला इटावा)—

क्या यह सत्य नहीं है कि ट्रेन धीमी होने पर नहीं बल्कि जब ट्रेन फफूंद स्टेशन पर रोकी गयी तो वह बाकायदा उतर कर चले गये और इसकी सूचना रेलवे पुलिस, इटावा जो वहां थी को श्री उदयप्रताप सिंह ने दी कि ये अपराधी हैं और इन्होंने लोगों को लूटा है, फिर भी रेलवे पुलिस के

लोगों ने उनको भाग जाने दिया ? अगर माननीय मंत्री जी को जानकारी नहीं है तो क्या जांच करा कर उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री रुस्तम सैटिन—

हमारे पास तो सूचना नहीं है, लेकिन माननीय सदस्य बड़ी गम्भीरतापूर्वक कह रहे हैं अगर लिख कर दे देंगे तो जांच कराई जायेगी ।

श्री मुलायमसिंह (जिला इटावा)—

जो लोग लूटे गये, जिनका सामान गया वे कहां के व्यक्ति थे ?

श्री रुस्तम सैटिन—

इसकी हमको सूचना नहीं है कि किस स्टेशन से वह बैठे थे ।

श्री सहदेवसिंह (जिला इटावा)—

क्या सरकार को यह ज्ञात है कि इटावा और कानपुर के बीच में भर्यना, रूरा और फफूंद ३, ४ स्टेशन इस तरह के हैं जहां आये दिन इस प्रकार की घटनायें हुआ करती हैं और इटावा की जी० आर० पी० इतनी निष्क्रिय है कि वह इनको रोकने की कोई कोशिश नहीं करती है ? मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भर्यना थाने में स्टेशन पर हुई घटना-मारपीट और चोरी की बहुत सी रिपोर्टें हुईं लेकिन पुलिस की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की गई। ऐसी हालत में गृह मंत्री जो इन तमाम घटनाओं की जांच कराने के संबंध में उचित कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ।

श्री रुस्तम सैटिन—

ऐसी घटना आये दिन होती है ऐसी बात हमारी जानकारी में नहीं है । अगर माननीय सदस्य की ऐसी जानकारी है कि रोज इस तरह की घटनायें होती हैं तो वह लिखकर दे दें हम अवश्य जांच करायेंगे ।

श्री भुवनेश भूषण—

मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो मुलजिम पकड़े गये हैं ये जी० आर० पी० ने पकड़े हैं या सिविल पुलिस ने पकड़े हैं ?

श्री रुस्तम सैटिन—

इसकी जांच पुलिस अधीक्षक कर रहे हैं। जी० आर० पी० के द्वारा पकड़े गये हैं या दूसरों के द्वारा यह कहना कठिन है ?

श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)—

माननीय सदस्य इटावा ने बारबार यह कहा कि स्टेशनों पर आये दिन ऐसी घटनायें होती हैं तो फिर लिखकर देने पर जांच कराने की जगह पर मंत्री जी ऐसी व्यवस्था पुलिस के द्वारा करायेंगे कि ऐसी घटना आइन्दा न होने पाये ।

श्री रुस्तम सैटिन—

मान्यवर, एक स्टेटमेंट माननीय सदस्य यहां पर देते हैं तो मैं इसलिये लिखित चाहता हूं कि मुझे फैक्ट्स मालूम हो जांय। और माननीय सदस्य की यह भावना है कि वहां ज्यादा घटनायें होती हैं तो ज्यादा सतर्कता बरती जायगी, किन्तु लिखकर आ जाय तो ज्यादा कार्यवाही हो सकती है ।

श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)—

मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चहता हूं कि क्या वह आइन्दा वहां के थाने को आर्डर करेंगे कि इस ट्रेन के ऊपर खास तौर से पहरा लगाया जाय ?

श्री अध्यक्ष—

इसका जवाब दिया जा चुका है।

श्री भुवनेश भूषण—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उनको इस प्रकार की कोई शिकायत मिली है कि इटावा और कानपुर के बीच जो घटनायें होती हैं उनमें वे बदमाश जो० आर० पी० से सांठ-गांठ किये रहते हैं इसलिये ये घटनायें होती हैं ?

श्री रुस्तम सैटिन—

मान्यवर, इससे पहले इस प्रकार की कोई सूचना नहीं मिली। अभी माननीय सदस्य यह बात कर रहे हैं।

१९६७–६८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ४—बिक्रीकर

वित्त मंत्री (श्री रामस्वरूप वर्मा)—

श्रीमन्, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४—बिक्री-कर के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ५९,८६,९०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष—

ऐसा तय हुआ था कि एप्रोप्रियेशन बिल ढाई बजे तक समाप्त करना है। मैं समझता हूं कि आध या पौन घंटा इस के लिये काफी होना चाहिये। ५, ७ मिनट आप ले लें, ५, ७ मिनट कट मोशन पेश करने वाले सदस्य लें और एक दो सदस्य और बोल लें, और उस के बाद आप उत्तर दे दें। इसी प्रकार यह संभव हो सकेगा।

श्री रामस्वरूप वर्मा—

आप की आज्ञा शिरोधार्य है। वैसे तो मैं इस समय कुछ अधिक कहना चाहता था लेकिन समय की कमी के कारण आप की आज्ञा से सदन को बतलाना चाहता हूं कि इस विभाग का प्रशासन किस प्रकार का है।

श्री अध्यक्ष—

मुझे क्षमा कर, एक बार और व्यवधान कर रहा हूं। मुझे अभी ध्यान दिलाया गया कि साधारण परम्परा इस प्रकार की है कि मतदान दो बजे के बाद होना चाहिये। तो यह ग्रान्ट दो बजे तक चलेगी और उस के बाद इसपर वोटिंग होगी।

श्री रामस्वरूप वर्मा—

मान्यवर, इस विभाग के प्रशासन हेतु एक मुख्यालय पर आयुक्त रहता है और उसके अधीन सारा प्रदेश सात मंडलों में बंटा हुआ है जहां पर उप आयुक्त रहते हैं और इस प्रकार से प्रदेश भर में कर निर्धारण का कार्य चल रहा है। न्याय शाखा का काम पहले २७ भागों में बंटा हुआ था, लेकिन अब वह २२ हिस्सों में बंटा हुआ है। इस का पहला कारण तो मितव्ययिता करना था और दूसर मुकदमें भी उन हिस्सों में कुछ कम हो गये थे।

(इस समय १२ बजकर ५७ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री ओपति मिश्र चौधरी हुए।)

इसलिये अब २२ न्यायाधीश काम कर रहे हैं और कोशिश यह की जा रही हे कि जल्दी से जल्दी मुकदमों का फैसला कर दिया जाय। श्रीमन्, इसी के साथ साथ वह भी बताना आवश्यक होगा कि किस प्रकार कर निर्धारण के संबंध में जल्दी करने की कोशिश की जाती है और किस प्रकार व्यापारियों को अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करने का प्रयत्न किया जाता हे। इस संबंध में इतना ही बताना पर्याप्त होगा कि १९६६-६७ में कर निर्धारण के कुल २,१८,५०० मामले निपटाये गये थे जिन में १,२५,००० मामलों का कर-निर्धारण हो गया था वर्ष के अन्त में ९३,००० मामले कर निर्धारण के अनिर्णीत थे। इस वर्ष जो प्रयास किया गया उसका कुछ आभास इस बात से मिल सकता हे कि पिछले साल अप्रैल मास में कुल ५६० मामलों को निपटाया गया था जब कि इस वर्ष के अप्रैल मास में ५,४०० मामलों को नि टाया गया। तो पूरी कोशिश हमारे प्रशासन की ओर से है कि व्यापारियों क जल्दी से जल्दी कर-निर्धारण संबंधी अन्तिम फैसले कर दिये जांय ताकि उन को हर प्रकार की सुविधा मिल सके।

दूसरी बात, आम तौर से इस भाग में यह शिकायत है कि अधिकतर लोग करापवंचन करते हैं, और बहुत से लोग जो करापवंचन करते हैं उन को विभाग के लोग पकड़ नहीं पाते। इस संबंध में कुछ कटु अनुभव भी पिछले साल का था। हमारे कर निर्धारण अधिकारी गये बिक्री के, उन्होंने चाहा कि छापा मारें तो उनको पिस्तौल दिखाया गया और छापा नहीं मार पाये। ऐसे अनुभवों से लाभ उठा कर इस साल सरकार ने यह कर दिया है कि अब जो सहायक आयुक्त कार्यकारी की जगह पर जो अनुसंधान शाखा सरकार ने खोली है और कई दस्ते बना दिये हैं और उनको एक सहायक बिक्री कर आयुक्त अभी तक सबके ऊपर हुआ करता था, उनके स्थान पर यह समझा गया कि पुलिस अधीक्षक ज्यादा उपयुक्त रहेगा, क्योंकि ऐसे मामलों में और छापा मारने में यह सहूलियत रहेगी कि किसी तरह से विरोध न हो और सही तरीके से असली बहीखाते पकड़े जाय। तो अब यह तय किया गया हे कि पुलिस अधीक्षक रहेंगे जहां सहायक बिक्रीकर आयुक्त रहते थे और य दस्ते छापामारी का काम करेंगे ताकि करापवंचन न हो सके और कर निर्धारण हो सके। इसी के साथ भ्रष्टाचार की रोकथाम भी जरूरी है, क्योंकि जहां कर लगाने का सवाल होता है वहां भ्रष्टाचार का भी बाहुल्य हो जाया करता हे। पिछले दिनों में शिकायतें थीं। उनको दूर करने के लिये दो तरीके अपनाये हैं। शासन क भ्रष्टाचार के लिये सतर्कता निदेशालय के अन्तर्गत एक बिक्रीकर सतर्कता कक्ष खुला है जिसमें खास तौर से बिक्रीकर के अधिकारियों के खिलाफ मामलों की जांच होगी। इस कक्ष के काम में शीघ्रता हो जाती है और सहूलियत होती है कि भ्रष्टाचार न बढ़ पाये और जल्दी कार्य हो। दूसरे अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों और अन्य शिकायतों के लिये मुख्यालय पर जो जनता से प्राप्त शिकायतें होती हैं उनपर निष्पक्षता से जांच करने के लिये पी० सी० एस० के अधिकारी की नियुक्ति की गयी है। कोशिश यह है कि भ्रष्टाचार न पनपने पाये और दूसरे अधिकारी और लोगों के खिलाफ उचित कार्यवाही की जा सके। इसलिये सतर्कता आयोग के अन्तर्गत एक बिक्रीकर सतर्कता कक्ष और पी० सी० एस० के अधिकारी की नियुक्ति---यह कार्यवाही कर दी गयी है। इससे भ्रष्टाचार जो विभाग में रहता था उसमें पर्याप्त कमी हुई है और आशा है कि वह समाप्त हो जायगा।

एक बात और है। यह आम तौर से कठिनाई आती थीं कि हमारे बिक्री कर अधिकारी कर निर्धारण में नियमों का परिपालन नहीं करते हैं और त्रुटियां रह जाती थीं जिससे अपील की अदालतों में अनावश्यक रीति से कर छूट जाया करते थे और व्यापारियों को असुविधा रहा करती थी, क्योंकि आखिर इंसाफ देने के लिये जरूरी है कि जिनको दिया जाय वह भी महसूस करें कि हमको इंसाफ मिल रहा है: इसलिये जो कानून की त्रुटियां थीं और रीति थी, बिक्रीकर अधिकारी प्रशिक्षित नहीं हुआ करते थे, केवल तजुर्बे से सीखते थे, तो व्यवस्था की गयी है कि एक उपायुक्त बिक्रीकर का काम करेंगे और यह भी निश्चय किया गया है कि तमाम लोगों को धीरे-धीरे प्रशिक्षण दिया जायगा। उसक लिये एक प्रशिक्षण कैम्प खोला जायगा जो उन आयुक्त के अन्तर्गत चलेगा ताकि व निर्धारण सक्षमता के साथ और नियमानुकल ढंग से कर सकें।

[श्री राम स्वरूप वर्मा]

इस में सवाल इस बात का है कि यह तो कार्यवाही विभाग की तरफ से जो हुई वह करापवंचन रोकने के लिये, भ्रष्टाचार निवारण के लिए और भली प्रकार से न्याय मिल सके इसलिए की गयी। लेकिन सवाल उठता कि है इन कार्यवाहियों के बाद वसूलयाबी के लिये क्या किया गया। क्योंकि वसूलयाबी बहुत बढ़ी हुई थी। १३,८१ लाख रुपया ३१ मार्च तक बाकी था बिक्रीकर के संबंध में। इस संबंध में काफी प्रयत्न किये गये और उनके बाद हम एक बात सामने ला दें। श्रीमन्, उन प्रयत्नों से वसूलयाबी में काफी वृद्धि हुई है, हालांकि सरकार उससे संतुष्ट नहीं है क्योंकि जितनी होनी चाहिये थी वह नहीं हो पायी है।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

मार्च के बाद इधर के ४ महीनों में पिछले बकाये में जो कि १३ करोड़ के लगभग था कितनी वसूलयाबी हुई है, यह बता दें कृपया ?

श्री रामस्वरूप वर्मा--

मैं इस विषय में भी कहने जा रहा था। पिछली बकाया १३ करोड़ ८१ लाख की थी। जो वसूल हुआ है वह दो तरह से हुआ है एक तो खजाने में लोगों ने स्वयं जमा किया है, वह । अप्रैल और मई के इसके आंकड़ मिले हैं कि ५ करोड़ रुपया वसूल हुआ है। यह लोगों ने अपने आप खजाने में जमा किया है। इस साल ६ करोड़ ९४ लाख रुपया जमा हुआ। अब यह पता लगाने में बड़ी दिक्कत हो जाती है कि इसमें से कितना पिछले सालों का बकाया वसूल हुआ और कितना पिछले साल का हुआ। दूसरा रिकवरी सार्टिफिकेट द्वारा होता है। एक सूचना मैं और दे दूं जिससे माननीय सदस्यों को संतोष हो जायेगा कि हमने कानपुर के बारे में भी अप्रैल से जून तक की सूचना मांगी थी। बोर्ड आफ रेवेन्यू से यह आंकड़े आते हैं। वहां इन महीनों में १ करोड़ ८७ लाख २५ हजार रुपया वसूल हुआ है जबकि पहले साल यह १ करोड़ २६ लाख ७७ हजार ही वसूल हुआ था।

श्री कृष्णानन्द राय--

यह बताइये कि उस १३ करोड़ में से कितना वसूल आपने किया ?

श्री रामस्वरूप वर्मा--

मैंने कहा कि यह पता लगाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि कुछ धनराशि तो लोग खुद जमा करते हैं और कुछ रिकवरी सार्टिफिकेट द्वारा होती है यानी दो तरह से रुपया जमा होता है। यह आंकड़े प्राप्त होना मुश्किल है कि पिछले बकाये में कितना वसूल हुआ।

श्री कृष्णानन्द राय--

कानपुर से ९० लाख तो चन्दा आप ले आये हैं, वसूलयाबी कहां से होगी।

श्री रामस्वरूप वर्मा--

अब यह चर्चा बीच में करने से क्या फायदा : तो मैं यह कह रहा था कि दोर्ड आफ रेवेन्यू से जो सूचना आयी अप्रैल और मई की वह २३ लाख की थी पिछले साल की, और इस साल की वह है ३४ लाख। इस तरह से ४५ प्रतिशत की वृद्धि हमने इन दो महीनों में की है। ५ करोड़ जो पिछले साल था वह ७ करोड़ इस साल हुआ, अप्रैल और मई में २३ लाख पिछले साल था वह इस साल ३४ लाख हुआ। जो अल्प समय हमें मिला है उसमें हमने जो कुछ किया है उससे माननीय सदस्य संतुष्ट होंगे, यह मेरा विश्वास है। तीसरी बात यह है कि वसूलयाबी के बाद क्या क्या कदम उठाये। माननीय सदस्य कह सकते ह कि बिना कदम उठाये वसूलयाबी स्वाभाविक रूप से हो गई। श्रीमन्, हमने वसूलयाबी क लिये खास कदम उठाये और

वे यह हैं कि राजस्व परिषद् को विशेष अभियान चलाने के लिये कहा गया कि पूरी कोशिश की जाय। इस अभियान में निष्पक्ष रूप से जो भी कानूनी कार्यवाही करनी थी वह चाहे छोटे के खिलाफ हो या बड़े के खिलाफ हो वह की गई और कोई फर्क नहीं किया गया। तमाम अधिकारियों ने सतर्कता बरती। दूसरी बात यह कि जो बकाया स्थगित था उन पर पुनर्विचार किया गया कि स्थगन कायम रखना चाहिये या नहीं। जिनकी शिकायत न रहे, उनके संबंध में विचार गिया जाय, ऐसा सरकार ने निश्चय किया है। इस प्रकार से वसूलयाबी में सहूलियत रही है। इसके अलावा यह कि वसूलयाबी में तेजी लाने के लिये बारम्बार शासन की ओर से सूचनायें मांगी जाती रही हैं और कोई विशेष कठिनाई अगर वसूलयाबी में रही तो उनके दूर करने का प्रयत्न किया गया और यह भी किया गया किसी प्रकार भी स्थगन के आदेश न दिये ज ं जिसके कारण आगे की कार्यवाही भी नहीं हो पाती है। इसी का परिणाम हुआ कि वसूलयाबी हुई ।

श्री राधेश्याम कपूर (जिला लखनऊ)--

माननीय मंत्री जी कृपया यह बतायें कि सन् ६१-६७ से जो १,५० हजार का रिफन्ड बाकी है उसके बारे में क्या प्रगति शासन ने की है ?

श्री राम स्वरूप वर्मा--

श्रीमन्, माननीय सदस्य ने यह ठीक सवाल उठाया। मैं उसी पर आ रहा था कि ये जो तमाम कठिना यां हैं और जो पुराने कानून बने हुए हैं जिसके अन्दर खामियां रहीं, वे ही इसके कारण हैं और जिससे व्यापार होने में कठिनाई होती है। इसकी विधि भी कष्टदायक है जिससे देर हो जाती है। श्रीमन्, इसके लिये यह सुझाव है और जैसा कि मैंने अपने बजट भाषण में कह दिया था कि बिक्रीकर में नया बिक्रीकर कानून लाया जायेगा और आमूल चूल परिवर्तन किया जायेगा और जो कठिनाइयां हैं उनको दूर करने के लिये और व्यापारियों को सुविधा देने के लिये खास तौर से ध्यान रक्खा जायेगा। इस संबंध में जो बिक्री कर समिति बनी थी उसका भी सुझाव है। उनके सुझावों पर भी विचार किया जायेगा ताकि उसको अधिनियमित बाद में किया जा सके। और जो कठिनाइयां वसूलयाबी में हैं उनको भी नये कानून को बनाकर उन्मूलन कर दिया जाय ताकि नये विधेयक में तमाम आशायें प्रस्फुटित हो जायं। इसके लिये कार्यवाही की जा रही और आशा है कि शीघ्र ही विधेयक सदन के सामने आयेगा। साथ ही साथ, श्रीमन्, यह बड़ी मांग थी कि यह जो बहुसूत्री बिक्रीकर है यह बड़ा कष्टदायक है। ठीक है, परेशानी है, कठिनाई है एकसूत्री करने में। फिर भी तुरन्त शासन ने व्यापारियों की इच्छाओं पर ध्यान दिया और निम्नलिखित चीजों से बहुसूत्री बिक्रीकर हटाकर एकसूत्री कर कर दिया है ।

कार्डबोर्ड एवं स्ट्राबोर्ड, हार्डबोर्ड, लेदर बोर्ड, प्लाई उड एवं सजावट के सामान सोने चांदी की आभूषण, ज्वैलरी, हार्डवेयर एपेरेटस, ईमारती लकड़ी आदि तथा मार्क्ड-प्वाइं पेन्सिल। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस दिशा में हम लोग चल रहे हैं उससे हम चाहते है कि व्यापारियों का हित हो और साथ ही साथ प्रदेश का जो सबसे बड़ा आय का स्रोत है वह भी न सूखने पाये। हमने इन दोनों दिशाओं में कदम बढ़ाये हैं। हमने कर वंचना को रोकने का प्रयत्न किया है और दूसरी ओर व्यापारियों को भी सुविधायें दी गयी हैं। बिक्रीकर न्यायालय में उठने बैठने तथा पानी आदिका कष्ट था, उस संबंध में विचार किया जा रहा है कि उस कष्ट को किस प्रकार से शीघ्र दूर किया जाय और जो कठिनाइयां है उनको बिक्रीकर कानून में संशोधन करके ठीक किया जायगा। इसके अलावा यह कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा चीजों पर एक त्रीय बिक्रीकर लगाया जाय और जहां यह असंभव होगा, एकसूत्रीय बिक्रीकर से कर वंचना अधिक होती होगी वहां पर दिक्कत न हो ऐसी व्यवस्था की जायग्री। इसके बाद माननीय सदस्यों के जो सुझाव होंगे उनका हम स्वागत करेंगे। मैं

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

आशा करता हूं कि आप लोगों की ओर से अच्छे सुझाव आयेंगे और कानून में संशोधन करते समय हम उन पर ध्यान देंगे।

एक शिकायत दफ्तरों के बारे में भी थी कि आफीसर लोग समय से नहीं आते। इस बारे में विशेष ध्यान दिया गया और ताकीद की गयी उसका फल यह हुआ कि अब दफ्तर नियमित रूप से काम कर रहे हैं। समय पर सब लोग आते हैं। इस विषय में किसी प्रकार की असुविधा व्यापारियों को नहीं है। इन तीन महीनों में विभाग के द्वारा जो सुधार संभव हो सके हैं, उनको मैंने आपको बताया। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय सदस्यगण अपने सुझाव इस विभाग को देंगे और इस मांग को स्वीकार करेंगे।

श्री कालीचरण अग्रवाल (जिला एटा)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान के ऊपर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अवसर दिया। मेरा कटौती का प्रस्ताव इस प्रकार है। सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य---(१) बि ी कर को एक पदीय करने पर चर्चा तथा जिला स्तर पर बिक्री-कर अधिकारियों की धांधलेबाजी व भ्रष्टाचार की चर्चा करना।

(२) व्यापारी वर्ग से बिक्री-कर प्रभावकारी ढंग से वसूल करने व उन्हें राहत देने पर विचार।

(अन्य कटौती के प्रस्तावों के लिये देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७९२ पर)

मान्यवर, जहां तक बिक्रीकर के ढाँचे का सवाल है वह उत्तर प्रदेश के कर के ढाचे में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस कर को आदरणीय पालीवाल जी के समय में लगाया गया था और उस समय इससे कुल आय कुछ लाखों में थी, जो पिछले वर्ष बढ़ कर २६ करोड़ ४९ लाख हो गयी और इस साल की अनुमानित आय ३२ करोड़ ४ लाख हो गयी है। श्रीमन्, आज कल हर चीज की कीमत और दरें लगातार बढ़ती जा रही हैं। जिस गेहूं का भाव २८ रुपया था वह अब ५६ रुपया मन हो गया है। बहुत सी वस्तुओं के मूल्य दुगने से चौगुने हो गये हैं। इसलिये अनुमानित आय जो माननीय वित्त मंत्रीजी ने रखी वह दुगनी नहीं तो डेढ़ गुनी अवश्य होनी चाहिये थी। मैं चाहता हूं कि जहां कर लगाये जा सकते हैं वहां करों को अधिक से अधिक लगाया जाय। क्योंकि मैं जानता हूं कि जब आर्थिक प्रगति होती है और बड़ी भारी मात्रा में कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ानी पड़ती है, उस समय अगर करों को न लगाया जाय तो देश और प्रदेश की व्यवस्था चल नहीं सकती। लेकिन उसके साथ ही साथ हमें यह भी देखना है कि जो कर हमारे द्वारा लगाये जाते हैं, उनमें धाँधले बाजी तो नहीं होती। जो कर से रुपया हम वसूल करते हैं उससे हमें जनता को राहत पहुंचानी चाहिये। मैं मनुस्मृति पढ़ रहा था तो उसमें राजा को इन्द्र और सूर्य से उपमा दी गयी है। सूर्य का एक नाम इन्द्र भी है। उन्होंने लिखा है कि जिस प्रकार से सूर्य नदियों तालाबों और समुद्र से अपनी गर्मी और किरणों द्वारा पानी को सोखता है तब उसकी भाप बनती है, फिर बादल बनते हैं। जब बादल पहाड़ों से टकराते हैं तो पानी बरसता है और वह वर्षा हमारी शस्यश्यामला भूमि पर आती है जो जल उसने सोखा था वह अगणित वर्षा की बूदों के रूप में बरसता है। इस तरह से जो कर निर्धारण हमारे सूबे में हों हमारे ऊपर जो कर लगाये जांय चाहे वह बिक्री कर हो या दूसरा स्वरूप उनका हो वह ऐसे हों कि जिनसे हमारी जनता को राहत मिल सके तो उसमें किसी को कोई एतराज न होगा। चाहे वह बिक्री कर हो या क्रय कर हो उसका आशय यही होना चाहिये। मैं माननीय वित्त मंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने कहा कि कुछ सुझाव हैं जो सरकार के विचाराधीन है। मैं इस अवसर पर आरोप और प्रत्यारोपों की बात नहीं करना चाहता और मुझे उनकी यह बात बड़ी अच्छी लगी, लेकिन जो थोड़ी सी खामियां हैं उनकी तरफ मैं थोड़ा सा ध्यान दिलाकर सुझाव देना चाहता हूं।

किसी भी कर व्यवस्था में सबसे पहली बात यह है कि थोड़े से जो माने हुये सिद्धान्त है उनके अनुसार हमारा कर निर्धारण हो। वह सिद्धान्त हमारे सामने जनहित के होने चाहिये। पहली बात यह है कि हमारे जितने कर लगते हैं, यह कर का उसूल है जो हर एकनामिक्स

का विद्यार्थी जानता है कि कर अप्रत्यक्ष होने चाहिये और प्रत्यक्ष न हों। प्रत्येक्ष करों से जनता में एक बड़ी परेशानी और दुर्भावना पैदा होती है, लेकिन वही कर अगर अप्रत्यक्ष रूप से लगाये जाते हैं तो उनको देने में जनता को परेशानी नहीं होती है। केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रकार का प्रयास किया गया और बिक्रीकर के ढांचे में सुधार किया गया। पिछले २ साल पहले बिक्री-कर का बाहुल्य था तो सोचा गया कि उसके स्थान पर हम एक्साइज ड्यूटी लगा दें और कपड़े और सीमेंट आदि पर इस नीति को अपनाया गया। इस से कपड़े, सीमेंट के व्यापारियों को जो रोज परेशानी होती थी और उसके कारण जो दफ्तर में दौड़भाग और भ्रष्टाचार बढ़ रहा था और जो मुनीमों को रखना पड़ता था उससे उनको राहत मिली। वहां पर हर ईमानदार को भी बेईमान करार दिया जाता था। एक्साइज डयूटी के लगने से बड़ी शांति से अब काम चल रहा है। मैं चाहता हूं कि वैधानिक स्थिति को देखकर माननीय वित्त मंत्री जी ऐसा करें कि जो बिक्रीकर लगता है उसके बारे में ला डिपार्टमेंन्ट से सलाह कर के लाइसेंस की कोई फीस रख दें या एक्साइज की तरह कोई डयूटी लगा कर इसको समाप्त करें। इसी तरह से ईट के भट्टों पर ३ प्रतिशत का बिक्री कर लगता है, लेकिन उस में हो यह रहा है कि जहां ५० लाख की बिक्री होती है वह २ लाख या ५० हजार की ही बिखाई जाती है और इस तरह के एवेजन पर कोई हाथ उठाने वाला नहीं है, भ्रष्टाचार चलता है; अच्छा हो कि भट्टों के ऊपर ३ हजार रुपया सालाना की कोई लाइसेंस फीस लगा दी जाय तो उससे सरकारी कोष की आय भी बढ़ेगी साथ ही भ्रष्टाचार भी दूर होगा ? मैं आपके सामने एक और मिसाल भी दूंगा कि जिस तरह से टैक्सटाइल इंडस्ट्री में किया गया है कि एक्साइज डयूटी लगा दी गई।

इसी तरह से जो देहातों के छोटे उद्योग हैं, जो एग्रोइंडस्ट्रीज हैं जैसे खांडसारी है या और तेल आदि के उद्योग हैं जिन को किसान लगाते हैं। उन के ऊपर जो सेल्स टैक्स लगता है उस को हटाकर अगर आप यूनिट के हिसाब से ५०० या ७०० रुपया कर निर्धारण कर दें तो जो आय आज है उससे दुगुनी या ढाई गुनी आय बढ़ सकती है। मुझे ऐसी आशा है और इस विषय में मैंने अध्ययन भी किया है। मेरा वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि इन सिद्धांतों पर थोड़ा सा विचार कर के देखें कि यह कहां तक उचित है और सम्भव हो सकता है।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करूंगा कि जहांतक हो करों का और खास तौर से बिक्रीकर का भार गरीब जनता पर न पड़े, लग्जरीज पर कर लगे तो कोई परेशानी की बात नहीं है लेकिन अगर गरीबों के प्रयोग की चीजों पर कर लगता है तो वास्तव में उनके साथ बड़ा अन्याय होता है।

श्रीमन्, यह देखा गया है कि गल्ले के ऊपर टैक्स लगा। पहले तो यह कच्चे व्यापारियों पर था, लेकिन इसके बाद वह सब व्यापारियों पर लगा दिया गया। इस समय तो मेरे पास आंकड़े नहीं हैं, लेकिन जिस समय मैं कृषि उप मंत्री था, उस समय हमारे सामने आंकड़े आये थे। मैंने यह देखा कि जो खाद्यान्न के ऊपर आपने टैक्स लगाये और उनसे जो आपको आमदनी की आशा है मैं यह समझता हूं कि वह बहुत ज्यादा नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि आप और किसी रूप में टैक्स ले लें, लेकिन खाद्यान्न के ऊपर कोई टैक्स न लगायें तो ज्यादा अच्छा होगा।

तीसरी बात मुझे यह कहनी है कि छोटे छोटे जो हमारे ग्रामीण उद्योग धंधे हैं, जिनको हम काटेज इंडस्ट्रीज कहते हैं और जिनको चलाने वाले ८० या ७५ प्रतिशत हमारे गांवों में रहते हैं, अपना जीवन निर्वाह खेती के जरिये करते हैं और जिन उद्योगों को महात्मा गांधी जी के कथनानुसार, हम विकेंद्रीकरण करके ग्रामों में कायम करना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि उन पर बिक्री-कर या और कोई दूसरा टैक्स नहीं लगाना चाहिये नहीं तो हम उनको प्रोत्साहन नहीं दे सकेंगे।

मुझे एक बात सुनकर और अखबारों में पढ़कर बड़ी तकलीफ होती है कि बड़े बड़े पूंजीपति जो कि चीनी मिल वाले हैं, खांडसारी उद्योग को कोसा करते हैं और हमारे सदन के माननीय सदस्य भी जो इस प्रकार के हैं कि जिन को मिल वालों की तरफ से प्रोत्साहन

[श्री कालीचरण अग्रवाल]

मिलता है बड़े बड़े उद्योगपतियों से, वे भी ऐसा ही करते हैं । मैं माननीय मंत्री जी से इस संबंध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि जबकि बाजार में लकड़ी तक का भाव ४ रुपये मन का है तब भी गन्ने का भाव उन्होंने २ रुपया प्रति मन कर रखा है। तो क्या लाभ हुआ इन मिलों से आज राब का भाव ८० रुपये है और खंडसारी का भाव ३०० या ३५० रुपये है। मैं यह नहीं कहता कि किस व्यापारी को लाभ होता है और किस व्यापारी को हानि होती है और कौन चोरी करता है, यह काम तो सरकार का है, लेकिन मैं यहां पर यह भी कहना चाहता हूं कि इन लोगों पर अगर इस प्रकार की पाबन्दी लगा दी, उनके ऊपर बिक्री कर बढ़ा दिया, तो इसे किसान सहन नहीं कर सकेगा । इस समय करीब २ लाख लोग इस व्यापार में लगे हुए हैं। आज आप राब के ऊपर ५ प्रतिशत परचेज टैक्स लगाते है। दो ई मन राब से एक मन खंडसारी बनती है । तो अगर ८० रुपये मन राब हुयी तो १० रुपये तो परचेज टैक्स हो गया और २ परसेंट सेल्स टैक्स और साढ़े तीन रुपया आप बोरी पर लेते हैं, एक रुपया शीरे पर लेते हैं। तो इस प्रकार से आप १८ रुपया प्रति मन खंडसारी पर ले लेते हैं। यह न्यायसंगत नहीं है तो मैं आपकी कांशेंस से अपील करना चाहता हूं कि अगर हमने छोटे छोटे काश्तकारों और छोट छोटे उद्योग धंधे वालों से इस प्रकार का टैक्स लिया तो हमारे लिये और इन उद्योग धंधे वालों के हित में न होगा ।

एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी बढ़ती हुयी कीमतों में यह हमारा बिक्री कर सहायक नहीं हो सकता है । आज कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। मैं तो अपने माननीय मंत्री जी से यही कहूंगा कि आप इन कीमतों के बढ़ने को, जिनके खिलाफ आप आये दिन सदन में चिल्लाते हैं, अपने इन कर्त्तव्यों से और अपनी इन नीतियों से ही बढ़ावा देते हैं। आप ठंडे दिल से सोचें।

बहुत बात की जाती है कि हमने अच्छी वसूलयाबी की है। मंत्री महोदय ने बताया कि करीब १३ करोड़ रुपया वसूलयाबी के लिये था और उस में हमने काफी प्रगति की। लकिन यह नहीं बताया कि १३ करोड़ में से कितने की वसूलयाबी हुई। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ भी आप ने वसूलयाबी १ करोड़, या ८० लाख रुपये की की वह रुपया आखिर कहां से आया है ? यह रुपया छोटे छोटे दुकानदारों और काश्तकारों से मिला है । जिन पर तहसीलदार का डर रहता है और उस का चपरासी जा कर वसूलयाबी कर लाता है । लेकिन जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं जिन पर लाखों रुपया चाहिये वे या तो हाई कोर्ट से स्टे आर्डर ले आते हैं अथवा राजनीतिक कार्य भी चलते हैं। अगर मिड टर्म चुनाव हों तो कहां से रुपया आयगा ? पूंजीपतिआते हैं और बातचीत करते हैं और उस से रुपया वसूल नहीं हो पाता है तथा चंदा ले कर उन की माफी कर दी जाती है। वित्त मंत्री महोदय समाजवादी हैं और मैं चाहूंगा कि वह इस बात को देखें कि जिन पर ५ हजार रुपये से कम की वसूलयाबी है उन से आधा रुपया ले लें और आधा रुपया उन का माफ कर दें। अगर आप ने ऐसा नहीं किया तो छोटा आदमी, दुकानदार अपना काम नहीं कर सकेगा । मैं कहना चाहता हूं कि पहले बड़े बड़े पूंजीपतियों से देय धनराशि वसूल की जाय । हाई कोर्ट से जो स्टे आर्डर ले आये हैं उन को वैकेट कराइये ताकि रुपया जल्दी वसूल हो सके।

एक बात और कहना चाहता हूं कि जो हमारा कर वसूली का तरीका हो वह फुल प्रूफ हो । माननीय वित्त मंत्री ने कहा कि बिक्री-कर समिति के सामने कुछ सिफारिशें हैं। मुझे मालूम है कि यह समिति प्रदेश में बहुत दिनों से चली आ रही हैं। बार बार उस की सिफारिशों की दोहाई दी जाती है । मुझ प्रसन्नता है कि उस की सिपारिशों के आधार पर दूसरा बिक्री-कर अधिनियम माननीय मंत्री जी लाने जा रहे हैं। लेकिन मेरा निवेदन है कि उस समिति में जो सदस्य और अधिकारी हैं उन को छोटी छोटी बातों का जिन का संबंध छोटे व्यापारियों से होता है, का अनुभव नहीं होता है जिस के कारण यह संभावना हो सकती है कि यदि

नया अधिनियम लाया गया तो उन के हितों की रक्षा न हो सके। इसलिये मैं चाहता हूं कि एक दूसरी समिति कायम हो जिसमें प्रत्येक व्यापारी वर्ग का नुमाइन्दा हो और बिक्री कर कमिश्नर के अलावा वित्त मंत्री जी स्वयं देखें और जो खामियां मैंने बतायी हैं उन को दूर करने की कोशिश करके सही माने में समाजादी व्यवस्था स्थापित करें। हम चाहते हैं कि उस बिल द्वारा पूर्णरूप से छोटे व्यापारियों और काश्तकारों को राहत मिल सके तथा ग्रामों में जो छोटे छोटे उद्योग चलाने वाले लोग हैं उन पर ज्यादा बोझ न पड़े और हम टैक्सों को बड़े बड़े पूंजीपतियों से ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वसूल कर सकें।

एक बात यह मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बढ़ती हुई कीमतों को रोकने के लिये गल्ले पर से किसी भी रूप में बिक्री कर हो उसे खत्म कर देना चाहिये। इसके अलावा आंपका जो सतर्कता आयोग है मेरा निजी अनुभव है कि वह वास्तव में सही तरीके से काम नहीं कर पाता है। सतर्कता आयोग किस तरह से काम कर रहा है उस सिलसिले में मुझे एक कहानी याद आती है। एक राजा साहब का हाथी था, वह दुबला होने लगा। महावत से पूछा क्या हाथी को राशन कम दिया जाता है जो यह दुबला हो रहा है? राजा साहब ने एक कंट्रोलर नियुक्त कर दिया। पहले हाथी को १२ आने राशन मिलता था अब उसमें से ४ आने कम हो गये और हाथी को ८ आने भर राशन मिलने लगा। हाथी फिर दुबला हुआ तो सुपरिंटेन्डेंट नियुक्त किया गया। अब हाथी को ४ आने भर ही राशन मिलने लगा। इस पर फिर एक बहुत बड़ा अफसर नियुक्त कर दिया गया। नतीजा यह हुआ कि सब अफसर उसके राशन को खा गये और हाथी मर गया। उधर बैठने वाले राजाओं से मैं कहता हूं कि गरीब जनता का हाथी है, जो छोटे छोटे किसान अथवा मजदूर हैं उनका संरक्षण किया जाय और पुलिस के जरिये जो कागजात निकलवाने की बात कही गयी है वह बात मेरी समझ में नहीं आई। हम लोगों ने नागरिक समितियों में काम किया है। हमने देखा कि पुलिस कुछ नहीं करती। दरोगा साहब के पास खाने का राशन और रुपया अलग से मिल जाता है। जनता में बदनामी हमारी होती है कि हमने उनको पकड़वाया। इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये। अगर हम सब पार्टीबाजी को भूलकर एक हो कर काम करेंगे कोई योजना बना कर तभी जनता का भला हो सकेगा। मैं राष्ट्र को दल के ऊपर समझता हूं और दलीय भावनाओं को भूल कर हमको जनता के आर्थिक ढाँचे को बनाना है, हम को मिल कर काम करना है तभी जनता जनार्दन को राहत मिल सकेगी।

श्री रमा शंकर अग्रवाल (जिला आगरा)—

माननीय सदस्य २० मिनट बोल चुके हैं जब कि माननीय अध्यक्ष ने कहा था कि ५,७ मिनट ही एक माननीय सदस्य बोलेंगे।

श्री कालीचरण अग्रवाल—

माननीय अध्यक्ष ने बाद में यह भी कहा था कि २ बजे के बाद मतदान होगा। इसलिये सभी को बोलने का मौका अधिक मिल सकेगा।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जो जरा कड़ुवी लगेगी। १९ सूत्री कार्यक्रम में यह कहा गया था कि बिक्री कर एक सूत्री कर दिया जायगा, लेकिन वित्त मंत्री जी ने थोड़ी सी ही चीजों का जिक्र किया जिस पर एक सूत्री बिक्री कर लगेगा, जैसे कार्ड बोर्ड आदि। जिससे गरीबों का कोई फायदा नहीं है उन चीजों पर तो आपने सेल्स टैक्स को कम कर दिया। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप छोटे छोटे कारखानों पर टैक्स न लगा करके उन बड़े-बड़े कारखानों पर लगाइये जो लग्जरी की चीजें तैयार करते हैं। (लाल बत्ती होने पर) चूंकि लाल बत्ती हो गयी है इसलिये मैं अपने साथियों को अवसर देना चाहता हूं और अपने स्थान को ग्रहण करता हूं।

श्री गौरीशंकर सर्राफ (जिला बांदा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी कल ही जब इस बात की चर्चा हो रही थी कि प्रदेश में महंगाई का स्तर बढ़ता जाता है तो खाद्य मंत्री ने बताया था कि महंगाई का एक कारण करभार की पद्धति भी है। जब कई स्थानों पर कर लगाया जाता है तो कीमत बढ़ जाती है। आज हमारे प्रदेश में बिक्री-कर के कारण या उत्पादन कर के कारण वस्तुयें काफी महंगी हो गयी हैं। इस महंगाई को अगर वास्तव में रोकना चाहते हैं तो बिक्री-कर के मामले में बहुत व्यापक रूप से विचार करना चाहिये। इसके पहले १९६२ में एक बिक्री-कर समिति का निर्माण हुआ था जिसमें इस पहलू पर बहुत काफी विचार किया गया था। सन् ४८ में जब यह कर लगाया गया था तो उस वक्त एक टैम्पोरेरी रूप में लगाया गया था लेकिन जब इसके द्वारा आमदनी बढ़ने लगी तो इसको स्थायी कानून बना दिया गया। इसी संदर्भ में मैं निवेदन करूंगा कि एक शिकारी के पास एक पालतू शेर था। वह उसको बहुत प्यार करता था। एक बार उसने अपना हाथ शेर के मुंह पर रख दिया। स्वभावतः वह शेर उसका हाथ चाटने लगा और चाटते-चाटते जब उसमें से कुछ खून निकला तो शेर को और चस्का लगा। जब शिकारी ने देखा कि यह तो एक प्रकार से खाने पर ही तुल गया है तो ज्योंही उसने हाथ अलग करना चाहा तो शेर गुर्राने लगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि यह जो सेल्स टैक्स की परिपाटी प्रदेश में लागू है उसके कारण उद्योगों के लिये एक कठिनाई पैदा हो गयी है। इससे एक ओर तो महंगाई बढ़ती गयी और दूसरी ओर करापवंचन की प्रवृत्ति व्यापारी में पैदा हो गयी है। वह यह महसूस कर रहा है कि अगर मैं इस कर को अदा करता हूं तो ऐसा तो नहीं है कि मेरी जेब से पैसा जाता है जैसा कि बिक्री-कर समिति ने भी कहा है:—

"व्यापारी लोग कर के परिहार अथवा अपवंचन का सहारा इसलिये लेते हैं कि इससे लाभ होता है। करापवंचन करने का प्रोत्साहन प्रायः कर की दरों पर निर्भर करता है, क्योंकि कर की दर जितना ही ऊंची होगी, करापवंचन को उतना ही अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अतिरिक्त, ऐसी बिक्री-कर प्रणाली में जिसका निहित आधार यह है कि कर का भार उपभोक्ता पर डाल दिया जायगा, व्यापारी को अपने कर दायित्व की सीमा का पहले ही अनुमान लगा लेना पड़ता है ताकि उसे स्वयं कर-भार वहन न करना पड़े। विधि के किसी उपबन्ध के उपाशय के बारे में संदेह होने के कारण भी व्यापारी ऐसे अनुचित उपाय अपनाने के लिये संभवतः विवश हो सकता है जिनसे वह अपने ऊपर पड़ने वाले कर भार से बच सके। चाहे जान बूझ कर करापवंचन करने का उसका इरादा न भी हो, तथापि वह यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न करता है कि बाद में उसके ऊपर कोई अनपेक्षित कर दायित्व न डाल दिया जाय। कभी कभी कर का आपात इतना अधिक हो जाता है कि प्रतियोगी बाजार में अपना अस्तित्व बनाये रखने के उद्देश्य से व्यापारी के पास कर के दायित्व से बचने का प्रयत्न करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं रह जाता।"

श्रीमन्, इस कमेटी के शायद आप भी सदस्य रहे होंगे। इस प्रतिवेदन की इन बातों से स्पष्ट है कि करापवंचन क्यों होता है और व्यापारी को किस परिस्थिति में करापवंचन करना पड़ता है। श्रीमन्, आपके माध्यम से मैं माननीय वित्त मंत्री जी से इस बात का आग्रह करूंगा कि वे इस पहलू पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें। प्रतिवेदन में बहुत से ऐसे पहलू दिये हुए हैं जिनसे कर के संबंध में आगे खामियां पैदा हो सकती हैं और व्यापारियों को परेशानियां हो सकती हैं अगर इस प्रतिवेदन में इस बात का दायित्व न रखा जाता जैसा कि उसमें कहा गया है कि केवल प्रतिवेदन के आधार पर दिया जाय ताकि कर की होने वाली आय में सरकार को कोई हानि न हो। मैं समझता हूं कि जितनी त्रुटियां इसमें दी गयी हैं उन सबको इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि कराधान में हमारे व्यापारी वर्ग को क्या कठिनाइयां उपस्थित होंगी। एक बात यह है कि करापवंचन होने से स्वभावतः आय पर भी इसका असर पड़ता है। और स्वभावतः आयकर पर भी उसका असर आता है। आपको याद होगा

चाहिये कि जब व्यापारियों द्वारा कर का इवेजन होता है तो स्वभावतः उससे आयकर की उपलब्धियों पर भी असर पड़ता है। करापवंचन आयकर की मद को बहुत कम कर देती है। इसके अलावा उद्योग में पूंजी लगाने की जो लोगों की प्रवृत्ति है वह भी एक सीमा तक समाप्त हो जाती है। आपको मालूम होगा-जैसा कि उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा के पृष्ठ २२ पर इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि सन् १९६१ से लेकर १९६६ तक व्यवसाय व वाणिज्य में क्या प्रगति हुई। सन् १९६१ में जहां ९ हजार लोग व्यापार में लगे हुए थे वहां सन् १९६६ में केवल १३ हजार हुए। यानी करीब ४ हजार की बढ़ोत्तरी हुई। इस प्रकार से मैं समझता हूं कि कुल वृद्धि में १.५ प्रतिशत लोग व्यापार व उद्योगों में खप सके। इसके विपरीत अप देखेंगे कि ५४.७ प्रतिशत लोग सर्विसेज की तरफ दौड़ने लगे हैं। मेरा यह स्पष्ट मत है कि आज व्यापारी लोग उद्योगों में अपनी पूंजी लगने के बजाय उद्योगों से भागने की भी कोशिश करते हैं। आज कल यहां तक नौबत आ गयी है कि जिन व्यापारी के घर में पूंजी होती है उनके बालक भी आज इस बात की कोशिश करते हैं कि वे पढ़ लिख कर किसी नौकरी में खप जायं। जो माननीय वित्त मंत्री जी ने बहुसूत्रीय कर से एक सूत्रीय करने की व्यवस्था की है, यह पर्याप्त नहीं है। महंगाई बढ़ती जाती है तो इसकी वजह से उलझन पैदा होती जाती है, फिर व्यापारी को बिक्री कर प्रवंचन का सहारा लेना होता है। बिक्री कर चाहे वह बहु सूत्रीय हो चाहे वह अधिक रेट पर लगाने की बात हो और यदि अधिक दर पर लगाया जायगा तो उसमें यह कहना बिलकुल सही होगा कि व्यापारी उसको छिपाने की कोशिश जरूर करेगा। किसी किसी चीज पर १० फीसदी बिक्री कर लगा हुआ है जैसे फरनीचर पर और किसी किसी चीज में सेंट्रल टैक्स लग जाता है। इसक मानी यह हैं कि दो आने रुपये सरकार के लिये सिंगिल प्वाइंट टैक्स में गया। जो व्यापारी सोचता है कि दो आने रुपये का लाभ पाऊंगा उसको सरकार ले जाती है। वह सोचता है कि जब मैंने इतनी पूंजी लगायी है तो उससे क्या लाभ मिलता है। अगर ऊंची दरों पर बिक्री कर लगाया जाता है तो व्यापारी उसे छिपाने की कोशिश करता है। बिक्री कर के कारण जो वातावरण पैदा हुआ है उसके कारण यह व्यापारियों में यह स्वाभाविक मनोवृत्ति इस प्रकार की पैदा हो गयी है जैसे मिलावट है, कम तौलना आदि-आदि। इस प्रकार की बातें पैदा हो गयी हैं। जब कर निर्धारण किसी व्यापारी पर हो जाता है तो उसको बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। अभी तक उसको स्टे लेने के लिये दूर लखनऊ या आगरा डिवीजनों में जाना पड़ता है। वहां जाने में उसको बड़ी परेशानी होती है। बिक्री कर स्टे करवाने का अधिकार जब अपील का होना चाहिये जिससे व्यापारी को सुविधा हो।

श्री उपाध्यक्ष—

आप का समय समाप्त। अब माननीय कालीचरण अगर उत्तर देना चाहें तो दे दें।

श्री कालीचरण अग्रवाल—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में उत्तर दे दूंगा।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, एक सूचना दे दूं आपको। माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि इस पर जनरल विवाद दो बजे तक हो जाय उसके बाद वोटिंग का प्रश्न हो। तो दो बजे तक साधारण सदस्यों को बोलने का मौका दे दें।

श्री राधेश्याम कपूर—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था चाहता हूं यह व्यवस्था हुई थी कि पांच-सात मिनट बोलेंगे बाकी आपने तीन माननीय सदस्यों में घंटा समाप्त कर दिया तो क्या मैं समझूं कि और लोगों को भी मौका मिलेगा?

(इस समय १ बजकर ५५ मिनट पर माननीय अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्री अध्यक्ष—

सब का समय समाप्त हो गया। अब वह कटौती के प्रस्ताव पर जवाब दे रहे हैं।

*श्री कालीचरण अग्रवाल—

मैं आदरणीय सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता। वास्तव में जितनी बातें कही थी जब कटौती का प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किया सब कह दीं। मुझे पूर्ण आशा है कि सब बातों का माननीय वित्त मंत्री ध्यान रखेंगे।

मैं यह चाहता हूं कि आप बिक्री कर, परचेज टैक्स लगायें लेकिन उन स्थानों पर लगायें जहां उनका लगाना जरूरी है। और छोटे-छोटे काश्तकार हैं, व्यापारी है, कृपा करके ऐसा न करें कि अंडा लेने की वजह से मुर्गी को ही मार डालें। मैंने सदन का समय इसलिये लिया है कि मैं यह निवेदन करना चाहता था कि जो विधेयक वित्त मंत्री जी लाने जा रहे हैं उसमें जो बातें मैंने कहीं है उनका समावेश होगा और मैं उनको इस बात के लिये पूर्ण रूप से मुबारकबाद देता हूं कि बात उन्होंने कही है और सेल्स टैक्स वाली बात कही है उसमें इसको रखेंगे। जो परिवर्तन हुआ है उसका स्वागत करता हूं। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जो शासन बदला है तो उसके साथ साथ प्रशासन भी बदलना चाहिये। जो खामियां है वे दूर होनी चाहिये। मुझे एक कविता याद आ गई है:—

"माली बदला पर चमन नहीं बदला, पक्षी बदला पर गगन नहीं बदला।
गायक बदला पर गान नहीं बदला, दल बदला पर दलदल नहीं बदला।।
चरणसिंह बदले और बदले उनके चारण सभी, शासन बदला पर प्रशासन नहीं बदला।।"

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप शासन में तब्दीली लाइये। आप अपना १९ सूत्री प्रोग्राम पूरा कीजिये, मैं आपको मुबारकबाद दूंगा।

श्री रामस्वरूप वर्मा—

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने कुछ अच्छे सुझाव दिये हैं। वैसे इन सुझावों के बारे में शासन पहले से विचार कर रहा था और मैंने अपने वक्तव्य में उन पर प्रकाश भी डाला था। फिर भी उन्होंने कुछ सूक्ष्मता बताई तो उन पर विचार करना लाजिमी है और किया जायेगा। एक बात की उन्होंने आशंका व्यक्त की उसकी सफाई कर दें। उन्होंने यह कहा कि करापवंचन में भ्रष्टाचार को रोकने के लिये जो पुलिस अधिकारी रखा है वह ठीक नहीं है। हमने इसलिये पुलिस अधिकारी रखा है कि करापवंचक लोगों के यहां अच्छी तरह से छापे मारे जा सकें। उनको आशंका है कि पुलिस से काम बिगड़ जाता है। मैं उनको विश्वास दिलाना हूं चाहता हूं कि उपायुक्त के बजाय एक पुलिस अधिकारी रख दिया है और बाकी बिक्री कर अधिकारी रहेंगे। बही खातों की जांच पड़ताल वहीं करेंगे पिछले दिनों फिरोजाबाद में एक छापा मारा था और जो अनुभव हुये उससे आवश्यक समझा गया कि इसमें पुलिस अधिकारी अवश्य होना चाहिये। पुलिस अधिकारी के साथ साथ बिक्री कर अधिकारी भी रहेंगे और इस तरह से करापवंचन को रोक सकेंगे। इसके साथ ही साथ यह भी है कि हमारे विभाग के अधिकारियों को डराने धमकाने की नौबत नहीं आयेगी। छापे मारने वालों में केवल एक पुलिस का अधिकारी रखा है ताकि उसका नियोजन और संचालन ठीक तरह से कर सके। इसलिये मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि वे ऐसी आशंका न करें और किसी तरह से कोई कठिनाई नहीं आयेगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरी बात उन्होंने यह कही कि हिसाब किताब रखने में परेशानी होती है तो ऐसा होना चाहिये कि लाइसेंस फीस लगाकर व्यापारी को सुविधा दी जाय। इसमें कठिनाई है कि जो लाइसेंस फीस होती है तो किसी फीस को आय का आधार नहीं बनाया जा सकता ऐसा उच्च न्यायालय का निर्णय है तो इस वजह से यह निर्णय बाधक है। जब तक वह निर्णय है तब तक नहीं हो सकता। वह ठीक भी है, क्योंकि फीस जो ली जाये वह उसी काम के लिये ली जाये, जो उसमें खर्च हो। उनको सुझाव को कार्यान्वित करने में कानूनी दृष्टि से अड़चन है, नहीं तो शासन को उसे लागू करने में कोई एतराज नहीं है।

यह भी कहा गया कि सरकार द्वारा बड़े बड़े आदमियों से कर वसूली में नरमी बरती गई, माननीय सदस्य यदि इस बात का १-२ उदाहरण दे देते तो अच्छा रहता। हमने जहां तक इस विभाग को देखा और इसकी कार्य प्रणाली को समझा है, उसमें मैंने किसी जगह भी भेद भाव नहीं पाया है। सबके साथ इस विषय में अधिकारियों द्वारा समान बर्ताव हुआ है, किसी को बड़ा समझ कर उससे वसूली में कुताही नहीं की गई है और न किसी पर ज्यादती की गयी है। अब अगर वह कहते हैं कि वह अदालत से स्थगन आदेश ले आते है, तो उसमें शासन का क्या दोष है, अदालत स्वतंत्र है और उनका निर्णय सरकार के लिये मान्य है। मैं केवल यही कह सकता हूं कि सरकार इस दिशा में पूर्ण रूप से जागरूक है और किसी के साथ भेद भाव पूर्ण व्यवहार नहीं किया जायगा। जिनके पास कर अवशेष है उनसे वसूली करने का शासन पूर्ण प्रयास कर रहा है।

यह कहा गया कि इसमें अदालत दूर दूर पड़ती है, उनके इरादे को तो हम नहीं समझ पाये कि वे क्या कहना चाहते हैं। यदि उनका मतलब यह था कि रिवीजन को ही स्टे करने का अधिकार होना चाहिये, तो यह कोई नई बात नहीं है यह पहले से ही था, इसलिये इस पर कोई विशेष भाष्य करने की आवश्यकता नहीं समझता।

यह भी कहा गया कि कर कम लगें तो कर वंचना बहुत कम हो जायगी। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि जो इस वक्त करों की दर है वह यहां के बिलकुल अनुकूल है, उसमें कोई बात ऐसी नहीं, कुछ ऐश्यासी आदि की चीजों को छोड़ कर। इनकी दरें पहले से ही चली आ रही है, पिछली सरकार के जमाने में भी यही थीं। फिर भी सरकार इस पर समय समय पर विचार करती है। इस हेतु हमने व्यापारियों की एक समिति बना दी हो जिसमें हर व्यापारिक संस्था के एक एक प्रतिनिधि होंगे। जिसकी बैठक करके हम उनकी दिक्कतों को पता लगाया करते हैं। उनकी बैठक अगले महीने में हम करने वाले हैं। वे अपनी कठिनाइयां उसमें भेज दें, शासन उनकी कठिनाइयों को देखेगा और उन्हें दूर करने का पूर्ण प्रयास करेगा।

यह भी कहा गया कि अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है। जो प्रणाली अप्रत्यक्ष है वह प्रत्यक्ष कर प्रणाली से काफी श्रेष्ठ है। प्रत्यक्ष करों का जो सबसे बड़ा साधन मालगुजारी था उसमें सरकार ने काफी छूट दी है और आगे भी दे सकती है, इसलिये अप्रत्यक्ष करों के स्त्रोत को बढ़ाना आवश्यक हो जाता है। तो इस दशा में माननीय सदस्यों की भावना की पूर्ति की यह सरकार पूरा विचार कर रही है और हमारी आय इस स्त्रोत से अवश्य बढ़ जायगी।

उन्होंने कहा आमदनी पिछली सरकार की इससे २६ करोड़ रुपया है और इस वर्ष हमने ३२ करोड़ ४ लाख की आय का अनुमान लगाया है। उनका कहना है कि यह आय ४० करोड़ की होनी चाहिये। कहने का तात्पर्य यह है कि इस मद से कम आय का अनुमान लगाया गया है जबकि अधिक आय होगी। दूसरी तरफ जब बहुगुणा जी ने सामान्य विवाद की चर्चा में भाग लिया है तो उनका कहना है कि इनमें आय में बहुत जरूरत से ज्यादा आशा की गयी है, वह लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता और यह लाभ का जो बजट है वह बाद में चल कर घाटे का बजट हो जायगा। तो उनके दल के लोग अब कहते हैं कि यह ज्यादा हो जायगा,

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

४० करोड़ का होना चाहिये। दोनों के कथन में विरोधाभास है। मान्यवर, अब उन्हीं के दल के एक माननीय सदस्य कहते हैं कि यह कम है और इससे ४० करोड़ आय होगी। खैर, यह उनका परस्पर विवाद है लेकिन सरकार ने जो अनुमान लगाया है वह बहुत सोच समझ कर किया है। इससे प्रदेश की आमदनी भी बढ़ेगी और उसका हित भी होगा। उन्होंने आशा की है कि करापवंचन न हो तो उसके लिये हमारी ओर से सतर्कता है और हमारी कोशिश बराबर है कि करापवंचन न हो ताकि एक व्यापारी के करापवंचन के कारण दूसरे व्यापारी को हानि न हो उसके लिये हम बराबर कोशिश करेंगे।

अब माननीय चन्द्रबली जी बराबर उठ रहे हैं।

श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)--

गोरखपुर के बारे में मैंने आपका ध्यान दिलाया था।

श्री रामस्वरूप वर्मा—

अब गोरखपुर के उपायुक्त की कचहरी हटाकर फैजाबाद की जा रही है उसके लिये माननीय चन्द्रबली जी ने अच्छा सुझाव दिया। यह सही है कि हम उपायुक्तों की संख्या २७ से कम करके २२ कर रहे हैं और वह मितव्ययिता की दृष्टि से भी और इसलिये भी बहुत से उपायुक्त ऐसे भी हैं जिनके पास साल भर पूरे मुकदमे निपटाने के लिये नहीं रहते। अब प्रश्न केवल यह है कि फैजाबाद में वह रहे या गोरखपुर में। तो उसके लिये चारों तरफ के लोगों को जहां पहुंचने में सुविधा हो, जो केन्द्र में हो जिससे व्यापारियों को वहां पहुंचने में सुविधा हो। इस दृष्टि से फैजाबाद केन्द्र में पड़ता है। फिर भी आम तौर पर व्यापारियों की असुविधाओं को देखते हुये हम ऐसा कर देंगे कि उपायुक्त कुछ दिन गोरखपुर में बैठेंगे और वहां पर गोरखपुर के व्यापारियों के मुकदमे का फैसला कर देंगे और जब फैजाबाद में बैठेंगे तो वहां और उसके निकट के मुकदमों का फैसला कर देंगे। लेकिन उनका कार्यालय और निवास स्थान फैजाबाद ही रहेगा। उनकी जो इच्छा थी वह भी शासन ने स्वीकार कर लिया है। मुझे आशा है कि अब उन्हें शिकायत नहीं रहेगी।

श्री राधेश्याम कपूर—

अध्यक्ष महोदय, मुझे यह जानकारी करनी है कि यू० पी० से दिल्ली लगा हुआ है और दोनों के सेल्स टैक्स में अन्तर है। मेरा निवेदन है कि कुछ ऐसा तरीका अख्तियार किया जाय जिससे हमारे व्यापारियों पर जो अधिक टैक्स पड़ रहा है वह न पड़े।

श्री रामस्वरूप वर्मा—

इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को ज्ञान नहीं हो पाया, मुझे पहले ही बता देना चाहिये था कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और पंजाब इनकी एक सम्मिलित बैठक बुलाई थी पहले और उस कमेटी ने यह फैसला लिया था कि जो कर जहां लगे हुये हैं वह लगे रहेंगे जब तक कि समान रूप से सब जगह के लिये एक सा न हो जाय और तब तक उन्हें बढ़ाया या घटाया न जाय। यह उस कमेटी का फैसला है अब अगर उसे तबदील करना है तो उसके लिये कमेटी बैठायी होगी और वह केन्द्र के द्वारा होगी तो जो थोड़ी अड़चने हैं वह यह है। कमेटी का जो फैसला है वह प्रत्यक्ष है और उसके अनुसार काम हो रहा है और उसका निर्णय ठीक चल रहा है अड़चने आयेंगी नहीं, हम सतर्क है और यदि कोई अच्छा सुझाव आयेगा तो शासन उसको स्वीकार करेगी। थोड़ी बहुत कमी है उनको दूर करने का प्रयत्न किया जा रहा है। इन तमाम बातों को देखते हुये जो तीन महीनों में कर वसूली और करापवंचन के सिलसिले में उपलब्धियां हुई हैं और चाहे वह बिक्री कर अधिकारियों के प्रशिक्षण शिविर काम करने की बात हो और चाहे नये संगठन और सतर्कता आयोग खोलने की बात हो यह तमाम काम तमाम कठिनाइयों को ध्यान में रख कर किये गये है जिसके बाद अब माननीय सदस्यों को कोई शिकायत नहीं रह जायगी और जहां तक उनके कार्यान्वियन का सम्बन्ध है शासन उसमें सतर्क है। इन बातों को देखते हुये और यह एक छोटी सी मांग है, जहां इतना रुपया वसूल होता है उसमें केवल

ढाई रुपया सैकड़ा इसको वसूल करने के लिये खर्च होगा और मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को इस मांग को स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं होगा। इस साल तो हमने सबसे कम रुपया मांगा है और हर साल इस विभाग पर इससे कहीं अधिक रुपया विभाग पर खर्च होता रहा, इससे कम कभी खर्च नहीं हुआ। इस वजह से हम कम से कम मांग कर काम चलाना चाहते हैं। किफायतसारी भी इसमें शामिल है और साथ ही साथ दक्षता भी इसमें शामिल है। यही आशा करके हम चले हैं। इसलिये इतने कम खर्चे में काम करेंगे। मैं आशा करता हूं कि जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है उसको माननीय सदस्य वापस ले लेंगे क्योंकि हम बहुत कम पैसे में केवल २॥ फीसदी सेल्स टैक्स की वसूली का खर्च करना चाहते हैं और साथ ही उन्होंने जो सुझाव हमको दिये हैं उन सब को मान लिया है जो शासन के विचाराधीन है। मैं आशा करता हूं माननीय सदन इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा।

श्री अध्यक्ष--

अब मैं कटौती के प्रस्ताव को प्रस्तुत करने से पहले इतनी बात कह दूं कि विभाजन के विषय में कल जो उत्तेजित वातावरण हो गया था उसके बारे में विभिन्न राय मिली थी। यदि विभाजन की मांग हो तो किस तरह से मतदान हो इस पर विभिन्न रूप से मैंने सोचा। फिर माननीय मुख्य मंत्री और माननीय नेता विरोधी दल को मैंने अपने कमरे में बुलाकर बात की। उनके विचारों को अलग अलग जाना। उसके बाद मैंने यह निश्चय किया कि अगर विभोजन की मांग हो और मतदान आवश्यक हो तो ऐसे किया जाय कि सदन के सामने एक डिब्बा रखा दूंगा। उसके कार्ड छोटे-छोटे मोटे पेपर पर छपा लिये है जिस पर हां और नहीं लिखा हुआ है। हमारे सचिव के उस पर दस्तखत हैं। उस पर हर माननीय सदस्य हस्ताक्षर करेगा। उसमें हां या नहीं को वह काट देंगे। यह साधारण व्यवस्था नहीं रहेगी लेकिन अगर आज मतदान आवश्यक हुआ तो आज की विशेष परिस्थिति में मैंने यह व्यवस्था की है। आज के अलावा शायद यह व्यवस्था कल भी चलेगी, आज और कल यदि विभाजन आवश्यक हुआ। मैं इतना और बता दूं कि मैं किसी माननीय सदस्य का सुझाव नहीं मांग रहा हूं। यह मेरा अधिकार है कि यदि मत विभाजन की मांग हो तो उसको या तो कक्ष में भेज कर कराऊं या जिस रीति से उचित समझूं, कराऊं। एक बात और आवयश्क है कि यह लिखित होना चाहिये और ओपिन वोटिंग होना चाहिये। उसमें यह जो सूची तैयार होगी वह कार्यवाही का अंश बनेगी। उसको जो लिस्ट होगी विधान सभा की जो कार्यवाही तैयार होती है प्रतिदिन की, उसमें छापी जायगी।

श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)--

मेरा अध्यक्ष महोदय, वह निवेदन है कि सदस्यों के लिये नियमों के बारे में जो पुस्तिका प्रकाशित की गई है विभाजन क बार म उसम ब्योरवार दिया गया है। उसको आप कृपया देख लें। आप जिस प्रकार से कह रहे हैं इस प्रकार की उसम कोई बात नहीं है। विभाजन की प्रक्रिया उन नियमों के अन्दर दी हुई है।

श्री अध्यक्ष--

मैं समझता हूं माननीय सदस्य को ऐसा भ्रम है कि जो पुस्तिका नियमों की बांटी गई है वह कोई और है और जो म पढ़ता हूं वह कोई दसरी है। म आपको बतलाना चाहता हूं कि दोनों एक ही किताब ह। उसक पृष्ठ ३ को आप देख ल, जो बात म कह रहा हूं उसको आप देख लें।

श्री चन्द्रभानु गुप्त (जिला अल्मोड़ा)--

अध्यक्ष महोदय, आपने अभी अनुदान के विषय में जो वोटिंग हो वह किस प्रकार से हो उसके सम्बन्ध में जो व्यवस्था आपने दी ह उसक सम्बन्ध में मैं आपको धन्यवाद देता हूं। कल जो बात हुई और जो अशोभनीय बात हुई, जसा मैंने कल कहा था कि उसको देखते हुये आज की हालत में जो आपने निर्णय लिया है वह निर्णय सही और ठीक प्रतीत होता है। मैं इस कारण से और इसलिय भी कि मेरा मत.....

श्री अध्यक्ष—

मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन आप इस पर भी प्रकाश डाल दें कि साधारणतया लावीज की व्यवस्था में आप सहायता देने में समर्थ होंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

मैं साधारणतः लाबीज की व्यवस्था में विश्वास करता हूं और वही व्यवस्था साधारणतः अपनानी चाहिये और उसी के अनुकूल कार्य होना चाहिये, परन्तु जब सदन में कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जायं जो सदन के वातावरण को दूषित करें और सदन की गरिमा को गिरायें तो अवश्य अध्यक्ष को ऐसी व्यवस्था रखनी चाहिये जिससे शान्ति की व्यवस्था सदन में हो सके और कोई भी अनुचित बात सदन में होने न पाये जिस के विषय में बाहर हमारे विषय में, हम पर टीका टिप्पणी की जा सके ।

मैं दूसरी बात कह रहा था और वह यह थी कि साधारणतया मेरा मत सदन से यह रहा है और मैंने उस मत के अनुकूल यहां कार्य किया है कि जो सरकार चल रही है और जो सरकार आवे उसमें उन सब को कार्य चलाने के लिये धनराशियों की आवश्यकता होती है और वह धन राशियां बजट के स्वीकृत होने के बाद ही सरकार को प्राप्त हो सकती हैं और इस कारण से बराबर मेरी यह चेष्टा रही है अपने साथियों के बीच में, भले ही किन्हीं साथियों का मत भिन्न रहा हो कि अनुदानों के विषय में टीका टिप्पणी भले ही वह कर लें लेकिन अनुदानों को पास हो जाने दें। मैंने तो यहां तक कहा, यद्यपि उससे मेरे साथियों में बड़ा असंतोष रहा, कि एप्रोप्रिएशन बिल भी बिना मत के पास हो जाने दें। इस कारण से मैं आज भी इस सदन के इस ओर बैठने वाले साथियों से निवेदन करूंगा कि जब एक अविश्वास का प्रस्ताव आ रहा है, उस पर हम विचार करने जा रहे हैं तो कोई कारण नहीं है कि जो आखिरी अनुदान रह गया है उस पर हम कोई मतदान करायें। यदि मतदान होगा तो कल होगा जबकि अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार होगा और कदाचित इन दो दिनों में जो वातावरण हमारे बीच में पैदा हुआ है वह भी हमारी नजरों से गायब हो जायगा। अभी तो कल जब सांयकाल मैं यहां से उठ कर गया तो मैंने अपने दल के साथियों को बड़ा उत्तेजित पाया, बहुत नाराजगी उनकी मेरे ऊपर थी क्योंकि मैंने उनसे बिना पूछे एक निर्णय ले लिया था। मैं आज भी यह निर्णय बिना उनसे पूछे ही ले रहा हूं और आप से कह रहा हूं और निवेदन कर रहा हूं कि आज अनुदानों पर जो विभाजन की मांग है वह हम नहीं करेंगे और कल जब अविश्वास का प्रस्ताव आयेगा, उस पर विचार होगा, उस पर विभाजन सदन का करायेंगे। और वह उस प्रक्रिया के अनुसार होगा जिसकी घोषणा आपने की है ।

मुख्य मंत्री (श्री चरणसिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि जिस वक्त आप विभाजन के सिलसिले में अपनी बात फरमा रहे थे, मैं यहां मौजूद नहीं था इसलिये मैं नहीं कह सकता कि आपने क्या फरमाया, लेकिन विरोधी दल के माननीय नेता की बात से ऐसा लगता है कि आपने कोई निर्णय दे दिया है। अगर आपने कोई निर्णय दे दिया है तो .....

श्री अध्यक्ष—

मैंने यह घोषणा की थी जब मैं कटौती के प्रस्ताव को रखना चाहता था कि सारी स्थितियों को देख कर जो सूचनायें मेरे पास आयीं जो बातें मैंने समझीं और अध्ययन कीं, उनके संबंध में मैंने मुख्य मंत्री से भी बात की और नेता विरोधी दल से भी बात की, और मैंने यह निश्चय लिया है कि अगर विभाजन की मांग हुई और मतदान आवश्यक हुआ तो मैं हमेशा के लिये तो लाबीज की प्रणाली को नार्म मानता हूं, लेकिन इस विशेष परिस्थिति में मैंने यह निश्चय किया है और उसके लिये कार्ड्स छपवा लिये हैं।

(व्यवधान)

मैं सदन की अनुमति नहीं मांग रहा हूं, मैं घोषणा कर रहा हूं ,आप कृपा कर के सुनें और शांत वातावरण बनाये रखने में सहायक हों। मैंने यह बताया कि नियमों में मुझे यह अधिकार है कि मैं लावीज में भेज कर यह कार्य करूं अथवा किसी अन्य रीति से जो अभिलिखित हो मतदान कराऊं जहां तक अभिलिखित मतदान का सिद्धान्त है उस को मैं मानता हूं। अभिलिखित मतदान तो होगा, मगर कल जो टेन्शन था उसके देखते हुये मैंने यह किया....

श्री चरणसिंह—

क्या मैं कुछ अर्ज कर सकता हूं इस फैसले के बारे में? मैं जरा सी बात कहना चाहता हूं। एक तो यह कि आपने फरमाया जहां तक मैं समझाता हुं कि आपने माननीय गुप्ता जी से पूछ कर यह फैसला लिया है। इसमें यह गन्ध भी आती है कि मेरी उसमें रजामन्दी थी। ऐसी बात नहीं थी। अगर आप इजाजत दें तो.....

श्री अध्यक्ष—

मैंने यह कहा कि मैंने उनसे भी अलग-अलग बुलाकर बात की।

श्री चरणसिंह—

मैंने तो यह सुझाव रखा था, जैसा कि कल भी मैंने कहा था, आपके कमरे में भी कहा कि आप लिस्ट से १६-१६ माननीय सदस्यों के नाम पढ़ते जायं और फिर वे जाकर दस्तखत करें। मैं तो यह इम्प्रेशन रखता था और यही इम्प्रेशन लेकर मैं आप के यहां से आया कि जो परिपाटी चली आयी है उस पर अमल होगा। आपने तो खुद यह फरमाया था कि हाउस में जो वोटिंग होती है वह ओपिन होती है। फिर यह जो आपने व्यवस्था की है यह ओपिन वोटिंग कहां रही ? वह राय सीक्रेट होगी। उसके बाद रिजल्ट ओपिन होगा। तो वोटिंग तो सीक्रेट रही।

श्रीमन्, हम पोलिटिकल करप्शन के संबंध में एक बिल ला रहे हैं और उस संबंध में एडवोकेट जनरल से मैंने बात की थी, कल माननीय श्यामलाल जी ने भी एक बयान निकाला, तो उनकी भी यह राय थी कि हाउस में जितनी वोटिंग होती है वह ओपिन होती है और पब्लिक होती है, यह राय थी एडवोकेट जनरल की। तो मेरी गुजारिश यह है कि आज तो वोटिंग का सवाल नहीं है, लेकिन कल के लिये आप फिर से विचार कर लें तो मैं आभारी हूंगा।

श्री अध्यक्ष—

मैं माननीय नेता सदन का आभारी हूं, मुझे दु ख है कि कुछ गलत फहमी हो गई। मेरी माननीय नेता सदन से दो बार बात हुई, पहली बार जब बात हुई तो उस वक्त तक मैं यही सोच रहा था कि मैं जैसा नेता सदन ने कहा उसी तरह से वोटिंग कराऊंगा, और जो इसका उनको इम्प्रेशन हुआ तो वह ठीक ही था। फिर एक बार और मेरी माननीय नेता सदन से बात हुई, मेरे कक्ष में वे आये, उस समय उन्होंने कुछ सूचनायें मुझे दीं जिनसे मुझे उस पर कुछ फिर सोचना पड़ा। उसके बाद मैंने यह निश्चय किया जो मैंने यहां आज घोषणा की। यह तो रहा इस घटनाक्रम के बारे में।

मैं माननीय नेता सदन का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मेरी जो व्यवस्था है उस को तो क्वैश्चन किया और उसम मुझे सहारा दिया है कि मैं उस पर अपनी व्यवस्था करूं जिसका मुझे अधिकार है मैं अगर उसको आवश्यकता समझूं तो ऐसा कर भी सकता हूं। मैं उनके विषय में कहना चाहता हूं। कल मैंने जो व्यवस्था दी थी उसमें हमने कहा था आज भी वही मत है कि अभिलिखित मतदान जब होता है तो ओपेन वोटिंग निश्चित हो जाता है। ओपेन और सीक्रेट वोटिंग का मतलब यह है कि सीक्रेट वोटिंग जहां होता है वहां अगर

[श्री अध्यक्ष]

एक बैलट पेपर पर संकेत भी हो तो उसको अवैध कर देते हैं। जहां पर अभिलिखित मतदान होता है वहां यह प्रत्यक्ष हो जाता है कि कहां किसने मत दिया। जो कान्स्टीटुएन्ट्स हैं उनको यह अधिकार हो यह जानने का कि सदन में जो डिवीजन का अवसर आया उसमें हमारे प्रतिनिधि ने किस तरफ वोट दिया। हमारी लाबीज में जो वोटिंग होता है उसको एक तरह से स्पष्ट या ओपिन कह सकते हैं। राजिस्टर पर माननीय सदस्य चारों तरफ से घेर कर खड़े हो जायं उसके लिये प्राविधान नहीं है। उसमें तो रजिस्टर पर जो व्यक्ति दस्पखत करता है केवल वही रहता है। उसके बाद वे सारे दस्तखत हो जाते हैं तब उनकी एक तालिका बन जाती है और वह उस दिन की कार्यवाही का अंग बन जाता है और वह साधारण जनता की प्रापर्टी होती है, वह उसे जान सकती है। कल मैंने इस विषय में जो घोषणा की है वह यह है कि जब अभिलिखत मतदान हो गया और सब ने हस्ताक्षर कर दिये तो वह सदन की कार्यवाही का उसी दिन का अंग बनता है और मैं समझता हूं और मेरा ऐसा विश्वास है कि माननीय नेता सदन पूरी बात जानने के बाद मुझे तथ्यों पर यह आश्वासन दिला दें कि इसमें किसी प्रकार से उस मौलिक अधिकार का हनन होता है और विपरीत आचरण होता है तो मैं पुनः विचार कर सकता हूं।

(व्यवधान)

श्री प्रतापनारायण तिवारी (जिला गोंडा)—

अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहना है कि हां, या ना, की जो बात कही गई अगर हां या ना, कर दें तो बात वही हो जायेगी और इसमें कोई व्यवस्था नहीं होगी....

राजस्व मंत्री (श्री उदितनारायण शर्मा)—

अध्यक्ष महोदय, अभी अभी जो माननीय नेता सदन ने आपके सामने निवेदन किया कि कल आप की स्वयं यह राय थी कि ओपिन वोटिंग होगा और मान्यवर, यह भी नहीं कहा जा सकता कि जिस तरह की व्यवस्था आप करना चाहें उस को वोटिंग की संज्ञा दी सकती है। मैं अभी निवेदन किये देता हूं.....

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं इस समय खड़ा न होता परन्तु मुझे बड़ा दुःख है कि मान्यवर, उदितनारायण शर्मा जी ने यह कहा कि आपने जो बात कही उसको ओपेन वोटिंग की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। मैं नहीं जानता कि आपकी जो रूलिंग है उस को क्वेश्चन करने का वे कौन सा सरल तरीका अडाप्ट कर सकते हैं? जिस समय माननीय नेता सदन खड़े हुए मैंने आपत्ति नहीं हालांकि उन्होंने भी बड़े ढंग से एक क्वैश्चन किया। बहरहाल जब महसूस नहीं किया तो उसके बारे में मैं नहीं कहना चाहता। माननीय उदित नारायण शर्मा ने कहा कि उसको ओपेन वोटिंग की संज्ञा नहीं दी जा सकती....

श्री अध्यक्ष—

उदितनारायण शर्मा जी कानून के भी विज्ञ हैं और विद्वान हैं। मेरा विश्वास है कि वे कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिनकी नियमों से असंगति हो।

श्री उदितनारायण शर्मा—

मान्यवर, नेता सदन ने पहले ही कह दिया है कि आपकी जो भी आज्ञा होगी, सब को शिरोधार्य होगी इसलिए कभी भी मेरा मंशा नहीं हो सकता कि उसका अनौचित्य निकाल सकूं। मेरा निवेदन यह है कि आपने अपनी राय ओपिन रखी है और यह कहने की कृपा कर रखी है कि अगर कोई सदस्य मान्यवर को स्पष्ट करना चाहेंगे तो आप जरूर सुनना चाहेंगे और सुनेंगे इसलिये मैंने धृष्टता की कि जो मेरी समझ में आता था वह निवेदन करूं।

श्री अध्यक्ष--

जब मैंने यह आमंत्रण दिया था तो यह भी कहा था कि मैंने काफी विचार कर माननीय मुख्य मन्त्री की बात भी अलहदा सुन कर और माननीय नेता विरोधी दल की बात अलहदा सुन कर उनकी निश्चित सलाह या कहने से नहीं--उनकी बात सुनकर अपना निश्चय लिया। कल सदन ने भी सारी बात सुनी। अब अगर इसके बाद कोई माननीय सदस्य खास तौर से नेता सदन, कहें, अगर वह मुझे अश्वस्त करा दें कि जो हमारे नियम हैं उनका कहीं मूल रूप से उल्लंघन होता है या कोई और भावना को ठेस पहुंचती है तो मैं पुनः विचार करने के लिये उद्यत हूं। तो अगर सदन में शर्मा जी एक बात कहेंगे तो उधर उसके विरोध में दूसरा तर्क रखेगा तो उसको भी अवसर देना पड़ेगा। तो आपका जो मूल्यवान समय है-अप्रोप्रियेशन बिल है, दूसरा कार्य है--वह बिलम्बित न हो, मैं प्रार्थना करूंगा कि अगर आप उचित समझें तो कृपा करके इस विषय को छोड़ दें।

श्री उदितनारायण शर्मा--

केवल एक मिनट का समय और लूंगा। सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब सुबह मैं आपके पास हाजिर हुआ था और इस पर विचार हुआ तो यह मान्यवर का निश्चित मत था कि "नहीं, इस तरह डिब्बा रख कर वोटिंग कराना ठीक नहीं होगा" और कल मान्यवर ने जो कहा था कि दो डिब्बे रखेंगे एक हां का, एक ना का, यह तो उससे अच्छा था। लेकिन आज जो कहा वह दूसरी बात है।

श्री अध्यक्ष--

मुझे एक मिनट सदन का लेना पड़ता है कि जो माननीय शर्मा जी मेरे पास गये थे तो दूसरे प्रसंग में गये थे। मैं जो भी बात सोचता हूं कुछ लाउडली सोचने में विश्वास रखता हूं। मैंने आप से ही नहीं, जिन माननीय सदस्यों से मेरी बात हुई, मैंने लाउड-थिंकिंग किया और यह सही है कि उस समय मैं उन्हीं लाइन्स पर सोच रहा था और मुख्य मंत्री जी से जब बात हुई तो उन्हीं लाइन्स पर सोच रहा था। लेकिन बाद में जो मुख्य मंत्री ने सूचनायें दीं उसके बाद मैंने अपना विचार बदला और उसके आधार पर कुछ और भी स्टेप्स लिये, यही कारण है कि आज सारी दर्शक दीर्घा खाली दीख रही है। अगर किसी माननीय सदस्य या मंत्री जी से बात हो तो मेरी लाउड-थिंकिंग रहती थी, कोई निश्चित विचार नहीं था और सदन में मैंने इतना सोच विचार के बाद जो व्यवस्था की है मैं सहर्ष उसको भी पुनः विचार करने के लिये तैयार रहूंगा और मुझे माननीय नेता सदन यह अश्वस्त कर दें कि किसी नियम का इस समय उल्लंघन हो रहा है। मैं उसके साथ माननीय उदित नारायण शर्मा का भी नाम सम्मिलित करता हूं।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री प्रतापसिंह)--

मैं, आपका ध्यान, जैसा मान्यवर ने कहा, नियम का उल्लंघन जो हो रहा है उसकी ओर दिलाना चाहता हूं। मैं व्यवस्था उठाना चाहता हूं। मैं मान्यवर से बड़े अदब से जानना चाहता हूं कि जब कोई ग्रांट वुट करते हैं तो एक पक्ष से हां और एक से ना कहलाते हैं। तो हमारा जहां "विभाजन" लिखा है वह "इलेक्शन" है या "डिवीजन" है? अगर डिवीजन है तो "हां" वालों को "हां" की तरफ और "ना" वालों को "ना" की तरफ जाना चाहिये। तो यह साफ हो जाना चाहिये कि बक्सा रखने का मतलब तो "इलेक्शन" हुआ, डिवीजन में तो "हां" और "ना" की व्यवस्था है। डिवीजन का प्रोसेस पूरा नहीं होता जब तक आप "ह" और "ना" नहीं कहला लें। या जब तक हां वाले हां की लाबी में न जायं और नहीं वाले नहीं की लाबी में न जावें। अगर ऐसा न हुआ तो पूरी प्रोसीडिंग्स नगण्य हो सकती है। बक्सों का रखना एकीकरण है और चुनाव है, वह विभाजन नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

अगर कोई सदन के साधारण सदस्य किसी प्रश्न को उठाते हैं और अगर उसी प्रश्न को कोई माननीय सदस्य मंत्री उठाते हैं तो उसमें थोड़ा अन्तर आ जाता है। मैं अपेक्षा करता हूं कि माननीय मंत्री जी नियमों का इस से अधिक आदर करेंगे जितना अभी हुआ। मैं जब एक व्यवस्था दे चुका तो किसी भी ढंग से उस पर चर्चा की जाय, वह निश्चित रूप से मैं, माननीय प्रतापसिंह जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि उस पर पुनः विचार होना चाहिये, जिसकी मैं अनुमति को मना कर चुका हूं। मैंने फिर भी इस बात की आज्ञा दी कि अगर मुझे विश्वस्त कर दिया जाय, तो मैं उस पर पुनः विचार कर सकता हूं, जिसका मुझे अधिकार है लेकिन जिस से कुछ भ्रांति न हो, मैं चाहता हूं कि सदन के सारे माननीय सदस्य प्रक्रिया को जान लें। माननीय प्रतापसिंह ने जो प्रश्न रखा, विभाजन का मतलब क्या है, लाबीज काहे के लिये बनी हैं, तो अच्छा होता अगर उन्होंने पूरी प्रक्रिया को पढ़ लिया होता। नियम २९८ में है कि मत आवाजों द्वारा या विभाजन द्वारा लिये जा सकेंगे और यदि कोई सदस्य ऐसा चाहेंगे तो विभाजन द्वारा लिये जावेंगे। सिर्फ इतना है। विभाजन की परिभाषा दी हुई है नियम ३ में पृष्ठ २ पर। इसमें लिखा है कि विभाजन का तात्पर्य सदस्यों को सभा कक्षों में भेजकर या अन्य किसी रीति का अनुसरण करके अभिलिखित मतदान से है। तो इसलिये यह बड़ा प्रत्यक्ष है कि मतदान में विभाजन की जब मांग हो तो चाहे तो मैं लाबीज में भेजूं, लेकिन जब तक मैं यहां बैठा हूं, इस सदन में आपस में सिर फूटें, गाली गलौज हो और वे अशोभनीय घटनायें घटें जो कल हुईं, जानबूझ कर मैं उसकी अनुमति नहीं दे सकता हूं। इसलिये अगर मैं ऐसी स्थिति देखूंगा तो अपने अधिकार का प्रयोग करूंगा।

अब मैं इस विषय पर किसी माननीय सदस्य को चर्चा की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री प्रताप नारायण तिवार --

हमारे एक माननीय सदस्य, श्री देशराजसिंह, को लाबी में बनारसी दास जी और बहुगुणा जी रोके हुये हैं। कृपा करके उन्हें वहां से मुक्त करा दें। अगर ह लोग जायंगे तो झगड़ा होगा।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

मैं अभी जब अपने कमरे में था तो मुझे कहीं से देशराज सिंह जी का फोन आया था कि वह मुझ से मिलना चाहते हैं। पहले तो उन्होंने मुझे कुछ अपनी बातें बतलायीं। उनके बारे में मैंने कहा कि मेरे कमरे में आकर मिल लें। अभी मेरे पास एक साहब आय और कहा कि वह आगये हैं, मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि मैं विजी हूं, इसके बाद मिलूंगा।

श्री अध्यक्ष--

अगर संबंधित माननीय सदस्य मुझ से इसके बारे में शिकायत करेंगे तो मैं उस पर विचार करूंगा। फिर मैंने विधान सभा के सचिव को भेजा हुआ है उसके बारे में जानकारी करने के लिये।

श्री नवलकिशोर--

अभी आपने कहा कि आपने आदमी भेज दिया है, मगर जिस तरह की सूचना माननीय तिवारी जी ने दी, क्या आप ऐसी बातों की आज्ञा हमको भी देंगे ?

श्री अध्यक्ष--

अब आप विशेष सूचना देना चाहते हैं।

श्री नवलकिशोर--

जी हां।

श्री अध्यक्ष––

दें।

(श्री नवलकिशोर ने अपना स्थान ग्रहण किया।)

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४––बिक्री-कर के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य––(१) बिक्री-कर को एक पदीय करने पर चर्चा तथा जिला स्तर पर बिक्री कर अधिकारियों की धांधलेबाजी व भ्रष्टाचार की चर्चा करना।

(२) व्यापारी वर्ग से बिक्री-कर प्रभावकारी ढंग से वसूल करने व उन्हें राहत-राहत देने पर विचार।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४––बिक्री-कर के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ५९,८६,९०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६७

वित्त मंत्री (श्री रामस्वरूप वर्मा)––

अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६७ को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६७, को पुरः स्थापित करने के हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राम स्वरूप वर्मा––

अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६७, को पुरः स्थापित करता हूं।

(कुछ देर रुक कर)

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६७ पर विचार किया जाय।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)––

बिल नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष––

वह परसों ही वितरित करवा दिया गया था।

*श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)––

अध्यक्ष महोदय, तमाम ग्रांट्स के पास होने के बाद एप्रोप्रिएशन बिल हमारे सामने है। मुझे इसकी खुशी नहीं है कि मैं इसका विरोध कर रहा हूं। मगर, मान्यवर, मैं विरोध इसलिये कर रहा हूं कि मुझे इस बात का सन्देह है कि जिस प्रकार से इस मौजूदा सरकार का गठन हुआ है यह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नवल किशोर]

स्टेट के फाइनेंसेज को स्क्वेंडर कर देगी अगर हमने इसे कनसालिडेशन फंड से रुपया निकाल कर खर्च करने का अधिकार दे दिया। इसका कारण यह है कि मंत्रि मंडल के जो तीन गुण होते हैं उनमें से एक भी इसके अन्दर नहीं है। माननीय चौधरी साहेब इत्तिफाक करेंगे कि कैबीनेट का पहला गुण है कि इसे होना चाहिये मोनोलिपिक। दूसरा गुण है कि इसमें होमोजिनीटी होनी चाहिये और तीसरा गुण है सेंस आफ कलेक्टिव रेस्पांसिबिलिटी का। जैसे कोई मूर्ति बनती है जो पत्थर की हो जिसमें कोई जोड़ न हो। मनसा, वाचा, कर्मणा।

गृह उपमंत्री (श्री रुस्तम सैटिन)--

क्या इसी तरह का विचार गुप्ता जी, त्रिपाठी जी और सुचेता जी में था?

श्री नवल किशोर--

मान्यवर, सैटिन साहब ने मुझ से यह बात पूछी, मुझे खुशी हुई, लेकिन वे जनतंत्र में विश्वास ही नहीं करते, यह केवल एक हिपोक्रेसी में फंस गये, लिहाजा उनका जवाब देना मैं उचित नहीं समझता।

मान्यवर, मेरा यकीन है कि चौधरी साहब मेरी बात को खूब एप्रीशियेट कर रहे हैं। जहां तक होमोजीनियस होने की बात है, यह बात चौधरी साहब मानते हैं कि उनकी कैबिनेट भानमती का कुनबा है। जहां तक सेंस आफ रेस्पांसीबिलिटी का सवाल है, यह पहला मौका था जब परसों एक डिप्टी मिनिस्टर ने हाउस से वाकआउट किया। चौधरी साहब उस समय सदन में नहीं थे। जितने भी पार्टियों के नेता हैं उन्होंने सदन के बाहर यह कई बार कहा है कि हर पार्टी अपनी अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगी हुई है और उसके लिये सरकारी यंत्र को इस्तेमाल कर रही है। जब हर पार्टी सरकारी यंत्र को अपनी पार्टी के लाभ के लिये इस्तेमाल कर रही है तो फिर प्रदेश का लाभ कौन करेगा और कैसे होगा। जहां तक मैं समझता हूं सैटिन साहब कम्युनिस्ट हैं, पता नहीं मंत्री होने के बाद कुछ और हो गये हों। चाहे डांगे साहब हों, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी हों अथवा जेड० ए० अहमद साहब हों, सब ने यह कहा कि एस० वी० डी० की सरकार हमारी इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है और इसको प्रतिक्रियावादी शक्तियों को ताकत देने वाला कहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि जनसंघ की सरकार सरकारी यंत्र का अपनी पार्टी के लाभ के लिये इस्तेमाल कर रही है। यह मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं। यह उनके सबसे बड़े आकाओं की बात कह रहा हूं। आज यह परिस्थिति इस सरकार की है। श्रीमन्, मैं तो इसको पोंअपोज भी न करता अगर मुझे यह मालूम होता कि चौधरी साहब आज फ्री मैन हैं, आजाद आदमी हैं।

(श्री रामसुन्दर शास्त्री के कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष--

यह बिल्कुल अनुचित है। (फिर खड़े हो कर बोलने पर)। माननीय रामसुन्दर जी शास्त्री जब मैं बोल रहा हूं तो आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। मैं माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि वे कृपा कर सदन की व्यवस्था पर विचार करें। कभी कोई माननीय सदस्य नियमों के खिलाफ खड़े हो जायं और दूसरी तरफ से उसके विरोध में सारे लोग खड़े हो जायं। एक माननीय सदस्य बोल रहे हैं और दूसरी ओर से बहुत से सदस्य खड़े हो कर कुछ कहने लगें, यह तो कोई परम्परा अच्छी नहीं है। मैं इसको बिलकुल अनुचित समझता हूं। इस संबंध में मैं आप दोनों से सहयोग की आशा करता हूं-माननीय नेता सदन से और माननीय नेता विरोधी दल से।

श्री चरणसिंह--

अध्यक्ष महोदय, मैं आप से पूर्णतया सहमत हूं कि जब, चाहे कोई इधर का चाहे उधर का कोई माननीय सदस्य बोलता हो तो अगर कोई दूसरा मेम्बर उसमें दखल देता है, खड़ हो कर चिल्लाता है, या उसकी तरफ उंगली उठाता है, तो मुझे उस समय जो तकलीफ होती है मैं उसका बर्णन नहीं कर सकता। कोई सभा चल नहीं सकती जब तक उसमें हर आदमी को अपनी बात को पूरी तरह से कहने का अधिकार न हो। हम में से हर एक आदमी को सोचना चाहिये कि अगर मरे साथ एसी बात होती तो मुझे कैसा लगता वरना ४२५ सदस्यों का यह हाउस किस प्रकार से चल सकता है। अगर कोई चिल्लाता है तो उसकी बात को सदन में कोई सुन नहीं पाता है और उसका असर भी अच्छा नहीं पड़ता। अगर हमें जनतंत्र को कामयाब बनाना है तो हमें इस सभा में सब को अपनी बात कहने का अवसर देना होगा, शान्तिपूर्वक दूसरे की बात को सुनना होगा। वह अपने हित में भी है और दूसरों के हित में भी है। इससे हमको भी शान्तिपूर्वक अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। और मैं आप के द्वारा अपने मित्रों से हाथ जोड़कर दरख्वास्त करता हूं और मैंने उनसे अनेक बार दरख्वास्त की है और मीटिंग्ज भी की कि अगर सदन में किसी माननीय सदस्य की बात कड़वी भी लगे तो हमारा फर्ज है कि हम शान्तिपूर्वक उन की बात को सुनें।

श्री अध्यक्ष--

मैं माननीय नेता सदन का बहुत आभारी हूं और अगर नेता विरोधी दल भी उचित समझें तो वह भी मुझे सहयोग दें।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

अध्यक्ष महोदय, जो कुछ अभी नेता सदन ने कहा है मैं अक्षरशः उनकी बातों से सहमत हूं। यह पहली ही बार की बात नहीं है, पहले भी जब मैं उधर बैठता था और अब जब से इधर बैठने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है, मैं कई बार निवेदन कर चुका हूं कि इस सदन को अपनी गरिमा को रखने के लिये कोई ऐसी चीज नहीं करना चाहिये जिस से कि गणतंत्रीय सरकार के संगठनों के चलने में अड़चने पैदा हों। सदन के हर माननीय सदस्य को अधिकार है कि यदि किसी माननीय सदस्य को यही अपनी बात रखने का अवसर प्राप्त होता है तो वह शांतिपूर्वक उसे रखे। हम में से हरएक माननीय सदस्य का कर्तव्य है कि उसकी बात को चाहे वह कड़वी कितनी ही क्यों न हों, उसे सुने और एक सुचारु रूप से वादविवाद के द्वारा गणतन्त्रीय परम्पराओं को सदन में अपनाने की चेष्टा करें। इधर के बैठने वालों और उधर के बैठने वालों से एक पुराना साथी होने के नाते जो सदन में २० वर्ष से बैठता रहा है, सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि जो बात नेता सदन ने कही है और जिस बात को आप बराबर दोहराते रहे हैं उसके अनुसार इस सदन की कार्यवाही चलनी चाहिये ; हर एक को सुनने का अवसर देना चाहिये और हर एक को कड़वी बात को भी सुनने में कोई अड़चन हमारे बीच से उपस्थित नहीं होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

मैं माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल का बहुत आभारी हूं.....

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल ने जो कुछ कहा है उसके संबंध में मैं केवल एक वाक्य कहना चाहता हूं। एक महान दार्शनिक वालथेयर ने कहा है कि 'यों तो मैं आप की बात का समर्थन करता हूं लेकिन आप को बोलने का अधिकार है, इस का समर्थन मैं जीवन पर्यन्त करता रहूंगा।" यही भावना अभी दोनों नेता की थी।

श्री अध्यक्ष--

मैं माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल को धन्यवाद दे रहा था और अब उस फहरिस्त में मैं माननीय उग्रसेन का भी नाम बढ़ाये देता हूं, उन का और सभी माननीय

[श्री अध्यक्ष]

सदस्यों का मैं आभारी हूं कि सभी ने मुझे समय समय पर पूरा सहयोग दिया है, कभी कभी कोई व्यवधान आ जाता है, कोई शिकायत वाली बात आ जाती है। मैं चाहता हूं कि इस सदन में ऐसी व्यवस्था चले कि जिस पर हमें गर्व हो। मुझे आशा है कि मुझे सभी ओर से पूर्ण सहयोग प्राप्त होता रहेगा।

श्री नवल किशोर--

मैं ने यह कहा था कि अगर मुझे विश्वास होता कि माननीय मुख्य मंत्री जी अपना कार्य करने में स्वतन्त्र हैं तो शायद मैं अपनी आपत्ति न उठाता लेकिन चूंकि माननीय चौधरी साहब का घिराव ६ भिन्न भिन्न दलों ने कर रखा है और उन को अन्डर ड्यूरेस और अन्डर प्रेशर काम करना पड़ता है और उन को दिक्कत पेश आती है और वह आजादी से अपनी मर्जी मुताबिक काम नहीं कर सकते। परिस्थिति बड़ी वैसी हो गई है चौधरी साहब इस को माने या न माने और मैं इस का उत्तर भी उन से नहीं चाहता, लेकिन परिस्थिति कुछ ऐसी ही है। यह जो नामिनेशन्स हुये हैं अगर सोशलिस्ट पार्टी के मंत्री ने किये हैं तो उन के लोगों के होते हैं अगर जनसंघ के मंत्री जाते हैं तो जनसंघ के लोगों को नोमीनेट करते हैं। मान्यवर, कम्युनिस्टों को तो पता नहीं कि उन्होंने किसी को नौमिनेट किया है या नहीं।

श्री चरणसिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय नवल किशोर जी से पूछना चाहता हूं कि अगर वे सब बातें अभी कह देंगे तो फिर नो कौन्फिडैन्स पर क्या कहेंगे।

श्री नवलकिशोर--

श्रीमन्, बातों का तो इतना खजाना है कि अगर ६ दिन भी कहूं तो वह खजाना समाप्त नहीं कर सकूंगा।

श्री अध्यक्ष--

कृपा करके आप उस खजाने को सुरक्षित रखिए ?

श्री नवलकिशोर--

एक बात, मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे मंत्री गण जब जिले में जाते हैं तो अब एक नयी परम्परा पड़ गयी है जिस पार्टी के मंत्री जाते हैं, उस पार्टी के लोगों को साथ ले जाते हैं, चाहें वह कोआपरेटिव विभाग में जांय, चाहे वे राजस्व विभाग में जांय। कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जब जाते हैं तो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जाते हैं और एस० एस० पी० के मंत्री जाते हैं तो एस० एस० पी० फोर्स को लेकर जाते हैं। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि एस० बी० डी० किस प्रकार का जन्तु है। डिस्ट्रक्ट अथोरिटीज की मिट्टी पलीत यह है कि ६-६ पार्टियों के आदमी जाते हैं और उनकी जान खाते हैं। तो वे क्या करें ? इससे एक बड़ी परेशानी उत्पन्न हो गयी है।

मान्यवर, करप्शन की बात यहां पर कही गयी। चौधरी साहब ने करप्शन समाप्त करने के बारे में सबसे बड़ा कदम उठाया है। उसकी बहस पर तो मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन आपकी जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि क्या सस्पेंशन और ट्रान्सफर के नाम पर जन कांग्रेस के लिये चन्दा इकट्ठा होता है या नहीं होता है ? चौधरी साहब ने एक यह कदम उठाया कि इन्होंने सदस्य बनाये हैं हाई कोर्ट में। इससे फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी है। आज सारी स्टेट में कोर्ट पब्लिक की निगाह में गिर गयी है।

जब से माननीय रुस्तम सैटिन साहब डिप्टी मिनिस्टर हुए हैं, खूब डकैतियां पड़ी हैं, एक-एक घंटे में ७०-७० मर्डर्स होते हैं, ट्रेन में, बसों में मर्डर्स हो जाते हैं। माननीय चौधरी सहाब बड़े जन तांत्रिक आदमी हैं, ऐसा कहते हैं, लेकिन कालागढ़ के मामले में उन्होंने सारा

रिकार्ड ही बीट कर दिया है । कम्युनिस्ट पार्टी ने इसी प्वाइंट पर सदन त्याग किया, लेकिन उसका भी कोई असर माननीय चौधरी साहब के ऊपर नहीं पड़ा है।

औरतों के मामले में हर इन्सान उदार होता है और हमारे चौधरी साहब भी बड़े उदार हैं, लेकिन औरतें तो अपनी जान दिए हुए हैं पर वे अपनी जिद पर डटे हुए हैं।

जहां तक एकौनीमी की बात है, आपके सामने एस्टीमेट कमेटी की रिपोर्ट है, आपके सामने पी० ए० सी० की रिपोर्ट है और कैबिनेट की सब कमेटी की रिपोर्ट आपके सामने है, लेकिन आप पोलिटिकल वैन्डेटा (राजनीतिक बदले) की बात न कीजिये। जहां तक डिस्ट्रक्ट इन्फार्मेशन आफिसर की बात है वह भी आपकी १९५१ वाली बात के खिलाफ है।

एक बात मान्यवर, मैं सवा ६ एकड़ के लगान की बात कहता हूं। मान्यवर, उस दिन हमने डिवीजन नहीं कराया था। यह मांग उन्होंने अपने १९ सूत्री प्रोग्राम में ली थी, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने इसको साइड ट्रेक किया है, जनता के साथ खिलवाड़ किया, वह न्यायोचित नहीं है। तो एकोनामी की बात यह है कि हजारों आदमियों को हटाया जा रहा है जिससे अनएम्प्लायमेंट होगी। ला एंड आर्डर की जो हालत है वह मैंने अभी बतायी है। इन बातों के बाद मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इन बातों को सोचें और विचार करें और कोशिश करके उस घेराव से निकल कर आजादी के साथ इस प्रदेश के हित मे सही कदम उठायें।

*श्री नेकराम शर्मा—

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल माननीय मुख्य मंत्री जी को २–३ सुझाव देना चाहता हूं क्योंकि माननीय नेता विरोधी दल ने यह कह दिया है कि हमको यह पास करना है तो उसके विरोध का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सिर्फ दो, तीन बातें कहना चहता हूं कि जिस वक्त यह सदन अनुदान पास कर दे और विनियोग विधेयक पास करा लें तो वित्त विभाग जब तक ऐडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन न दे तब तक रुपया खर्च नहीं हो पाता जिसका फल यह होता है कि ३१ मार्च तक रु० खर्च नहीं हो पाता। मैं समझता हूं कि जब यह रुपया पास हो गया तो वित्त विभाग का जो सेंक्शन का एक तरीका रह जाता है वह समाप्त हो। पहले एक फाइनेंस कमेटी होती थी और जितने ऐस्टीमेट्स और ग्रान्ट्स आती थीं वह फाइनेंस कमेटी के सामने आते थे और फिर सदन में आते थे। मैं चाहता हूं कि उस कमेटी को रिवाइव करें जिस से जो भी जांच पड़ताल हमें करनी है वह हो जाय और सदन जब स्वीकार कर दे तो फिर डिले नहीं होनी चाहिये। इस प्रथा को माननीय मुख्य मंत्री अपनायें।

दूसरा सुझाव यह था कि सप्लीमेंटरी ग्रान्ट्स आती हैं लेकिन जब हम आडिट रिपोर्टस को देखते हैं तो पाते हैं कि मूल बजट में जितना रुपया था वह भी खर्च नहीं हो पाया, सप्लीमेंटरी ग्रान्ट और ले लेते हैं और वह रुपया यों का यों ही रखा रह जाता है। तो जितना रुपया ग्रान्ट हो गया और क्यों नहीं खर्च हुआ इस को मुख्य मंत्री जी देखें। मेरी राय में सबसे बड़ा कारण पुरानी फाइनेंशियल हैंड बुक है जो पुराने जमाने से चली आ रही है, मैं चाहता हूं कि उस में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। माननीय मुख्य मंत्री उस फाइनेंशियल हैंड बुक को रिवाइज कराने के लिये कोई कमेटी बैठायें ताकि उस में समयानुसार आवश्यक संशोधन हो सके।

ऐक्सेस ग्रान्ट्स हो जाती हैं इस चीज को भी माननीय मुख्य मंत्री देखें कि जितना रुपया सदन ने मंजूर किया है उस से अधिक कैसे खर्च हो जाता है। इस पर कंट्रोल की आवश्यकता है। चौथी बात यह है कि पी० ए० सी० और ऐस्टीमेट्स कमेटी की जो सिफारिशें हैं उन को वित्त विभाग या सरकार ऐग्जामिन कर लें क्योंकि वे यूनानिमस होती हैं, इसलिये उन का जरूर खयाल रखना चाहिये और किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता नहीं होनी चाहिये। ऐसे कई मामले आये कि वित्त विभाग ने पी० डब्ल्यू० डी० पर चार्ज लगाया और पी० डब्ल्यू० डी०

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नकराम शर्मा]

ने कहा कि खर्चा इसलिये नहीं हुआ क्योंकि वित्त विभाग सैंक्शन नहीं देता । मैं चाहता हूं कि जब सदन बजट स्वीकार कर दे उस के बाद कम से कम वित्त विभाग का कंट्रोल होना चाहिये । मैं आशा करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री इस ओर कदम उठायेंगे और एक नयी परिपाटी डालेंगे, क्रान्तिकारी कदम इस ओर उठायेंगे, ऐसी मुझे आशा है ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—

श्रीमन, मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने कुछ कठिनाइयों की ओर इशारा किया । मैं इतना ही आश्वासन देना चाहता हूं कि जो कठिनाइयां उन्होंने बतायी हैं उनको दूर करने का पूरा प्रयत्न होगा । जो उन्होंने कमेटी के बारे में कहा है कि उस को पुनर्जीवित किया जाय तो माननीय सदस्य स्वयं देखेंगे कि जब कमेटी बना दी गयी और उस कमेटी से काम नहीं चल सका तो कमेटी समाप्त कर दी गयी । तो बार-बार उस को पुनर्जीवित करना और फिर समाप्त करना कुछ अच्छा प्रतीत नहीं होता । क्योंकि जिन चीजों के अनुभव हो जाते हैं और नतीजा निकल आता है, मैं समझता हूं फिर उस में आवश्यकता नहीं रहती । मैं समझता हूं कि जैसा उन का कहना है उस प्रकार की देर और शिकायतें नहीं हुआ करती ह । पहली बात तो यह है कि जैसे ही यहां से अनुदान पास होते हैं और विनियोग अधिनियम बन जाता है उस के बाद कार्यवाही होती है और उन में कोई इस तरह की शिकायतें तो नहीं हैं और न ही किसी विशेष शिकायत का माननीय सदस्यों ने हवाला दिया जिस से प्रथा को बदलने की जरूरत हो । सामान्य रूप से उन्होंने कहा । तो मैं उन को विश्वास दिलाता हूं कि ऐसी घटना नहीं घटेगी और न ऐसी कार्यवाही होगी । दूसरी बात यह है कि उन का यह एतराज था कि वित्त विभाग तथा दूसरे विभागों में कोआर्डिनेशन ठीक तरह से नहीं है । जहां तक वित्त विभाग का सम्बन्ध है वित्त विभाग को वित्तीय अनुशासन कायम रखना होता है और जैसी वह कल्पना करते हैं कि अनुदान पास हो जाने के बाद वित्तीय अनुशासन की आवश्यकता नहीं है तो वे थोड़ा भ्रम में हैं । अनुदान पास करने के बाद खर्चा नियमों के अनुसार हो इसकी जरूरत होती है । ऐसा न होने पर आडिट रिपोर्ट आने पर माननीय सदस्य शिकायत करने लगते हैं यहयह गड़बड़ियां हैं । फायनेन्शियल हैंडबुक के कतिपय विषय ऐसे हैं जो उनकी निगाह में पुराने हैं और रिडेंडेंट हैं । वे कुछ स्पेसिफिक बतलाते तो उस पर विचार किया जाता । इसलिये इस समय कुछ कहना उचित नहीं होगा । लेकिन जो कार्य चल रहा है उसकी सतर्कता में कुछ कमी रह गयी होगी तो पूरी सतर्कता बरती जायगी और नियमों का पालन व वित्तीय अनुशासन ठीक तरह से किया जायगा और अनुदानों को खर्च करने में विलम्ब नहीं होगा और जो अनुदान मिलते हैं उनका उपयोग ठीक समय के अन्दर और ठीक तरह से होगा । हमने पिछले १० वर्ष का हिसाब निकाला यह देखने के लिये कि १ मार्च से १५ मार्च तक कितना रुपया खर्च किया गया और उसे देखने पर हम इस नतीजे पर पहुंचे कि साल भर के खर्चा अनुपात के हिसाब से नगण्य था जितना कि खर्चा १ मार्च, से १५ मार्च तक हुआ । इस पर आगे सरकार ध्यान रखेगी और आगे सरकार इस सम्बन्ध में जागरूक रहेगी कि इस तरह की देर न होने पाये और वक्त के अन्दर खर्च करने के लिये उचित कार्यवाही की जायगी ।

माननीय नवल किशोर जी ने कुछ बातें कहीं जिनका सम्बन्ध विनियोग विधेयक से न होकर अविश्वास के प्रस्ताव से था हालांकि मेरा ऐसा विश्वास है कि वह विनियोग विधेयक पर ही बोले होंगे, न कि अविश्वास के प्रस्ताव पर । उन्होंने कहा कि यहां पर बहुत अवगुण हैं तो बहुगुणा तो उन्हीं के यहां हैं, हमारे यहां न गुण ह, न अवगुण । अन्त में मेरा निवेदन है कि जब आपने सोच समझ कर मांगों को पास कर दिया है तो खर्चा करने का अधिकार भी देंगे ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६७ पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड २, ३, अनुसूची, शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १.

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६७

३१ मार्च, १९६८ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिए राज्य की संहृत निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था के लिए,

विधेयक

भारतीय गणतन्त्र के अठारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षक

१--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम, १९६७ कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश की संहृत निधि में से वर्ष १९६७-६८ के लिये ६,४३,४९,३७,६०० रु० का दिया जाना विनियोग

२--ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त, जो ३१ मार्च, १९६८ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ २ में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की संहृत निधि में से इतना रुपया दिया और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ ३ में दी गई धनराशियों से, जिन सब का कुल योग [लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशियों को सम्मिलित करके] ६,४३,४९,३७,६०० रुपए (छः अरब तैंतालिस करोड़ उनचास लाख सैंतिस हजार छः सौ) होता है, अधिक न हो।

३--इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संहृत निधि में से जिन धनराशियों को देने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग ३१ मार्च, १९६८ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिए किया जायगा जो अनुसूची में दिए हुए हैं।

अनुसूची

१	२	३		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहृत निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
१	बृहत जोत-कर ..	३,२३,०००	३,०००	३,२६,०००
२	भू-राजस्व ..	१०,६७,८६,६००	१४,२००	१०,६८,००,८००
३	राज्य आबकारी ..	४८,८६,०००	२,०००	४८,८८,०००
४	बिक्री-कर ..	८८,०८,९००	५,०००	८८,१३,९००
५	अन्य कर और शुल्क ..	३९,४७,७००	२,०००	३९,४९,७००
६	स्टाम्प	१४,११,८००	१,०००	१४,१२,८००
७	निबन्धन ..	३२,६०,०००	२००	३२,६०,२००
८	राज्य विधान मण्डल ..	५३,६२,२००	८७,९००	५४,५०,१००
९	निर्वाचन ..	६२,५३,३००	..	६२,५३,३००
१०	सामान्य प्रशासन ..	२,९३,७८,९००	१७,७०,४००	३,११,४९,३००

१	२	३		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		योग
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहत निधि पर भारित	
		रु०	रु०	रु०
११	आयुक्त और जिला प्रशासन	१२,०३,०२,३००	१०,१००	१२,०३,१२,४००
१२	गांव सभायें और पंचायतें	१,६८,०६,२००	२,०००	१,६८,०८,२००
१३	न्याय प्रशासन ..	२,३२,०८,४००	५५,७३,९००	२,८७,८२,३००
१४	कारागार ..	२,९९,१७,२००	२,०००	२,९९,१९,२००
१५	पुलिस	१९,६७,७७,३००	१०,०००	१९,६७,८७,३००
१६	खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन ..	१,४९,११,६००	६०,०००	१,४९,७१,६००
१७	वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य ..	२३,२१,४००	३००	२३,२१,७००
१८	शिक्षा	५१,२५,६४,७००	२,०००	५१,२५,६६,७००
१९	चिकित्सा ..	१०,४५,९६,७००	३,०००	१०,४५,९९,७००
२०	सार्वजनिक स्वास्थ्य ..	१२,१९,६८,४००	७००	१२,१९,६९,१००
२१	कृषि सम्बन्धी विकास ..	१३,०४,५२,२००	४,०००	१३,०४,५६,२००
२२	उपनिवेशन ..	३,४०,८००	२००	३,४१,०००
२३	पशुपालन तथा मत्स्य पालन	४,८५,९४,८००	३,०००	४,८५,९७,८००
२४	सहकारिता ..	१,८५,८३,५००	२,०००	१,८५,८५,५००
२५	उद्योग	१०,१७,८७,८००	२,५००	१०,१७,९०,३००
२६	नियोजन और समन्वय ..	१९,३९,०९,३००	५,०००	१९,३९,१४,३००
२७	श्रम और सेवायोजन ..	४,९७,२४,७००	८,०००	४,९७,३२,७००
२८	सूचना निदेशालय ..	५०,९९,८००	५००	५१,००,३००
२९	अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां ..	३,६७,३३,०००	१,०००	३,६७,३४,०००
३०	समाज कल्याण ..	५३,२७,४००	५००	५३,२७,९००
३१	राजस्व से किए जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य	२१,८४,९०,३००	२,०००	२१,८४,९२,३००
३२	सिंचाई अधिष्ठान ..	८,७४,०५,६००	४,०००	८,७४,०९,६००
३३	सार्वजनिक निर्माण-कार्य जो राजस्व से किए जाते हैं	१२,८१,४५,६००	२,७४,५००	१२,८४,२०,१००
३४	संचार साधनों का सुधार ..	१,६७,०८,५००	..	१,६७,०८,५००
३५	सार्वजनिक निर्माण-कार्य अधिष्ठान ..	२,४१,७२,०००	८००	२,४१,७२,८००
३६	सार्वजनिक निर्माण-कार्यों के लिए सहायक अनुदान	१,७५,७१,१००	..	१,७५,७१,१००

१	२	३		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		योग
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहत निधि पर भारित	
		रु०	रु०	रु०
३७	परिवहन ..	३२,४८,४५,५००	३,०५,०००	३२,५१,५०,५००
३८	दुर्भिक्ष सहायता ..	४,०६,६५,१००	२,००,०१,०००	६,०६,६६,१००
३९	अधिवर्ष भत्ते और पेंशनें ..	३,६२,४५,९००	२,८२,२००	३,६५,२८,१००
४०	राजनीतिक पेंशनें तथा भत्ते	२६,१८,०००	..	२६,१८,०००
४१	लेखन-सामग्री और मुद्रण ..	२,४६,८५,४००	..	२,४६,८५,४००
४२	वन	६,४३,१६,१००	२,०००	६,४३,१८,१००
४३	प्रकीर्ण-व्यय ..	५,२७,२७,५००	७,१००	५,२७,३४,६००
४४	राष्ट्रीय संकट से सम्बद्ध व्यय	४,००,५७,२००	१००	४,००,५७,३००
	*ऋण और अन्य दायित्वों पर ब्याज ..	..	३४,०७,७५,२००	३४,०७,७५,२००
	*ऋण कम करना अथवा उसका परिहार ..	..	८९,६९,८५,८००	८९,६९,८५,८००
४५	कृषि योजनाओं पर पूंजी परिव्यय ..	३०,३१,४४,१००	२,०००	३०,३१,४६,१००
४६	औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय ..	६,०३,०८,५००	५,०००	६,०३,१३,५००
४७	बहु-प्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय ..	१७,२३,६८,०००	..	१७,२३,६८,०००
४८	सिंचाई निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय ..	११,९१,८०,३००	२,०००	११,९१,८२,३००
५०	सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय ..	१८,१५,५३,२००	३,००,०००	१८,१८,५३,२००
५१	सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय ..	४,१०,२३,४००	१,३०,०००	४,११,५३,४००
५२	पेंशनों का राशिमूल्य ..	९,२२,८००	३२,५००	९,५५,३००
५३	राज्य व्यापार की योजनायें	४७,७०,८५,८००	१००	४७,७०,८५,९००
५४	ब्याज वाले ऋण और अग्रिम	८२,९६,६४,१००	..	८२,९६,६४,१००
	योग ..	५,१६,८२,४९,९००	१,२६,६६,८७,७००	६,४३,४९,३७,६००

*भारित विनियोग।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६७ के खंड २, ३, १, अनुसूची, प्रस्तावना और शीर्षक इसके अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामस्वरूप वर्मा—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६७ पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६७ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

आर्य कन्या इण्टर कालेज, जिला बरेली के अनिश्चित काल के लिए बन्द करा दिये जाने के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

पहले इसके कि माननीय नेता विरोधी दल का आह्वान करूं यह अनुमति चाहूंगा कि जो मैं साढ़े ४ बजे नियम ५१ आदि लिया करता था अगर चाहें तो अभी ले लूं या अगर माननीय नेता विरोधी दल को आपत्ति न हो तो साढ़े ४ बजे ले लूंगा।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

मेरा सुझाव यह था कि कल तक के लिये ये नियम स्थगित कर दिये जायं क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और सारे समय इसी पर चर्चा हो।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, साधारणतया जो वाद विवाद चल रहा है और अविश्वास का प्रस्ताव भी है तो उसका कोई औचित्य तो है नहीं। मेरे पास जो प्रस्ताव आये थे उनको मैंने स्वीकार भी नहीं किया है, सभी अस्वीकृत किये हैं। केवल एक को मैंने वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है। वह माननीय हरीशकुमार गंगवार का प्रस्ताव है। आज दिया था उन्होंने मुझे और वह यह था:—

"बरेली का ६० वर्ष पुराना आर्य कन्या इंटर कालेज, भूड़ मंडलीय बालिका विद्यालय निरीक्षका द्वारा १९-७-६७ से अनिश्चित काल के लिये बन्द कर दिया गया है। इससे बालिकाओं व उनके अभिभावकों में तीव्र असंतोष व अनिश्चतता का वातावरण व्याप्त हो गया है।

इस बालिका विद्यालय के चारों ओर जमानत पर छूटे हुए गुंडे गिरोह बना कर पहरा दे रहे हैं। अतः नगर में तीव्र बेचैनी फैल गयी है। पुलिस को सूचना दिये जाने पर भी किसी प्रकार का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया। अतः बालिकाओं का जीवन खतरे में पड़ गया है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं माननीय मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।"

माननीय शिक्षा मंत्री हैं। (कुछ क्षण पश्चात्) अच्छा माननीय शिक्षा मंत्री नहीं हैं तो मैं उसके लिये साढ़े ४ बजे समय दे दूंगा। उनका दोष नहीं न होने में, क्योंकि साधारणतया मुझे साढ़े ४ बजे इस विषय को लेना था।

मंत्रि-मण्डल में अविश्वास के प्रस्ताव पर विवाद

श्री चन्द्रभानु गुप्त (जिला अल्मोड़ा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन मंत्रि मंडल में अपना अविश्वास प्रकट करता है।

मान्यवर, जब यह प्रस्ताव आया उसके संबंध में माननीय नेता सदन ने कदाचित् यह कहा कि इस प्रस्ताव की क्या आवश्यकता है जब बजट के ऊपर बहस हो रही है और बजट के बहस के अवसर पर किसी भी कट मोशन के द्वारा विरोधी पक्ष सरकार में अविश्वास प्रकट कर सकता है। जहां तक नेता सदन का संबंध है, वे ऐसा कह सकते थे और अपने विचारों के अनुकूल सही बात कह सकते थे परन्तु मैं उन व्यक्तियों में से हूं जो ऐसा मानते रहे हैं और आज भी मानते हैं कि जब एक सरकार हमारे बीच में स्थापित है उस सरकार को चलाने के लिये धनराशि की आवश्यकता होती है तो वह विधान के अन्तर्गत धनराशि सदन की स्वीकृति से प्राप्त कर ले जिससे कि सरकार के चलाने में और उसके कार्य संचालन में कोई बाधा न आये और यदि विरोधी पक्ष को सरकार को किन्हीं कारणों से हटाना है, अविश्वास प्रकट करना है तो वह अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा सरकार को हटाने की दिशा में कदम बढ़ावें और साथ ही अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा सरकार की नीतियों की, उसके कार्यकलापों की आलोचना करे और उन आलोचनाओं के द्वारा जनता को शिक्षित करे। इसलिए यह अविश्वास का प्रस्ताव जो विरोधी पक्ष की तरफ से प्रस्तुत है इस कारण से प्रस्तुत है कि विरोधी पक्ष ने जो बजट था, जितने अनुदान थे उन्हें पास होने दिया बिना डिवीजन के। केवल एक अनुदान के विषय में कल डिवीजन की बात उठी और वह भी कदाचित् उठती नहीं, चौधरी साहब बराबर इधर सामने बैठने वाले साथियों को यह कह कर उत्तेजित करते रहे कि भाई हमारी सरकार को हटाना और उस पर अविश्वास प्रकट करना है तो इसका तुम्हें रोज मौका मिलता है। इस बात को बहुत कहने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि हम में से प्रत्येक यह तो जानता ही है कि इस सदन के सदस्य किसी कटौती के प्रस्ताव को यदि पास करा दें तो सरकार को गिराया जा सकता है। परन्तु जैसा कि मैंने कहा—कटौती के प्रस्ताव को पास करा कर सरकार को गिरा दिया जाय और दूसरी सरकार वहां आ जाय तो उसे भी वही कराना पड़ता है। जो भी सरकार हो उसे चलाने के लिए उसको भी बजट पास करना पड़ता है, उसे भी सदन में आना पड़ता है, उसे भी अनुदान प्रस्तुत करना पड़ता है। तो वह कोई दूरदर्शिता और बुद्धिमत्ता का तरीका आज की परिस्थितियों में नहीं है, वह तरीका तो शासन चलाने में बहुत अड़चनें डालने वाला है।

श्री रमाशंकर अग्रवाल (जिला आगरा)—

श्रीमन्, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं।....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

और कोई माननीय सदस्य बात न करें, वह मेरे ऊपर छोड़ दें।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

विरोध पक्ष जो यहां बैठा हुआ है, वह केवल इसलिए नहीं बैठा हुआ है कि जल्दी में वह सरकार में उलट-पलट ले आवे। यह विरोध पक्ष २० साल तक हुकूमत चलाता रहा है। इस विरोध पक्ष ने हुकूमत में रह कर बहुत से कार्य किये हैं, बहुत-सी भूलें भी की हैं, गलतियां भी की हैं और उन गलतियों का खामियाजा भी उसने भुगता है। मुझे अच्छी तरह से यह पता है और हर विरोधी दल को इस बात का पता रखना चाहिए और रहना चाहिए कि कब और किस समय में जनता को शिक्षित करने के लिए उसके बीच में उसे जाना है एक दल के नाते कि वह कार्यवाही करे जिससे कि शासन की बागडोर उसके हाथ में आ सके। आखिर में शासन

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

की बागडोर किसी भी दल के हाथ में तभी आ सकती है जब कि वह दल जनता को प्रिय हो और जनता को अपनी नीतियों को समझा सके और जनता को उन नीतियों के पीछे चलने के लिए आमन्वित कर सके। यह बात मैं प्रारम्भ में इस लिए कह रहा हूं कि जो आपत्ति इस अविश्वास के प्रस्ताव के सिलसिले में उधर से की गयी, मैं उनके बारे में सदन के समक्ष इस विरोध पक्ष की नीति को साफ रख दूं कि यह अविश्वास का प्रस्ताव जो विरोध पक्ष की तरफ से आया है केवल वह उसके एक कर्तव्य पूर्ति के नाते है। विरोध पक्ष का एक सर्वमान्य कर्तव्य है कि सरकार की भर्त्सना करे। यह प्रस्ताव इसी कारण से सदन के विचारार्थ प्रस्तुत है। इस प्रस्ताव द्वारा उन नीतियों की आलोचना की जाय जो मौजूदा सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, उन बातों का खोखलापन सदन के समक्ष सिद्ध किया जाय जिनकी चर्चा समय बे समय सरकार पक्ष वाले कर रहे ह जो हुकूमत की बागडोर अपने हाथ में सम्भाले हुए हैं। कदाचित् मैं बहुत उपयुक्त व्यक्ति नहीं हूं जो इस कार्य को सम्पादन उस जोश और खरोश के साथ कर सकूं जिस जोश और खरोश के साथ मेरे नवयुवक साथी, जो आज मेरे सामने बैठे हैं, जब विरोध पक्ष में बैठते थे तो किया करते थे। मेरे लिए यह स्वाभाविक है कि इस तरफ बैठकर बातों की चर्चा इस सदन में उस ढंग से न करूं जिस ढंग से पहले इधर के बैठने वाले बातें करते थे।

मैं यह कहना चाहता हूं कि मौजूदा सरकार या मौजूदा मन्त्रि-परिषद् जो इस दल के संगठन द्वारा बना है, यह लक्ष्यविहीन सरकार है उद्देश्य विहीन सरकार है, इसका न तो कोई लक्ष्य दृष्टिगोचर होता है और न उद्देश्य हमारे सामने गुजरते हुए दिखाई देते हैं। यद्यपि इसके संचालन करने में बहुत से वे साथी हैं जो आदशवादी रहे हैं। जो अपने विश्वास के लिए और धारणा के लिए जगह-जगह पर लड़ते रहे हैं और अपनी बातों का प्रचार करते रहे हैं। लेकिन सरकार में बैठने के लालच में उन्हें उन आदर्शों से विलग कर दिया है। ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसी मेरी धारणा है और मैं ऐसा समझने लगा हूं कि ऐसे दल के बीच में अधिकांशतः अवसर-वादिता जगह कर रही है, जिससे वे अलग रहते थे वही चीज उनके बीच जगह करती जा रही है। यह हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है, सरकारें आयेंगी और जायेंगी, परन्तु वो जो सरकार चलाते हैं, उनसे जो नवीन समाज का नेतृत्व करने की अभिलाषा रखते हैं, यदि आदर्शवादिता से हट जायं, उच्चतम विचार उनकी नजर से ओझल हो जायं तो नवीन समाज का कल्याण नहीं होने वाला है। उस नवीन समाज को बनाने के लिए अपने-अपने विचारों के अनुकूल हमारे वह नवयुवक साथी जो शासन चला रहे हैं और सदा उन आदर्शों के पीछे चलने की क्षमता प्रदर्शित किया करते थे वे अपनी उत्सुकता को न रोकें। जो इस दल ने अपना १९ सूत्री प्रोग्राम घोषित किया था और वह इसलिए किया था कि जो उनके कथनानुसार निकम्मी सरकार उस समय प्रदेश में कार्य कर रही थी वह उसे हटाकर उन बातों को साल छै महीने में पूरा करने की क्षमता दिखाने की दिशा में कदम बढ़ायेंगे–जिनके द्वारा जनता का भला हो। इसी कारण से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में ऐसा संशोधन प्रस्तुत किया गया था जिसके जरिए से घोषणा की गई थी कि अगर संविद सरकार बनेगी तो ६–८–१२ महीने में विभिन्न प्रश्नों को हल करने में नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करेगी जिनके अन्तर्गत उनकी घोषित नीतियां कार्यान्वित होंगी और पीड़ित जनता को अधिक से अधिक मात्रा में सुख प्राप्त होगा। इन तीन महीनों के अन्दर, और तीन महीने क्यों, बजट साल भर के लिए पास हो गया। इस साल भर के लिए बजट में कहां हमें वह बातें देखने को मिलती हैं जिनकी चर्चा उस १९ सूत्री प्रोग्राम में की गयी थी। कहा गया था कि लैंड रेवेन्यू माफ कर दिया जायगा। कहा गया था कि प्राइमरी टीचर की तनख्वाह १५० रुपए कर दी जायगी। कहा गया था कि दसवें दर्जे तक के विद्यार्थियों को मुफ्त तालीम दी जायगी। कहा गया था कि सरकारी कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को जो भत्ता मिलता है उसके अनुरूप भत्ता दिया जायगा। कहा गया था कि इर्रीगेशन के रेट्स घटा दिए जायेंगे। कहा गया था कि किसानों को खेती के लिए नवीन ऐसे सुझीते दिए जायेंगे जिनके द्वारा हमारी अधिक पैदावार बढ़े और हमारे खाने पीने की समस्या जल्द से जल्द हल हो। कहां गयीं ये चीजें? कहां गए वह सवाल जिनके हल करने की घोषणा की गयी थी? आज

प्राइमरी टीचर आप से आशा करता है कि अब उसे घोषणा के अनुसार डेढ़ सौ रुपए तनख्वाह मिलेगी। सरकारी कर्मचारी आशा रखता है कि आप उसे वह भत्ता दें जिस भत्ते को दिलाने के लिए आप ने उसे अनुशासनहीन बनाया, जिस भत्ते की प्राप्ति के लिए उससे तरह-तरह के वे कार्य कराए जो आपको नहीं कराने चाहिए थे। क्या यह सत्य नहीं है कि आपकी सरकार में आज ऐसे नेता हैं जो सरकारी कर्मचारियों को भड़काते थे, जो उसे बहकाते थे, और उससे वे कार्य करने के लिए कहते थे जिनको करने के लिए उन्हें प्रेरित नहीं करना चाहिए था परन्तु आज उस सरकारी कर्मचारी को इस सरकार ने धोखा दे दिया ? क्या इस सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के नेताओं के द्वारा जो विश्वास उन्हें प्राप्त था उन्हें अविश्वास का परिचय नहीं दिया ? आज क्या यह सही नहीं है कि पुरानी सरकार ने यह कहा था जो उससे पुरानी सरकार ने कमीशन भत्ता इत्यादि के सिलसिले में नियुक्त कर रखा है वह सरकार उसकी सिफारिशों को पूरी मात्रा में पूरी करने की चेष्टा करेगी ? आज तक हमें उस कमीशन की सिफारिशों को देखने का अवसर नहीं मिला। मुझे ऐसा बताया गया था कि इस सदन में वचन दिया गया था कि वह हिन्दी में ट्रान्सलेट करवा कर इस सदन की मेज पर रखी जायगी। परन्तु आज तक वह रखी नहीं गयी। आज सरकारी कर्मचारियों के नेता जेलखाने में डाले गए हैं। मैंने पहले भी निवेदन किया था आज भी निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी सरकार अपने कमचारियों को असन्तुष्ट रख कर उन्हें दबा कर अपनी जिम्मेदारियों को ठीक तरह से प्रदेश में निभा कर चल नहीं सकती। कौन नहीं जानता कि चाहे जो नीतियां आप बरतें, चाहे जितनी योजनाओं की घोषणा आप करें, सारी नीतियां और घोषणाएं यदि कार्यान्वित हो सकती ह तो वह सरकारी कर्मचारियों द्वारा ही होगी ? उनकी मदद से और उनक सहयोग से होंगी। यदि वे असन्तुष्ट रहेंगे, यदि उनके नेताओं के प्रति दुर्व्यवहार होता रहेगा तो क्या कभी इस बात की सम्भावना हो सकती है कि सरकारी कर्मचारियों के बीच में और आपके बीच में अधिक सहयोग बढ़े ?

यह बात सरकारी कर्मचारियों के विषय की ही नहीं है। इस सरकार ने बार-बार सरकार के बनने के पूर्व यह घोषणा की थी कि जब कभी भी जनता के ऊपर फायरिंग होगी, तो उस फायरिंग की जुडिशियल इन्क्वायरी कराई जाएगी। क्या इन तीन महीनों के अन्दर जब ऐसे अवसर आए सरकार ने जुडिशियल इन्क्वायरी---बनारस कांड की कराई, जहां गोली काण्ड हुआ और उससे कई व्यक्ति मरे। मैं इस बात को नहीं दोहराऊंगा, जो अभी इस सदन के समक्ष माननीय नवलकिशोर जी न एप्रोप्रिएशन बिल के सम्बन्ध में कही, जो कि इस अवसर पर कहनी चाहिये थी। मैं उनके उन तर्कों को भी अपने भाषण का हिस्सा मानकर चलता हूं। मेरा तात्पर्य कालागढ़ की घटना से है। इस सरकार में ऐसे लोग हैं जो लेबर मूवमेंट का अपने को नेता कहते हैं, और जो लेवर मूवमेंट को चलाते हैं। जिन्होंने न जाने कितनी जगह पर स्ट्राइक कराई है और स्ट्राइक कराकर सैकड़ों मजदूरों को जेल भिजवाया है और हजारों मजदूरों और उनक परिवार वालों को रोटी रोजी क लिये दर दर की ठोकरें खाने के लिये मजबूर किया है। क्या इस सरकार के लोगों का यह कर्तव्य नहीं था कि कालागढ़ म जहां एक बड़ी योजना कार्यान्वित की जा रही है और जहां पर हजारों आदमी काम कर रहे हैं, उनको सन्तुष्ट रखा जाए और उनक साथ कोई ऐसा अमानुषिक व्यवहार न किया जाए जिससे उस योजना के कार्यान्वित करने में वे अपना पूरा सहयोग न दे सकें और वह योजना निश्चित समय पर पूरी न हो सके ? क्या यह सही नहीं है कि इस सरकार के मंत्रिपरिषद् के सदस्यों ने इधर कोई ध्यान नहीं दिया, उनकी मांगों को ठुकराया ? ऐसी हालत में बर्बरतापूर्वक उनकी मांगों को ठुकराया जबकि उनके दलों की तरफ से जिसकी तरफ से वह मंत्री नियुक्त किये गये हैं, इसकी मांग की गयी थी।

यही नहीं, जहां पिछली सरकार ने घोषणाएं कर रखी थी और जहां लोगों को घोषणाओं के अन्तर्गत सन्तोष दिया जाना चाहिये था, आज क्या उन घोषणाओं पर कार्यवाही हो रही है ?

कुमायूं के लिये वहां की परिस्थितियों का अध्ययन करके वहां की समस्या के समाधान के लिये पिछली सरकार ने घोषणा की और वे घोषणा मात्र ही नहीं थी, वे अगली पंचवर्षीय योजना

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

की हिस्सा थी कि कुमायूं में एक विश्वविद्यालय निर्मित हो। आज मंत्रिपरिषद् में उस इलाके के मेम्बर मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं, सोये हुये हैं। यह जानते हुये और इस बात की जानकारी रखते हुये कि यह पहाड़ी इलाका उन इलाकों से मिला जुला है, जो चीन के इलाके से मिलता है। हमारा कर्तव्य है कि इस इलाके के निवासियों को हम संतुष्ट रखें और उनमें कभी ऐसी भावना न उत्पन्न होने दें कि वे उन इलाकों के रहने वालों का शिकार बन जायं जो हमारे इस इलाकों की तरफ नजर लगाये बैठे हैं। हमारा कर्तव्य था कि हम वहां कुमायूं विश्वविद्यालय बना कर उन लोगों की भावनाओं की पूर्ति करते।

मुख्य मंत्री (श्री चरणसिंह)—

क्या माननीय गुप्ता जी जो वहां की स्थिति का यही ऐप्रीशियेशन है कि अगर वहां यूनिवर्सिटी नहीं हुई तो वहां क लोगों की देशभक्ति म कमी आ जाने की आशंका है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

अध्यक्ष महोदय, मैं जिस बात की ओर ध्यान आमंत्रित करना चाहता हूं वह यह है कि आज उस इलाके के निकट ऐसे इलाके बसे हुये जहां के लोगों को तरक्की के बहुत साधन चीन ने उपलब्ध कराय ह और उनको व संतुष्ट रखन की चेष्टा कर रहे हैं और चीन उन इलाकों पर कब्जा करना चाहता है वहां के निवासियों को यह बतलाता है कि हम अपने यहां के निवासियों के साथ कसा व्यवहार कर रहे हैं और तुम्हारी सरकार तुम्हारे प्रति क्या व्यवहार करती है। इसलिय इस बात की आवश्यकता है कि इन पहाड़ी इलाकों पर अधिक मात्रा में धन व्यय किया जाय और केवल विश्वविद्यालय की ही बात नहीं है वहां के निवासियों क स्तर को हर प्रकार से उठाया जाय। पिछली सरकार ने उत्तराखंड के लिये विशेष धनराशि केन्द्रीय सरकार की मदद से प्राप्त की थी। आज हमारा कर्तव्य था कि हम अल्मोड़ा, नैनीताल, टेहरी और देहरादून और अन्य इलाकों के निवासियों के लिये अधिक धनराशि उपलब्ध करें और उन पर अधिक व्यय करें, उन्हें अधिक सुविधायें दें जिससे वे संतुष्ट रह सकें और उस प्रचार का शिकार न बन सकें जो दुश्मनों के द्वारा पड़ोसी के इलाकों के लिये उन स्थानों के निवासियों के बीच में किये जाते हैं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

जो धनराशि गुप्ता जी ने स्वीकृत करायी थी वह भी उत्तराखंड के लिये इस्तेमाल नहीं की गयी, क्या यह बात सही नहीं है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

पीछ बठ हुये माननीय सदस्यों से मैं कहना चाहता हूं कि पार्लियामेंटरी पद्धति में इंटरप्शंस का अधिकार है। माननीय विरोधी दल के नेता बठ गये तो उन्होंने पूछ लिया।

श्री चन्द्र भानु गुप्त—

मैं कहना चाहता हूं कि जो साल भर का बजट तैयार किया गया है चाहे वह १९ सूत्री प्रोग्राम से सम्बन्धित हो और चाहे वह उन विषयों से सम्बन्ध रखता हो जिनके सम्बन्ध में पिछली सरकार घोषणा कर चुकी थी, बिल्कुल उससे शून्य है और उन समस्याओं के समाधान की तरफ से वंचित है। इस सरकार के मंत्रियों के द्वारा जो आज सरकार का संचालन कर रहे हैं वे बातें भुला दी गई हैं जो वे जब इधर बैठते थे और जिनके लिये वे बराबर शोर मचाते थे, चिल्लाहट करते थे। क्या यह सत्य नहीं है कि वे विश्वविद्यालय के अधिकारों में हस्तक्षेप न करने के हामी थे ? आज क्या हो रहा है ? मेडिकल कालेज के सिलसिले में पहले कभी सरकार ने यह विचार किया था कि इसे वह ले लें, कभी शायद सवाल भी हुये थे, लेकिन बड़ी आपत्ति उठायी गयी थी, बड़ी आलोचनायें की गयी थीं। स्वतः मैं उन व्यक्तियों म से था जो उन अड़चनों से सहमत

थे और जिसने इस बात की इजाजत नहीं दी थी कि लखनऊ मेडिकल कालेज विश्वविद्यालय से लिया जाय। इसलिये नहीं कि और मेडिकल कालेज जो सरकार द्वारा प्रदेश में चल रहे हैं और इसमें कोई भेद भाव रखा जावे, आखिर को ३, ४ मेडिकल कालेज इन २० वर्षों के बीच में और बने हैं और मेरे इस बात का गर्व है कि उनके निर्मित कराने में मेरा योगदान रहा है, मैंने कभी इस बात की चेष्टा नहीं की और जानबूझ कर नहीं की कि सब मेडिकल कालेज एक ही ढाँचे पर चलाये जावें। अंग्रेजी जमाने में भी इस बात का विरोध हुआ था कि लखनऊ मेडिकल कालेज गवर्नमेंट के हाथ में आ जाय। उस जमाने में गवर्नर हैलट ने उस विरोध के आन्दोलन को स्वीकार किया था। अंग्रेजी अफसर चाहते थे कि वह मेडिकल कालेज सरकार के हाथ में आ जायं क्योंकि उनकी नियुक्ति सम्बन्धी नीतियां कालेज में नहीं चल पाती थी, परन्तु उस समय की सरकार ने उसको लेने की चेष्टा नहीं की। बाद में भी १, २ दफा यह प्रश्न आया तो तब की सरकार ने भी उसको लेने की चेष्टा नहीं की। मैं नहीं जानता कि कौन से ऐसे कारण पैदा हो गये हैं कि जिनसे उस कालेज को सरकार ने अपने हाथ में लेने की घोषणा की है। मैं ऐसा मानता हूं कि वह नीति और इस तरह का कार्य करना विश्वविद्यालय की अटानामी में हस्तक्षेप करना है। चाहे राधाकृष्णन कमीशन हो और चाहे और कमीशन रहा हो और चाहे हमारे माननीय सदस्यों के विचार रहे हों जो आज सामने बैठे हैं वह बार-बार इस बात की घोषणा करते रहे कि सरकार को विश्वविद्यालय की अटानामी में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये भले ही विश्व-विद्यालय के चलाने में सरकार पूरी मात्रा में व्यय करती हो और ऊंची धनराशि देती हो। लखनऊ का मेडिकल कालेज देश क मेडिकल कालेजों में एक अपना स्थान रखता है। आज उससे निकले हुये विद्यार्थी प्रोफेसर, रीडर और लेक्चरर के रूप में सारे देश में जो मेडिकल कालेज स्थापित हैं उनमें बहुत से स्थानों में कार्य कर रहे हैं और सारे देश में फैले हुये हैं। यदि उस कालेज में कोई दोष है और मैं मानता हूं कि प्राइवेट प्रैक्टिस का एक दोष हमारे सारे कालेजों में है और वह इस मेडिकल कालेज में भी है तो सरकार का यह कर्तव्य होना चाहिये था कि वह उस प्राइवेट प्रैक्टिस के रोग को रोके। इस रोग में रुकावट डालने में वह तभी सफल हो सकती है कि वह विश्वविद्यालय से सम्बन्धित मेडिकल कालेज के अध्यापकों को वह वेतन दे, जो बड़े-बड़े इंस्टीटयूट्स में, चाहे वह दिल्ली के हों या चंडीगढ़ के हों, प्रदान किया जाता है। यदि यह प्राइवेट प्रैक्टिस का रोग इन कालेजों से निकल जाय तो यह विश्वविद्यालय का मेडिकल कालेज उत्तम ढंग का अनुसन्धान का केन्द्र बन सकता है। उसको विश्वविद्यालय के अन्तर्गत कार्य करने की इजाजत होनी चाहिये परन्तु हमारे नौजवान मंत्री बराबर घोषणा करते चले जाते हैं कि हम तो इस मेडिकल कालेज को इसलिये ले रहे हैं कि यह गुप्ता जी का गढ़ है। वह बड़ी लूज टाक जगह-जगह पर करते दिखाई देते हैं। जो लोग इस तरह की गैरजिम्मेदारी की बातें करते हैं ऐसे व्यक्ति उत्तरदायित्वपूर्ण जगह पर बैठने के योग्य नहीं हैं जो कि विश्वविद्यालय की समस्या को समझने की चेष्टा नहीं करते, जो कि इस मेडिकल कालेज की जो समस्यायें हैं उनको समझना नहीं चाहते और अपन बाहरी राजनीतिक दृष्टिकोण को सामने रख कर उसको काम में लाने के लिये कार्य करते हैं। क्या वे ऐसी हरकतों से ठीक तरह से सरकार के कार्य को चलाने की क्षमता प्रदर्शित कर सकते हैं?

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस सरकार के मंत्रियों का दृष्टिकोण जगह-जगह पर दूषित रहा है। यही नहीं, इस सदन में सूचनायें आयी हैं और उनसे विदित हुआ है कि दो एक जगह पर केवल इस बात को सिद्ध करने के लिये कि अमुक संस्था से अमुक-अमुक व्यक्ति क सम्बन्ध था उसकी इंक्वायरी करायी गयी। और उसे बेईमान तथा भ्रष्टाचारी सिद्ध करने में ही सारा समय लगाया गया और सरकारी कर्मचारियों को इस बारे में लगाया गया, क्या यही सरकार की जिम्मेदारी है, क्या यही सरकार का कार्य है? मैं यहां इस सदन में उपस्थित था जिस दिन माननीय कोआपरेशन मिनिस्टर साहब ने अपने बजट को पेश किया था। उसमें उन्होंने बताया था कि प्रदेश में ११ हजार रुपया सी० बी० गुप्ता जन्म दिवस समारोह समिति कोष के लिये इकट्ठा सहकारी संस्थाओं द्वारा दिया गया या इकट्ठा कराया गया और उसमें कहीं से ५ रुपया आया, कहीं से दस रुपया आया, कहीं से सौ रुपया आया और उसे समितियों ने

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

दिया। जिन्हें सार्वजजनिक कार्यों के लिये दान देने का अधिकार है। मैं नहीं जानता, कि कहां से दान का रुपया इकट्ठा किया गया क्योंकि मेरे पास तो जन्म दिवस समारोह समिति ने दो मर्तबा चेक भेजे थे। वह मेरे पास आये थे और मैंने उनको वहीं पहुंचवा दिया जहां के लिये वह भेजे गये थे। मेरे पास तो एक पैसा भी अपने लिये नहीं आया। मैं जानता हूं कि उसके लिये कूपन्स छपे थे और सारे प्रदेश से उसके लिये एक दो, पांच और दस रुपये के कूपन्स बेंच कर रुपया जमा हुआ था। उसमें किसानों ने भी पैसा दिया था, व्यवसायियों ने भी दिया था, नौकरी पेशा वालों ने भी वह पैसा दिया था और तमाम अन्य लोगों ने दिया था। अगर कोई किसी से प्रेम रखता है और किसी सार्वजनिक कार्य के लिये उसे पैसा देता है तो आप उसकी इंक्वायरी कराते हैं, उसके लिये सरकारी कर्मचारियों को इस्तेमाल करते हैं, तो क्या सरकारी कर्मचारी आपके पास इसी कार्य के लिये नियुक्त हैं? आपने तीन महीने में प्रदेश की सारी सहकारी संस्थाओं से इस धन के इकट्ठा होने के विषय में जानकारी करायी। क्या आप इस बारे में मुझ से नहीं पूछ सकते थे कि वह रुपया कहां से आया और कहां लगा है, बजाय इसके कि आपने सारे प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को इसकी खोज में लगाया तथा इसकी जानकारी प्राप्त करने म इतना समय व्यर्थ का व्यय किया। मैं यह इसलिये कह रहा हूं कि आपने सरकार के कर्मचारियों को बकार क काम में लगाया और जो काम उनके थे, जो उनका कर्तव्य था उनको उससे अलग करके उनका आपने अपने राजनैतिक उद्देश्य के लिये तथा अपने दल के उद्देश्य की पूर्ति के लिये उपयोग किया है और यही नहीं, जैसा कि एक साहब ने कहा था, आज आपकी सरकार ने सरकारी कर्मचारी को बड़ी भारी मुसीबत में डाल दिया है। नौ नौ दलों की सरकार है। जिले में नौ नौ दलों के नेतागण जाते हैं और यदि कहीं किसी जिलाधीश से, किसी एस० डी० ओ० से उनके हाजिरी बजाने में गलती हो जाय तो उसके दल के कार्यकर्त्ता उसे तंग करते हैं, उसके दफ्तर में पहुंच जाते हैं अपना रोब झाड़ते हैं तथा कहीं उससे परमिट दिलाना चाहते हैं और कहीं दबाव में गलत बात कराने के लिए जोर डालते हैं। जो कार्य कभी भी कांग्रेस सरकार के जमाने में नहीं हुए, जो कार्य किसी भी कांग्रेस जन ने नहीं किये, उनको आज यह नौ नौ दलों की सरकार अपने नौ नौ दलों के कार्यकर्त्ताओं के द्वारा करवा रही है और सरकारी कर्मचारियों पर उनके द्वारा हुकूमत चला रही है और कहीं-कहीं इंक्वायरी प्रतिद्वंदियों के विरुद्ध कराना चाहती है। इस प्रकार सरकारी कर्मचारी पिसा जा रहा है और उसकी शक्ति व्यर्थ में ही नष्ट हो रही है।

यही नहीं, सरकारी कर्मचारी आज पचास पचास और ५४, ५४ की संख्या में एक साथ ट्रान्सफर हो रहे हैं।

सरकार के लिए अधिकार रहा है कि वह समय-समय पर ट्रांस्फर करेगी, इसमें कोई आपत्ति भी नहीं कर सकता है। कोई सरकारी कर्मचारी अगर कहीं अधिक समय तक रहा हो तो अवश्य तबादला उसका किया जाय। लेकिन रोजमर्रा में सुनता रहता हूं कि आज तबादला हुआ, कल कटा और बदला। सरकारी कर्मचारी जानता ही नहीं है कि उस पर क्या विपदा आने वाली है। मुझे जो जानकारी मिली है वह विदित कराती है कि कहां से आदेश निकलते हैं। ऐसी परिस्थितियां शक पैदा करती हैं कि आदेश देने वाले की क्या सेहत या दिमाग ठीक है? कोई दिमागी बीमारी तो नहीं है? एक मिनट में एक आर्डर, दूसरे मिनट में दूसरा आर्डर। यह कभी भी नहीं हुआ। बहुत से प्रभाव पहले भी लोगों पर पड़ते थे, लेकिन आज ९–९ दलों की सरकार के जो नेता हैं वह सरकारी कर्मचारियों के लिए ऐसे ऐसे आदेश दे रहे हैं, जो समझे नहीं जा सकते।

श्री गंगाराम (जिला कानपुर)---

'दिमागी खराबी हो गयी है' क्या यह पार्लिामेंटरी एक्सप्रशन है?

श्री अध्यक्ष—

तलवार जी ने पूछा कि "दिमाग खराब हो गया है" क्या यह पार्लियामेंटरी एक्सप्रेशन है। अगर किसी व्यक्ति को इंगित करके बताया जाय तो अनपार्लियामेंटरी है, लेकिन अगर एक प्रसंग में कहा जाय तो पार्लियामेंटरी है।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

मेरे कहन का तात्पर्य यह है कि "दिमागी बीमारी" होने के कारण ही ऐसी बातें की जा सकती हैं। तो इन तीन महीने से जो वातावरण पैदा किया जा रहा है वह इसलिए किया जा रहा है कि नौकरी पेशा लोगों को ये दबा कर रखना चाहत हैं, डर में रखना चाहत हैं ताकि वह अपना इनिशिएटिवभी इस्तेमाल न कर सकें। डिमोक्रेसी में इस तरह से कार्य नहीं चलता। अगर शिक्षा देकर जनता को ईमानदारनहीं बनायेंगे, अगर अपने उत्तमआचरणों से पीछे चलने के लिए आमंत्रित नहीं करेंगे और नमूना पेश नहीं करेंगे और ऐसे आदेशों से पुलिस स्टेट बनाने की दिशा में कदम बढ़ायेंगे तो न तो आप करप्शन को दूर कर सकेंगे और न ऐडमिनिस्ट्रेशन में एफिसियेंसी ला सकेंगे और न सरकारी कर्मचारी में इनीशिएटिव पैदा कर सकेंगे जिसकी बुनियाद पर वह सरकार के चलाने में, समाज को बनाने में और सरकार की नीतियों के संचालन में हमारी मदद कर सके। आज विपरीत कार्यवाही हो रही है कि जो एक साल भी एक स्थान पर नहीं रहा उसका भी तबादला और ३ साल से अधिक रहा उसका भी तबादला। यह कौन तरीका है ? डिमोक्रेसी में डर पैदा करने का ढंग एक खतरनाक तरीका है और फासिस्ट मनोवृत्ति को हमारे बीच में पैदा करने का तरीका है। जो आप करप्शन को दूर करने की दिशा में कदम उठा रहे हैं मैं उनका स्वागत करता हूं और पूरा सहयोग उसमें देने के लिए तैयार हूं और मेरे सहयोगी भी साथ देंगे, लेकिन यह फासिस्ट वातावरण प्रदेश के लिए घातक सिद्ध होगा, इसको बदलना चाहिए वरना आप जिस दिशा में प्रदेश को घोषित नीतियों के अनुसार चलाना चाहते हैं उस दिशा में चल नहीं सकेगा।

बड़ी घोषणायें की थीं कि हम खेती की पैदावार को बढ़ायेंगे। उसके लिये किसानों को सुविधायें देंगे। मैं समझ नहीं पाया कि आपने कौन से नये सुबीते किसानों को ऐसे दिये जिससे कि पैदावार ऐसी बढ़ सकती है ? छोटे-छोटे उद्योग धन्धों के बढ़ाने के लिये भी आपने कोई धनराशि नहीं रखी जिससे उद्योग धंधों बढ़सकें तथा बेरोजगारी को दूर कर सकें।

हिन्दी के सम्बन्ध में आपने कुछ घोषणायें कीं। हिन्दी प्रदेश की राष्ट्रभाषा है। उसका अधिक से अधिक प्रसार होना चाहिये। हुकूमत का जितना काम है वह हिन्दी में चले, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है, इन सब बातों का मैं स्वागत करता हूं। लेकिन हिन्दी का प्रसार तब तक नहीं हो पायेगा जब तक टैक्स बुक्स हिन्दी में तैयार नहीं की जायेंगी। इस कार्य के लिये पिछले वर्ष २ लाख रुपया रखा गया था। इस वर्ष भी उतना ही रखा गया है। हिन्दी को बढ़ाने के लिये सैकड़ों पुस्तकें शिक्षा प्रसार के लिये छपवाने की जरूरत है। इस दिशा में आपने कोई नया कदम नहीं उठाया है। मैं यह मानता हूं कि पिछले १०–१५ वर्षों में इस तरफ जितनी प्रगति होना चाहिये थी वह नहीं हो पायी।

कई वर्षों से हमारे यहां हिन्दी और उर्दू का झगड़ा चलता आया है। हमने उर्दू के सम्बन्ध में कुछ सुविधायें दी थीं। उससे लोग संतुष्ट थे झगड़े का कारण था कि जो सुविधायें हमने दी थीं; जो उसके लिये आदेश थे, उन पर ठीक से अमल नहीं होता रहा। जो भी इसके लिये हमने आदेश दिये उन पर उस मात्रा में अमल नहीं हुआ जिस मात्रा में होना चाहिये था। जो भी आज उर्दू को पढ़ना चाहते हैं, हमारा कर्तव्य है कि हम उनको संतुष्ट रखें। मेरा ख्याल है कि हम पिछले २० सालों में उन्हें सन्तोष नहीं दे पाये। हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें सन्तोष दें और उसी पुरानी प्रथा को लौटाया जाय जिसके अन्तर्गत हिन्दी और उर्दू पढ़ायी जाती थी। जब मैंने तथा मेरी पीढ़ी के लोगों से शिक्षा प्राप्त की थी तब मैं आठवें व नवें दर्जे में पढ़ता था, तीसरे और चौथे में पढ़ता था, तो हिन्दी तो पढ़ायी जाती थी, लेकिन साथ ही सेकेंड लैंगुएज के तौर पर उर्दू भी पढ़ायी जाती थी। फिर वही व्यवस्था क्यों नहीं प्रारम्भ की जाती ?

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

मैंने माननीय शिक्षा मंत्री जी की इन्टरमीडियेट के बारे में नयी घोषणा सुनी कि अब ५ विषयों में से ४ विषय ही इन्टरमीडियेट में पढ़ाये जायेंगे। मैं नहीं समझता कि इससे साइन्स के विद्यार्थियों का क्या होगा? अगर कोई मराठी या दूसरी जबान पढ़ना चाहता है तो उसका क्या होगा? कोई उर्दू पढ़ना चाहता है तो वह कैसे पढ़ेगा? मैं कोई शिक्षा विशारद नहीं हूं, अगर इसमें उनकी सलाह ली गयी है और उनकी सलाह से यह किया गया है तब तो मुझे कुछ नहीं कहना, परन्तु जितनी मेरी जानकारी है वह यह है कि उनसे इसमें सलाह नहीं ली गयी है। मैं नहीं समझता कि अगर कोई उर्दू या अंग्रेजी पढ़ना चाहता है तो उसे उससे वंचित रखा जाय। मैं समझता हूं कि हमें कोई भी ऐसा नवीन प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में नहीं करना चाहिये। जहां तक उर्दू पढ़ने वालों का सम्बन्ध है उनकी भावनाओं का खयाल करके उन्हें उस दिशा में ले चलना है जिस दिशा में चल कर प्रत्येक उनमें से हिन्दी पढ़े, प्रदेश का प्रत्येक रहने वाला उर्दू भी पढ़े जैसे हम अपने जमाने में पढ़ते थे। हम आसानी से पढ़ते थे, कोई अड़चन या दिक्कत उसमें नहीं होती थी। मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में इसी प्रकार का कार्य होना चाहिये था न कि ऐसा भाषण दिया जाता है जिससे कि उर्दू भाषी लोगों की भावनायें कुंठित होती हैं और उनको दुःख होता है। परन्तु ऐसे भी इस सरकार में लोग हैं जो उस विचार के अन्तर्गत कार्य करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि ये नीतियां सही नहीं हैं। इससे हम प्रदेश की भाषा सम्बन्धी समस्या हल नहीं कर पायेंगे और आज प्रदेश की ही समस्या इस भाषा के सम्बन्ध में हल नहीं करनी है बल्कि हमें सारे देश की समस्या को सामने रख कर विचार करना है। एक संकीर्ण वातावरण में शिक्षा और भाषा के विषय में हमें विचार नहीं करना है। परन्तु मुझे ऐसा लगता है जैसी कि घोषणा की गई और जैसा मुख्य मंत्री ने और बातें बताईं वे कन्सेशन्स सब को सन्तोष देने वाले नहीं हैं। मैं जानता हूं और वे भी जानते हैं और वे मेरे साथ कितने दिन सरकार में रहे। हमने जो पहिले कन्शन्स दिये थे उन पर अमल नहीं हो रहा है। अमल तभी होगा जब यह कर दिया जाय जैसे हमने अपने जमाने में हिन्दी-उर्दू पढ़ी थी तभी हिन्दी-उर्दू के लड़ाई झगड़े का खात्मा कर सकते हैं। उसके बाद रीजनल लैंग्वेज का सवाल ही नहीं उठेगा। प्रत्येक व्यक्ति जब हिन्दी-उर्दू जानेगा तो रीजनल भाषा का सवाल नहीं उठेगा। जहां तक शासन के चलाने का विषय है शासन तो एक ही जुबान के अन्तर्गत चलेगा और वह हिन्दी भाषा का माध्यम ही हो सकता है। फिर कोई उर्दू वाला अगर उर्दू में कोई अर्जी लाता है तो सरकार के चलाने वाले कर्मचारी जो उर्दू भी जानते होंगे, ले सकेंगे और समझ सकेंगे। जब प्रत्येक को हिन्दी और उर्दू प्रारम्भ से पढ़ाई जायेगी और तब इस रूप में हिन्दी-उर्दू का समाधान किया जा सकेगा। सरकार उस दिशा में विचार नहीं कर रही है परन्तु अपने संकीर्ण विचार के अन्तर्गत कार्य कर रही है। मैं समझता हूं कि वह नीति प्रदेश और देश के हित में नहीं है और उससे समस्या का समाधान होने वाला नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपके समय पर रोक नहीं लगाना चाहता कि आप कितना समय चाहेंगे। पर...

श्री हुकम सिंह (जिला आगरा)—

क्या गुप्ता जी उर्दू को सेकेंड लैंग्वेज मानने को तैयार हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

मैंने जितना कहा यदि माननीय सदस्य मेरे उस भाषण के माने को समझेंगे तो उसके माने यह हैं कि इस प्रदेश में जो पैदा हो वह हिन्दी भी पढ़े और उर्दू भी पढ़े आठवें दर्जे तक, जैसे मैंने पढ़ी थी।

(व्यवधान)

इस सरकार द्वारा जो बजट बनाया गया था उससे मुझे आशा थी कि पिछड़े वर्ग को ऊंचा उठाने के लिये उसमें कुछ विशेष प्राविधान किया जायगा। हरिजन विद्यार्थियों को

कुछ अधिक सहायता देने के बारे में, उनके मकानों को बनाने के बारे में कुछ अधिक व्यवस्था की जायगी, परन्तु बजट हमें उस दिशा में कहीं भी नहीं ले जाता है, बल्कि हरिजनों के अनुदानों में पहले से और कमी कर दी गई है।

जहां तक सरकार की रिट्रेन्चमेंट की पालिसी का सवाल है, मैं उन व्यक्तियों में से नहीं हूं जो खामख्वाह रिट्रेन्चमेंट की पालिसी का विरोध करते हैं बल्कि मैं ऐसा मानता हूं कि जहां आवश्यकता है वहां रिट्रेन्चमेंट होना चाहिये लेकिन रिट्रेन्च्ड व्यक्तियों को दूसरा जाब मिलना चाहिये। समाजवादी युग में किसी का एम्प्लायमेंट नहीं छीना जाना चाहिये, अगर छीना जाता है तो उस व्यक्ति और समाज के साथ अन्याय किया जाता है क्योंकि हमारा प्रयास अपने बीच से बेरोजगारी दूर करने का है न कि उसे बढ़ाने का।

महिलाओं के साथ जो हो रहा है, मैं उसे अन्याय कहता हूं। प्लानिंग के अन्तर्गत जो सोशल वेलफेयर की योजना बनायी गयी थी वह इसलिये बनायी गयी थी कि स्त्रियों में भी चेतना फैले और स्त्रियों का सहयोग हमें नयी योजनाओं के काम में और समाज के निर्माण में प्राप्त हो। लेकिन जो हमारी बहिनें इस योजना के अन्तर्गत काम कर रही थीं उनको हटाया जा रहा है। दूसरे जाब देने की घोषणा की गयी है, लेकिन जब तक आप दूसरा जाब उनको देने की क्षमता नहीं रखते तब तक आपको उनको नहीं हटाना चाहिये और स्वीकृत योजनाओं में कटौती नहीं करनी चाहिये।

कुछ लोगों को राजनीतिक दृष्टिकोण से भी हटाया जा रहा है। इन्फरमेशन आफीसरों के सिलसिले में मेरा ध्यान आकृष्ट किया गया है। उनमें से बहुत से ऐसे हैं जो राजनीतिक व्यक्ति रहे हैं, जिनका बहुत-सा जीवन जेलों में व्यतीत हुआ है। उस समय की सरकार ने अपना यह कर्तव्य समझा कि उनको कार्य दे, लेकिन आज कल की सरकार को उनसे बदला लेने की भावना से उनका रोजगार नहीं छीनना चाहिये था, यह सरकार उनका रोजगार छीनना चाहती है जो कभी गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का आन्दोलन चला चुके थे। भले ही यह सरकार जनसंघ की बनी हो, भले ही ऐसे व्यक्तियों की बनी हो जो आजादी के बाद की पैदावार हों, जिन्होंने पहला जमाना न देखा हो, उस युग की बातों को वे समझ न सकते हों, लेकिन उनमें कुछ ऐसे भी हैं जो उस युग की बातों को समझते हैं, अगर वे भी उनकी रोजी पर कुठाराघात करेंगे तो वे अपने इस कार्य से यह सिद्ध करेंगे कि यह सरकार पोलीटिकल विक्टिमाइजेशन में विश्वास करती है और उस दिशा में काम करना चाहती है जिसमें छोटे दिमाग वाली प्रवृत्ति काम करती है और उन उद्देश्यों के पीछे नहीं चलना चाहती जिनसे समाज में स्फूर्ति पैदा होती है।

श्री रमाशंकर अग्रवाल—

क्या माननीय गुप्ता जी का यह मतलब है कि आजादी के बाद पैदा होने वाला कोई इस सदन का सदस्य न हो?

श्री अध्यक्ष—

इस तरह से व्यवधान करने की परम्परा नहीं है। जो कुछ आपको कहना हो, बाद में कहें।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जहां तक इस सरकार द्वारा लगायी लेवी की योजना का सम्बन्ध है वह कई दिशाओं में दोषपूर्ण रही है।

मैं लेवी का विरोधी नहीं हूं, जब मैं उधर था तब भी लेवी का पोषक था और इधर आने पर भी हूं। अवश्य उसमें बहुत-सी त्रुटियां थीं उनको अधिकारियों तक या उन व्यक्तियों तक जिनको उसमें फैसला लेना था उनको रखने की क्षमता रखता था और रखता हूं और यह मैं आज भी कहता हूं कि बहुत-सी जगहों पर लेवी में किसानों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है जो कि नहीं होना

[श्री चन्द्रभानु गुप्त--]

चाहिये था। इसमें किसानों को बचाया जाना चाहिये था, लेकिन कहीं-कहीं सरकारी कर्मचारियों ने अपने जोश में और यह सिद्ध करने के लिये कि जितना उनका कोटा था वह पूरा कर दिया, ऐसी कार्यवाहियां की हैं जो अनुचित थीं और नहीं होनी चाहिये थीं। लेकिन इस सरकार ने उसको बरदाश्त किया है और उनको ऐसा करने की इजाजत दी है। यह कार्य सरकार की उन घोषणाओं के विपरीत रहा है जो यह सरकार इस विषय में घोषित करती रही है। इन कारणों से मैं कहूंगा कि हम इस मंत्रिपरिषद् में विश्वास नहीं रखते और उसकी नीतियों पर हम विश्वास नहीं रखते और इसलिये नहीं करते क्योंकि इसके सारे कार्य इसकी घोषणाओं के विपरीत रहे हैं, जो घोषणायें यह सरकार समय बेसमय करती रही है। मैं अन्त में इन कारणों की बुनियाद पर सदन से प्राथना करता हूं कि वह मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करे।

(श्री प्रभुनारायण सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

गन्ना विकास उप मंत्री (श्री महीलाल)---

अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि क्या कोई माननीय सदस्य जो अपना दल बदलें वह आपकी सूचना देने से पहले जनता में बाहर इस प्रकार के पर्चे बांट सकते हैं या नहीं? इसकी आवश्यकता मुझे इसलिये पड़ी कि संयुक्त विधायक दल के ४ सदस्यों के बारे में, श्री अख्तर अली, श्री मकसूद हुसैन (जिला रामपुर), श्री बंशीधर और श्री अहमद उल्ला खां के बारे में चर्चा की जा रही है कि उन्होंने एस० बी० डी० छोड़ दी है, तो क्या आप को सूचित करने से पहले पर्चों द्वारा इस प्रकार की सूचना बाहर दी जा सकती है?

श्री मोहन लाल गौतम (जिला अलीगढ़)---

मैं, अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। व्यवस्था का प्रश्न उसी समय उठाया जा सकता है जब सदन के सामने कोई चीज हो और उसमें अनियमितता हो रही हो लेकिन जो चीज सदन के सामने नहीं है उसके बारे में व्यवस्था का प्रश्न आये तो वह उचित नहीं है। मैं आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आपने व्यवस्था दे दी, आपने रूलिंग दे दी और फिर बहस शुरू हो रही है और आप की यह भलमनसाहत है कि आप इजाजत दे रहे हैं।

आबकारी मंत्री (श्री अख्तर अली खां)---

अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने कहा मुझे भी इत्तिला मिली है कि ऐसा कोई एलान उधर से हुआ है या कोई पर्चा बंटा है। जहां तक मेरा सवाल है, मैं मंत्रिपरिषद् का एक सदस्य होने के कारण न ऐसा कोई एलान करना चाहता हूं और न कर सकता हूं। जहां तक दूसरे सदस्यों का सवाल है, वह यहां हैं भी नहीं ....

श्री अध्यक्ष---

जो व्यवस्था का प्रश्न मेरे सामने है उस को मैं जरा साफ कर दूं कि इस तरह से दल परिवर्तन की न तो प्रथा सदन में रही है और न जो पद्धतियां मैंने पढ़ी हैं उन से ही मुझे कुछ प्रकाश मिला, पहले की परम्परा मैं नहीं जानता लेकिन ऐसे अवसर हुये हैं कि कोई मेम्बर किसी नीति की घोषणा बाहर करें अपना वक्तव्य देने से पहले तो वह अनुचित है, इसको मैंने विशेषाधिकार का प्रश्न भी नहीं माना था। उस के प्रकाश में मैं नहीं जानता कि मैं कोई रोक लगा सकता हूं, यदि कोई माननीय सदस्य या मन्त्री अपने बारे में या किसी के बारे में कुछ लिखें या सदन में कोई बात हो तो मैं टिप्पणियां रोकने की व्यवस्था कर सकता हूं।

श्री मही लाल—

माननीय सदस्य मौजूद हैं, आप उन से पूछ लीजिये ।

श्री कृष्णा नन्द राय (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, मेरी प्रार्थना है कि व्यवस्था की बात को बाद में कर लेंगे । इस समय बहस हो जाय ।

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मन्त्री जी को इस बात का अधिकार है कि रातों रात माननीय मन्त्री जी दारुलशफा में जायं और एक-एक सदस्य को...

श्री अध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, वह सब प्रोपेगैन्डा और प्रचार के लिए किया जा रहा है । डिमोरेलाइज कराने के लिए माननीय मन्त्री खुद पर्चे बंटवा रहे थे ।

श्री अध्यक्ष—

मैं इस विषय पर कोई चर्चा नहीं चाहता हूं । माननीय महीपाल जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया था, मैंने उस पर अपने विचार प्रकट कर दिये हैं ।

*उद्योग मन्त्री (श्री प्रभुनारायण सिंह)—

श्रीमन्, आज अविश्वास का प्रस्ताव रखते वक्त माननीय नेता विरोधी दल ने जो सवाल सदन के सामने प्रस्तुत किये हैं.....

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मैं मन्त्री जी से यह आग्रह करना चाहता हूं कि चूंकि यह अविश्वास का प्रस्ताव मन्त्रि-परिषद् के विरुद्ध है, अतः जो हमारी संसदीय परम्परायें हैं, उनको ध्यान में रखते हुये आपके दल में जो योग्य वक्ता हों, जो कि आप के नेतृत्व में विश्वास रखते हों उन्हें अपने विचार प्रकट करने का अवसर दें ।

श्री अध्यक्ष—

जहां तक मुझे जानकारी है, इस विषय में कोई ऐसी परम्परा नहीं है कि अविश्वास के प्रस्ताव पर मन्त्रि परिषद् के सदस्य न बोलें । इसलिए मैं इसे कोई अनुचित नहीं समझता हूं ।

श्री प्रभुनारायण सिंह—

श्रीमन्, नेता विरोधी दल ने जो अविश्वास का प्रस्ताव मन्त्रि-परिषद् के विरुद्ध रखा है, उसमें उन्होंने कई नीतियों की चर्चा की है और यह बात ठीक ही है कि जब अविश्वास का प्रस्ताव आये, तो इस सिलसिले में, नीतियों के सिलसिले में, सफाई के साथ बातचीत हो सके। मान्यवर, नेता विरोधी दल ने इस बात की भी चर्चा की है कि बहुत से ऐसे सदस्य आज सरकार में बैठे हुए हैं जो कि आजादी के सामने के हैं, लेकिन ऐसे भी सदस्य हैं जो आजादी के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री प्रभु नारायण सिंह]

जमाने के नहीं हैं। माननीय इस अवसर पर इतना ही कहना चाहता हूं कि क्या उस पीढ़ी को अधिकार नहीं है, जो कि आजादी के जमाने में मौजूद नहीं थे कि वे शासन में आयें ? इसी सिलसिले में जो आजादी की लड़ाई का जिक्र किया है माननीय गुप्ता जी ने, हमारे जैसे लोग जो उस आजादी की लड़ाई और संघर्ष में शामिल थे, हमने यह फैसला किया था कि १९४८ के पश्चात् अर्थात् आजादी के बाद कांग्रेस से नाता तोड़ लेंगे और यह फैसला किया कि इस बात से आज देश में एक विरोधी दल की जरूरत है जो देश की जनता पर होने वाले अन्याय के विरुद्ध अपनी आवाज उठा सके। क्या कारण है कि आज वे लोग जिन्होंने कांग्रेस से १९४८ में अपना रिश्ता तोड़ने के लिए कहा था वे आज इस सरकार में लगे हुये हैं। उसका, श्रीमन्, एक ही कारण है। यहां पर ९ दलों की चर्चा की गयी, लेकिन इन दलों की सरकार बनाने का एक सबसे बड़ा कारण यह था कि २० वर्षों के कांग्रेस के कुशासन में, हमारी जो आकांक्षायें थीं, जनता की जो आजादी प्राप्त होनेके बाद आकांक्षायें थीं, उनकी पूर्ति नहीं हुई जिस की वजह से हमने इस बात को महसूस किया कि बिना कांग्रेस के शासन को समाप्त किये अब दूसरा कोई विकल्प इस देश की और प्रदेश की जनता के सामने नहीं है। इस कारण से हमने फैसला किया कि जो विरोधी दलों के अन्दर हैं वे इस बात का फैसला लें, आज कुछ बुनियादी सवालों पर जिन पर वे एक मत हैं उन पर इकट्ठा हो कर के देश और प्रदेश का शासन चलाने का काम करें।

आज यह कहा जाता है कि संविद में कोई एका नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक यह सरकार है, १९ सूत्री कार्यक्रम के आधार पर जिस पर कि विरोध पक्ष की सरकार गिरी थी, उसका यह फैसला है कि १९ सूत्री कार्यक्रम पर चलने के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प और दूसरी स्थिति इस देश के अन्दर नहीं है जिससे जनता में विश्वास पैदा हो सके कि केवल कांग्रेस को ही अकेले शासन करने का अधिकार नहीं है बल्कि उनको भी अधिकार है जो जनता के बीच में उसके हित में काम करत हैं। नेता विरोधी दल से मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे माननीय रामायण राय १९४२ में जेल में थे जब मैं भी बनारस डिस्ट्रिक्ट जेल में बन्द था उस समय हमारे ऐसे लोग भी ३–३ साल कारावासों में रहने के बाद जेलों से छूटे लेकिन हमारे सामने वे परम्परायें थीं, आचार्य नरेन्द्र देव, जिसको नेता माना था, लेकिन इसमें बैठे हुये कितने माननीय सदस्य होंगे, जिन्होंने आचार्य नरेन्द्रदेव का साथ छोड़ा, लेकिन हम लोग उन की परम्पराओं पर, उसी रास्ते चलते रहे और उस रास्ते पर चल के २० वर्षों तक विरोध में बैठने के बाद भी अपने चेहरे पर कोई शिकन नहीं आने दी, शिकस्त नहीं खायी, हमारा मन कभी कमजोर नहीं हुआ। लेकिन २० वर्ष तक शासन करने के बाद और हाल ही में शासन से हटने के बाद आज विरोधी दल के लोगों के दिलों में जो बेचैनी है उसकी कोई इन्तहा नहीं हो सकती। उसको देखा जा सकता है जो रोजमर्रा इस सदन में घटनायें घट रही हैं।

विरोधी दल के माननीय नेता ने यह सवाल उठाया कि आज संविद की सरकार उद्देश्य विहीन, नीति विहीन है। मैं कहना चाहता हूं कि इस गैर कांग्रेसी सरकार का यह उद्देश्य है कि सूबों में कांग्रेस की सरकारें खत्म हों और दिल्ली में भी कांग्रेस सरकार का पतन हो। उस का पहला उद्देश्य यही है, पहली नीति यही है। हम महसूस करते हैं कि २० वर्षों के कुशासन के बाद यदि कांग्रेस का खात्मा इस देश में नहीं होता है तो देश का भला नहीं हो सकता। १९ सूत्री कार्यक्रम हमारी गाइडिंग लाइन्स हैं, उद्देश्य वाक्य है, हमारा निर्देशात्मक उसूल है। ऐसी स्थिति में यह कहना कि यह सरकार उद्देश्य विहीन है, निर्देश विहीन है यह बात अपनी जगह पर सही नहीं है।

माननीय नेता विरोधी दल ने यह कहा कि आखिर यह सरकार बनने के बाद इस सरकार ने जो १९ सूत्री कार्यक्रम के सिलसिले में वायदा किया था उस सिलसिले में इस सरकार ने क्या किया। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि तीन हजार वर्षों से चली आ रही मालगुजारी की प्रथा जिस को भारत का किसान महसूस करता था कि इस प्रथा से उसको राहत मिलनी चाहिये,

इस सरकार के आने के बाद उस प्रथा की समाप्ति की शुरुआत हुई है और वह इस बात से जो १० बीघे पर से आधी मालगुजारी माफ करने का जो ऐलान हुआ है। यह भी ऐलान है कि इस प्रदेश में लगान की प्रथा समाप्त की जायगी। यह इस बात का सबूत है कि यह कार्य की शुरुआत इस सरकार के आने पर ही हुई है, विरोध पक्ष में बैठने वाले सदस्यों की तरफ से नहीं हुई है। मौजूदा सरकार ने यह एक क्रान्तिकारी कदम उठाया है। २० साल से उन साथियों ने जो आज विरोधी पक्ष में हैं कभी किसान की बात सोची नहीं। जमींदारी एबालिशन के अन्दर जब उत्तर प्रदेश के किसानों से १० गुना लगान वसूल करने की बात आयी तो हम लोग विरोधी पक्ष में बैठे हुये थे, उस समय हमारे मित्रों ने उसे वसूल करने की बात ही कही थी।

एक सदस्य—

आप के मुख्य मन्त्री भी उन्हीं में थे।

श्री प्रभुनारायण सिंह—

उस समय वह कांग्रेस पार्टी के नेता थे, और आज वे संविद सरकार के नेता हैं। वह कांग्रेस पार्टी का फैसला था, किसी व्यक्ति का फैसला नहीं था। उस समय हमने १० गुना लगान का विरोध किया था। फिर इस बार भी हमारे विरोधी मित्र १८ दिन तक सरकार में रहे . . .

श्री विश्वनाथ प्रसाद (जिला वाराणसी)—

जब आज वह कांग्रेस छोड़ कर अलग हो गये, तो उस समय भी मन्त्रि-परिषद् छोड़कर १० गुना लगान के सवाल पर अलग हो गये होते, लेकिन उस समय तो वे अलग नहीं हुये।

श्री प्रभुनारायण सिंह—

कुछ बातें तजुर्बे से आती हैं, जैसे मोहन लाल जी गौतम कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के ३४ से लगातार सदस्य रहे और महामन्त्री के पद पर होते हुये भी उन्होंने कांग्रेस के साथ पार्टी की तब्दीली कर ली। स्थिति को सोच कर अगर वह कर सकते थे तो दूसरा भी वैसा कर सकता है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है।

श्री मोहनलाल गौतम—

मैंने गलती की थी जो क्या चौधरी साहब ने भी गलती की है ?

श्री प्रभुनारायण सिंह—

गौतम जी मानते हैं कि उन्होंने गलती की है तो यह एनोलाजी उन पर भी लग सकती है और यदि वह यह मानते हैं कि उन्होंने गलती नहीं की तो वही एनोलाजी यहां पर लगती है।

यह भी नेता विरोधी दल ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के बारे में जो नीति थी उसे नहीं बरता गया। वह इस बात को मानते हैं कि सरकारी कर्मचारियों के अनुशासन पर और संतुष्टि के आधार पर ही कोई सरकार चल सकती है। मैं यह उन से जानना चाहता हूं कि कांग्रेस के मन्त्रिमण्डल के रहते हुये, उनके मन्त्रि-परिषद् के रहते हुये क्या कभी सरकारी कर्मचारियों को एक साथ ११ करोड़ रुपया महंगाई देने का फैसला किया गया। जैसे ही यह सरकार आयी इस सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को ११ करोड़ रुपये देने का फैसला किया और वह भी उस समय जब कि प्रदेश के सामने आर्थिक संकट था। इस के अलावा ६ करोड़ रुपये मालगुजारी छोड़ने का फैसला किया। २ करोड़ रुपये भूमि-भवन कर छोड़ने का फैसला किया और उस के साथ साथ साढ़े ५ करोड़ रुपये हमारे मित्र छोड़ गये थ मालगुजारी के सिलसिले में। इस प्रकार २५ करोड़ की कटौती इस बजट में की गयी और इस प्रकार सरकार ने उन २५ करोड़ रुपयों को संयमित रूप करके सूब के हर वर्ग को राहत दी है। बावजूद

[श्री प्रभुनारायण सिंह]

इस बात के हमारे माननीय सदस्यों को कुछ दिखलायी नहीं पड़ता। एक कहावत है "मूंदहु आंख कतहुं कुछ नाहीं"। आज यह कहावत विरोधी पक्ष पर बिलकुल चरितार्थ हो रही है। हम ने २५ करोड़ की जनता को राहत दी, लेकिन बावजूद इस के हमारे माननीय दोस्तों को कुछ दिखायी नहीं पड़ रहा है।

माननीय विरोधी दल के नेता ने बहुत डिप्लोमेटिक स्पीच दी। उन्होंने शायद यह सोचा कि उनकी डिप्लोमेटिक स्पीच लोग समझेंगे नहीं। उर्दू के मामले में माननीय नेता विरोधी दल ने जो बयान दिया इस सदन के सामने उसमें बड़ी होशियारी के साथ वह बच कर निकल गये। उन्होंने कहा कि हम द्विभाषी राज्य नहीं चाहते। आज उर्दू वालों की मांग है कि इस प्रदेश की क्षेत्रीय भाषा उर्दू बने। लेकिन उन्होंने उर्दू के मामले में बहानेबाजी करने की बड़ी चर्चा की। जब उन से एक माननीय सदस्य ने यह सवाल पूछा कि उर्दू को वह क्षेत्रीय भाषा के रूप में चाहते हैं या नहीं तो उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। उर्दू को दूसरी जबान के मामले में कोई शिकवा नहीं है। आज उर्दू को इस सरकार ने ज्यादा तरक्की दी और मैं कहना चाहता हूं कि इन से कई गुना आगे बढ़ाया। आज उर्दू के मामले में हम ने एक कमेटी की घोषणा की। वह इस बात के लिए कि जिस तरह उर्दू को कार्यक्रमों के बावजूद बीस साल के दौरान में प्रतिष्ठित नहीं किया मौजूदा सरकार उसे करना चाहती है। आज हम ने उर्दू में भी गजट छापने का फैसला किया। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उर्दू में गजट छापने का फैसला नहीं किया था। आज हमने इस बात का भी फैसला किया कि जिन जिलों में १५ फी सदी या उस से ऊपर मुस्लिम आबादी है वहां हम उर्दू को वही सुविधायें देना चाहते हैं जो उसे प्राप्त थीं ....

श्री जियाउर्रहमान (जिला उन्नाव)—

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। मुख्य मन्त्री जी ने जो बात कही थी वह तो यह थी कि १५ फी सदी से ज्यादा उर्दू जानने वालों की जहां तादाद है और माननीय मन्त्री जी कह रहे हैं कि १५ फी सदी से ज्यादा जहां मुस्लिम आबादी है। तो यह तो उर्दू को एक तबके की जबान बनाया जा रहा है।

श्री प्रभुनारायण सिंह—

हमारे माननीय दोस्त ने जो एक बात मेरी जबान से निकल गयी उसका सुधार कर दिया इसके लिए मैं बड़ा आभारी हूं। मेरा मतलब था १५ फी सदी या उस से ज्यादा जहां उर्दू जानने वालों की आबादी है वहां की जो स्थिति शहरों में थी, वही व्यवस्था अब देहातों में कर दी गयी है। लेकिन यह इस सरकार ने किया, आप की सरकार ने नहीं किया। आप की सरकार ने उर्दू में गजट छापने का फैसला नहीं किया। माननीय गुप्ता जी ने बहुत दरपेश आकर माना कि उर्दू के साथ जो उन की हमदर्दी थी वह मुख्य मन्त्री होने पर वे नहीं कर पाए लेकिन आज उर्दू की उन्हें बड़ी हमदर्दी है।

मान्यवर, इस सिलसिले में मैं कहना चाहता हूं कि हमारे ऐसे लोग अंग्रेजी के दुश्मन हैं और हम चाहते हैं कि सार्वजनिक जीवन से अंग्रेजी का बहिष्कार हो, सार्वजनिक जीवन में अंग्रेजी न चले। हमारा शासन लोकभाषा में चले। हम हिन्दी और उर्दू दोनों को एक बहन के रिश्ते की तरह चलाना चाहते हैं। अंग्रेजी का खात्मा करने के लिए हम हिन्दी और उर्दू को एक साथ खड़ा करना चाहते हैं। हमारे लायक दोस्तों ने जिन्होंने लार्ड क्लाइव ऐसे लोगों से विरासत में राज्य पाया वे अंग्रेजी को न भुला कर अंग्रेजों के साथ बड़ी हमदर्दी करते हैं, लेकिन हमारे साथी लोग जो इधर और उधर बैठे हुये हैं वे अंग्रेजी का सार्वजनिक प्रयोग खतम करना चाहते हैं और हिन्दी और उर्दू को एक दर्जा देना चाहते हैं। हिन्दुस्तान का शासन हम लोक भाषा में चलाना चाहते हैं। जिस लोकभाषा को आप ने कैद कर रखा है, जिस लोकशाही के कारण आप को अंग्रेजों से शासन मिला।... (व्यवधान)

श्री जियाउर्रहमान--

श्रीमन्, एक बात आप सुन लें। ये अंग्रेजी और उर्दू दोनों को निकालना चाहते हैं। इन से कह दें कि वे अपनी जबान पर काबू रखें।

(व्यवधान)

श्री प्रभुनारायण सिंह--

हमारे दोस्तों को बड़ा दर्द है, लेकिन लोक भाषा को प्रतिष्ठित करने के लिए उन लोगों ने कुछ नहीं किया। इधर और उधर बठने वाले सैकड़ों सदस्य ह जो लोकभाषा के लिए आप के जेलखानों में कैद रहे.....

श्री अध्यक्ष--

माननीय मन्त्री जी, अब ऐसा है कि आप २०-२५ मिनट ले चुके हैं, तो अब आप और कितना समय लेंगे ?

श्री प्रभुनारायण सिंह--

श्रीमन्, इन्टरप्शन्स बहुत हुये हैं। १० मिनट का समय तो इसी में निकल गया।

श्री अध्यक्ष--

तो १० मिनट अब आप कल बोल लेंगे। अभी यह समाप्त किया जाय।

आर्य कन्या इण्टर कालेज, जिला बरेली के अनिश्चित काल के लिए बन्द करा दिए जाने के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष--

मुझ आज कई सूचनायें नियम ५१ के अन्तर्गत प्राप्त हुई हैं। माननीय हरीश कुमार गंगवार की सूचना को मैं ने वक्तव्य के लिए स्वीकार किया था जिस पर कल वक्तव्य होगा।

अनशनकारी महिला कर्मचारियों के आत्मदाह करने के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--

एक सूचना मैंने कल माननीय कृष्णानन्द राय जी की वक्तव्य के लिए स्वीकार की थी। जो इस प्रकार है--

"मैं मुख्य मन्त्री महोदय का ध्यान नियम ५१ के अन्तर्गत अनशनकारी महिला सरकारी कर्मचारियों के उस संकल्प की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जिसके अनुसार यदि आज दिनांक २५-७-६७ तक उनकी मांगें न पूरी की गयीं तो वे सार्वजनिक स्थान पर आत्मदाह की प्रक्रिया आरम्भ करेंगी। यह एक अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है क्योंकि यदि आज सरकार ने कोई सहानुभूति का कदम न उठाया तो इसके भयंकर परिणाम होंगे।

अतः मुख्य मन्त्री जी का वक्तव्य इस सम्बन्ध में अत्यन्त आवश्यक है।"

मैंने कल इस पर वक्तव्य के लिए अनुमति दी थी। तो माननीय मुख्य मन्त्री जी या माननीय गृह मन्त्री जी इस पर वक्तव्य देने के लिए तैयार हैं आज ?

मुझे कल बतलाया गया था कि आप तक सूचना नहीं पहुंची थी।

गृह उप मन्त्री (श्री रुस्तम सैटिन)—

श्रीमन्, मुझे कोई सूचना नहीं मिली है ।

श्री अध्यक्ष—

सूचना तो आप तक पहुंच चुकी है ।

श्री रुस्तम सैटिन—

मुख्य मन्त्री जी तक पहुंची होगी ।

श्री अध्यक्ष—

आपको भी मैं मुख्य मन्त्री ही समझता हूं । तो कल इस पर वक्तव्य होगा ।

श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, यह सवाल लगातार डेढ़ महीने से उठ रहा है और सिर्फ वक्तव्य हो जाता है । हम लोगों को सवाल वगैरह करने का कोई मौका नहीं मिलता । हमारी महिलायें अनशन करते हुये जेलखाने चली जा रही हैं और आज आत्मदाह की परिस्थिति पैदा हो गयी है और मन्त्रिगण सिर्फ बयान देकर चले जाते हैं । इससे समस्या का कोई हल नहीं निकलता है और न इस से सदन को सन्तोष होगा । इसलिए आप पूरा वक्तव्य दिलाने का मौका दें और हम लोगों को सवाल करने का भी मौका दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

ऐसा है कि आज अविश्वास का प्रस्ताव चल रहा है और यह कल तक चलेगा । इसमें आपको अधिकार है कि जितनी चर्चा चाहें करें, जितनी आलोचना करना चाहें करें । समय समय पर ऐसा होता रहा है और आज भी चर्चा हुई है । आप कल वक्तव्य दे देंगे ।

श्री रुस्तम सैटिन—

जी हां ।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, कल वक्तव्य हो जायेगा ।

आर्य कन्या इण्टर कालेज, जिला, बरेली के अनिश्चित काल के लिए बन्द करा दिये जाने के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—

दूसरी सूचना माननीय हरीश कुमार गंगवार बरेली की है । वह इस प्रकार है—

"बरेली का ६० वर्ष पुराना आर्य कन्या इण्टर कालेज, मूड़ मंडलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका द्वारा १९ जुलाई, १९६७, से अनिश्चित काल के लिए बन्द कर दिया गया है । इसके बालिकाओं व उनके अभिभावकों में तीव्र असंतोष व अनिश्चितता का वातावरण व्याप्त हो गया है ।

इस बालिका विद्यालय के चारों ओर जमानत पर छूटे हुये गुंडे गिरोह बनाकर पहरा दे रहे हैं । अतः नगर में तीव्र बेचैनी फैल गई है । पुलिस को सूचना दिये जाने पर भी किसी प्रकार का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है । अतः बालिकाओं का जीवन खतरे में पड़ गया है ।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ।"

शिक्षा उप मंत्री (श्री अनन्तराम जायसवाल)—

माननीय, आपके आदेश थोड़ी देर पहले प्राप्त हुये। मैं कोशिश करूंगा कि सूचना प्राप्त होते ही वक्तव्य दे दिया जाय।

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)—

माननीय, वहां स्थिति बड़ी विचित्र हो गई है और हजारों कन्यायों का सवाल है। मंत्री जी कल वक्तव्य दे दें तो बहुत अच्छा हो।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, कल तो वक्तव्य देना ही होगा। मैंने सूचना यथासमय भेज दी थी और घण्टे भर पहले इसका जिक्र भी आ गया था। मुख्य मंत्री भी वक्तव्य दे रहे हैं; आप भी कल दे दें।

छितौनी बांध के कट जाने के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत सिंचाई मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

छितौनी बांध कट जाने के संबंध में श्री दशरथ, श्री राजाराम पांडेय तथा श्री रामायण राय द्वारा नियम ५१ के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य होगा।

श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, देवरिया जिले के गौरीबाजार इलाके में नकद दाम पर भी कृषि विभाग के अधिकारी खाद नहीं दे रहे हैं। यह गौरी बाजार रबी और खरीफ की पैदावार में अपना सानी नहीं रखता।

श्री अध्यक्ष—

आपने कब दिया था ? आप तो भाषण कर रहे हैं।

श्री चन्द्रबली—

कल दिया था।

श्री अध्यक्ष—

मैंने उसको अस्वीकार कर दिया और जो अन्य आये उनमें से मैंने स्वीकार किया था। माननीय कृष्णानन्द राय जी का कल का है और गंगवार जी का आज का है।

श्री चन्द्रबली—

आपने अस्वीकार कर दिया है उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि इसमें किसानों की रोजी रोटी का सवाल है। इसलिए माननीय मंत्री जी आदेश दे दें कि नकद दाम पर खाद खरीदने में बाधा न पड़े।

श्री अध्यक्ष—

आप मुझे लिखकर भेज दें। मैं मंत्री जी के पास इस आग्रह के साथ भेज दूंगा कि वह समुचित कार्यवाही करें।

श्री रामप्रकाश त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद)—

मैंने १८ तारीख को नियम ५२ में दिया था।

श्री अध्यक्ष—

आज कौन सी तारीख है?

श्री रामप्रकाश त्रिपाठी—

वक्तव्य के लिए कहा गया था लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। एक सेंटर की कापियां कम हैं। उसम बहुत से विद्यार्थियों का सवाल है।

श्री अध्यक्ष—

मैं समझता हूं कि कुछ गलतफहमी है। मैंने कार्यालय को आदेश दे दिए हैं, वह देख लें और कल प्रातः आप मुझसे मिल लें।

सिंचाई मंत्री (श्री टम्बरेश्वर प्रसाद)—

पुराने मदनपुर गांव के दक्षिण की तरफ अवश्य थोड़ा कटाव है परन्तु यह मामूली कटाव नदी के करवेचर को नम्र करन के लिए हो रहा है। इससे वर्तमान छितौनी गांव मैंडिहारी से पडरौना सेवाही तक के गांवों को कोई आशंका नहीं है।

पुरानी मिट्टी की ठोकर को यदि न काटा जाय तो उसके कारण जो नई ठोकरें बनी हैं उनकी वजह से जो बाढ़ का प्रभाव नई ठोकर के ऊपर होना चाहिए उसमें कुछ विघ्न हो सकता है। जब रुड़की में बाढ़ का प्रभाव माडल पर देखा गया था तो उसमें मिट्टी के ठोकरों को नहीं रखा गया था। जब रुड़की अनुसंधानशाला के निदेशक मौके पर हाल ही में जुलाई का निरीक्षण करने के लिए गये तो उन्होंने आदेश दिये थे कि इन मिट्टी के ठोकरों को हटाना उचित होगा। इन ठोकरों को हटाने से नये पक्के ठोकरों अथवा नये बांध पर कोई असर नहीं होगा।

भंडीहारीवागा का काफी भाग रिंग बांध व नदी के बीच में स्थित है। यह भाग पिछले वर्ष की बाढ़ में कट गया था। उसका जो भाग रिंग बांध के दक्षिण की ओर है उसको कोई खतरा नहीं है।

छितौनी रेलवे स्टेशन के पास बुलहवा ग्राम में अवश्य ४ लाख क्यूसेक की बाढ़ आ जाने के कारण पानी निचल हिस्सों में आ गया था। यह स्थिति कई वर्षों से चली आ रही है।

श्री राजाराम पांडेय (जिला देवरिया)—

मंत्री जी ने यह बताया कि कटाव है लेकिन थोड़ा है। कटाव बहुत बड़ा है। क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस कटाव से बड़ी गंडक नहर जो थोड़ी बच गई है इस कटाव से बड़ी गंडक में पानी आ जायगा तो पडरौना, छितौनी को खतरा कैसे नहीं पहुंचेगा?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

माननीय सदस्य ने जो सूचना मांगी दी। जो अंतिम सूचना आयी है वह इस प्रकार है कि गंडक नदी की सतह १० जुलाई से चार फीट कम हो गयी है। छितौनी बांध सुरक्षित है। चार फीट सतह गिरने के पहले खतरा नहीं था तो अब प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री दशरथ (जिला देवरिया)—

क्या माननीय मंत्री जी बताएगें कि जब नहर पर कोई खतरा नहीं है तो बसुली नाला से बंजारी तक जगह-जगह नहर को क्यों बांध दिया गया है?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य कोई नया प्रश्न कर रहे है। बांध से नहर दूरी पर है जब तक बांध सुरक्षित है तब तक उसके पीछे सुरक्षा का प्रश्न उठता नहीं।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

जिस समय यह प्रश्न प्रेषित किया गया था उसके दूसरे दिन मंत्री जी वायुयान से निरीक्षण करने गये थे। यदि धरातल से देखने का उन्होंने प्रयास किया होता तो मालूम होता कि जो दो नयी ठोकरें बनायी गयी हैं इनके दोनों तरफ पानी का बहाव हो रहा है। मैं बता दूं एक बड़ी नदी है। उससे थोड़ी दूर पर गंडक नहर है। उसके आसपास बगीचा आधा कट चुका है। आशंका यह है कि नहर का पानी चला जायेगा और बड़ी नदी देवरिया में प्रवाहित होने लगेगी। पुरानी ठोकर को हटा देने के बाद पानी का प्रवाह जिस तरह हो रहा है उससे देवरिया जिले को क्षति न पहुंचे, क्या इसके लिए माननीय मंत्री सदन को आश्वासन देने की कृपा करेंगे ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य कुछ भ्रम में हैं। जो नयी ठोकर बनायी गयी है इसीलिए बनायी गयी है कि रिंग बांध के पहले ही धारा का प्रभाव दूसरी तरफ मोड़ा जा चुका है। जो चीज कटी जा रही है दरअसल वह उस बांध का पुराना हिस्सा है जो मिट्टी के ठोकर के रूप में काम करता था। जिससे धारा रुकती थी, उस ठोकर का प्रभाव पूर्ण है। यह बात ठीक है कि जल की सतह हर स्थान पर जहां पहुंच सकती है ऊंची और नीची हो जाती है, लेकिन उसके वेग का प्रभाव बांध पर नहीं है।

श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जैसी माननीय सदस्य आशंका कर रहे हैं, उस हिसाब से नहर के ठीक सामने कटाव हो रहा है या नहीं ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

जो मैंने देखा भी है और जैसी मेरी सूचना भी है कि नहर से जितनी दूरी पर नदी पहले थी उतनी ही दूरी पर अब है और बीच में बांध है। तो मैं नहीं समझता हूं कि उसकी सुरक्षा के लिए जब यह सब बांध बनाये जा रहे हैं तो ऐसी क्या आशंका है ? कोई विशेष दुर्दिन आये तो बात ही दूसरी है। नदी कब किधर जायेगी, यह किसी को पता नहीं, लेकिन उसकी कुल धारा का हिसाब रखते हुये सरकार पूरी तरह से जागरूक है और जो कदम हमने उठाये हैं, मैं समझता हूं वे ठीक हैं।

श्री राम नरेश पांडेय (जिला देवरिया)—

इस समय मेड़िहारी गांव के पास जो दो ठोकरें दो करोड़ की लागत की बनी हैं, तो मैं उसके संबंध में सूचना चाहता हूं कि गत वर्ष जब गण्डक नदी में भयंकर बाढ़ आयी थी, उस समय वहां से नदी कितनी दूर थी और इस वर्ष नदी नहर से कितनी दूर रह गयी है ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

मैंने बताया कि हमने एक रिटायर्ड बांध बनाया है। यों तो यह नहर मीलों लम्बी है और हम तो केवल उस भाग का जवाब दे रहे हैं जहां हमारा बांध है, जहां हमारा स्पर है और उसी बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। अगर उसकी ७० मील की लम्बाई के बारे में कोई प्रश्न पूछा जा रहा है तो उसके लिए मुझे सूचना की आवश्यकता होगी। यदि उसी स्थान का जिक्र माननीय सदस्य कर रहे हैं तो नदी उतनी ही दूर अब भी है जितनी गत वर्ष थी।

श्री अयोध्या प्रसाद आर्य (जिला देवरिया)—

माननीय सिंचाई मंत्री जी ने ठीक ही कहा है कि नदी के प्रवाह को कौन रोक सकेगा, कब किधर चली जाय। किन्तु जिस तीव्र गति से पानी का बहाव हो रहा है, उससे देवरिया जनपद के बाढ़ से ग्रसित हो जाने का भारी खतरा पैदा हो जायगा। उसको रोकने के लिए क्या माननीय मंत्री जी कोई उपाय करेंगे या वैसे ही रहने देंगे ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद–

• माननीय सदस्य किस बात की आशंका प्रकट कर रहे हैं ? जब मैं मंत्री हुआ तो नहर खुदी पड़ी थी और उसको रोकने की दृष्टि से ही रिटायर्ड बांध बनवाया गया और रेलवे लाइन की भी सुरक्षा की गई। मैं समझता हूं, करोड़ों रुपया जो हमारा खर्च हो चुका है, अब उसको हटाने का प्रश्न नहीं उठता। उसकी सुरक्षा का बराबर प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध की किसी भी समय किसी मेंबर को यदि कोई सूचना मिले तो हमें सूचित कर सकते हैं, मैं तुरन्त पूरा ध्यान दूंगा। नहर खुद चुकी है, दोनों ओर मिट्टी पड़ी हुई है।

श्री रामनरेश त्रिपाठी––

खड्डा के आगे जो छितौनी बांध है, लगातार कटाव के कारण छितौनी बांध तो रुद्ध हो गया है, जो रेलवे लाइन कट चुकी है, उसके आगे से घूमकर पानी हमारे जनपद में गिर रहा है। उसका पानी बुलाहवा और दूसरे गांवों में प्रवेश कर रहा है, उसको रोकने का आप क्या प्रयास कर रहे हैं ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद––

जब नदी का जलस्तर ऊंचा होता है तो नदी में जो नाले जाकर मिलते हैं उसमें जल भर जाता है और जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि पुलहा के नीचे नदी का जल भर गया, लेकिन तत्काल रूप से वह न ऊंचा किया जा सकता है और न नदी का स्तर ही उठाया जा सकता है। आगे के लिए जब माननीय सदस्य मेरे साथ चलेंगे और देखेंगे कि क्या किया जा सकता है।

श्री राजाराम––

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि बराबर हर साल यह गड़बड़ रही है और इस साल भी कटाव है जैसा उन्होंने माना भी है, एक जगह कलन ही जंगल की है और उसमें गहन घाट पर दो धारायें बनती हैं। एक तो ठोकर और उसके पास के गांव को छूती है और दूसरी उत्तर की तरफ से जाती है। तो क्या घाट पर कोई ठोकर जो पहले बनाने की योजना थी उसे कार्यान्वित किया जायगा जिससे नदी की धारा उत्तर की तरफ मुड़ जाय जिससे यह धारा गांव की तरफ को आये ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद––

जो ठोकरे इस समय बनीं हैं उनके अलावा कुछ ठोकरें बनाये जाने का प्रस्ताव है लेकिन मैं निश्चित रूप से इस समय नहीं बता सकता कि यह वही वाला है जो माननीय सदस्य कह रहे हैं या दूसरा वाला है और यदि माननीय सदस्य चाहेंगे तो मैं उन्हें निजी रूप से वह जानकारी सदन के बाहर भी दे दूंगा।

श्री दशरथ––

माननीय मंत्री जी यहां सूचना अपने इंजीनियरों के आधार पर देते हैं जैसी कि पुराने जमाने से सूचना मिलती रही है, लेकिन मंत्री जी को स्वतः ज्ञान नहीं है। वह मदनपुर गांव था वह पिछले साल ही कटाव में चला गया। क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि उनके इंजीनियर लोग सही बात को इसलिए छिपाना चाहते हैं कि वहां कई लाख के पत्थर बोल्डर्स रखे हुए हैं और जिससे कटाव के बहाने वह गड़बड़झाले में डालना चाहते हैं।

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद––

अब माननीय सदस्य ने पता नहीं क्यों यह जानकारी अपने पास रखी वरना जब मैं गया था तो देखता। यह ठीक है, मुझे जो सूचना इंजीनियर देते हैं वह इस जिम्मेदारी को समझ कर देते हैं कि जो बांध वह बनाते हैं उसकी रक्षा की जिम्मेदारी उन पर हमसे ज्यादा है। यह निश्चित है कि टेक्नीकल दृष्टि से तो मैं इतना जानकार नहीं हो सकता और जो जानकारी रखते

थे उनके जमाने में जो हुआ उसे क्या कहा जाय और बिना जानकारी रखे हुये यह बांध इतना सुरक्षित चल रहा है यह तो भगवान की मुझ पर कृपा है ।

श्री राजा राम—

क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि जो बोल्डर्स वहां पड़े हुये हैं और उनकी जगह पर वहां ईटें डाली गयीं, ईटें प्रथम श्रेणी की खरीदी गयीं थीं लेकिन द्वितीय और तृतीय श्रेणी की ईटें लगीं और पेमेंट प्रथम श्रेणी की ईटों का दिया गया है और साथ ही सीमेंट और बालू का मिश्रण जो १ और ३ के रेश्यों से होना चाहिए था वह १ और १० और कहीं पर १ और १२ के रेश्यो पर हुआ है जिससे नहर को भी खतरा है और बाढ़ की वजह से नदी के किनारे को भी खतरा है ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

इसे बिलकुल सही मानता हूं जो माननीय सदस्य को सूचना है, लेकिन मैं समझता हूं अव्वल, दोयम या सोयम जो भी वहां लगी हैं उसकी जानकारी करने का अवसर है। मैं अपने माननीय मित्र को दावत देता हूं कि सदन समाप्त होने के बाद वह समय निश्चित कर लें और वहां साथ चलें। तो सब स्थिति मालूम हो जायगी ।

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और ११ बजे कल बैठेंगे ।

(इसके बाद ५ बजे सदन अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
२६ जुलाई, १९६७ ।

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३८ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७०९ पर]

राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माणशाला, उत्तर प्रदेश लखनऊ के दैनिक श्रमिकों की सूची

क्र० सं०	नाम कर्मचारी	नियुक्ति तिथि	दैनिक पारिश्रमिक	कार्यकाल
१	२	३	४	५
१	श्री मेवालाल ..	२१-१२-५१	२.५०	१६ वर्ष ६ माह
२	श्री लालता प्रसाद ..	१८-२-५२	२.५०	१५ वर्ष ५ माह
३	श्री रमजान अली ..	२७-५-५२	२.५०	१५ वर्ष २ माह
४	श्री हरिभजन ..	१-७-५२	२.५०	१५ वर्ष
५	श्री जगन्नाथ शुक्ल ..	१७-१२-५२	२.५०	१४ वर्ष ५ माह
६	श्री अब्दुल हाफिज ..	१९-६-५३	२.५०	१४ वर्ष
७	श्री राम अवतार ..	४-६-५४	२.५०	१३ वर्ष
८	श्री यूसुफ अली ..	१६-६-५४	२.५०	१३ वर्ष
९	श्री अली अब्बास ..	४-१-५५	२.५०	१२ वर्ष ६ माह
१०	श्री छेदी ..	४-१-५५	२.५०	१६ वर्ष ६ माह
११	श्री शिवरतन तिवारी	११-७-५५	२.५०	१२ वर्ष
१२	श्री जगजीवन ..	२४-१०-५५	२.५०	११ वर्ष ९ माह
१३	श्री ईश्वरी ..	२८-१०-५५	२.५०	११ वर्ष ९ माह
१४	श्री राजनारायण त्रिवेदी	१३-२-५९	३.००	८ वर्ष ५ माह
१५	श्री मिठाई लाल ..	१२-१०-५४	२.५०	१२ वर्ष ९ माह
१६	श्री भोखा ..	२-११-६१	२.५०	५ वर्ष ४ माह
१७	श्री गंगाराम ..	२-११-६१	२.५०	५ वर्ष ४ माह
१८	श्री भगवती ..	३-११-६१	२.५०	५ वर्ष ४ माह
१९	श्री रसूल खां ..	३-११-६१	२.५०	४ वर्ष ५ माह
२०	श्री हरीप्रसाद ..	६-११-६१	२.५०	५ वर्ष ४ माह
२१	श्री सुना लाल ..	१५-११-६१	२.००	५ वर्ष ४ माह
२२	श्री जगदेव सिंह ..	२-१२-६१	२.००	५ वर्ष ७ माह
२३	श्री महावीर ..	२-१२-६१	२.००	५ वर्ष ७ माह
२४	श्री कल्लुराम यादव ..	२-१२-६१	२.००	५ वर्ष ७ माह
२५	श्री जाकिर हुसैन ..	१७-४-६१	४.५०	५ वर्ष ३ माह

क्र० सं०	नाम कर्मचारी	नियुक्ति तिथि	दैनिक पारिश्रमिक	कार्यकाल
१	२	३	४	५
२६	श्री राम प्रसाद ..	३–५–६२	२.००	५ वर्ष २ माह
२७	श्री विपत ..	३–५–६२	२.५०	५ वर्ष २ माह
२८	श्री महादेव ..	१–१०–६२	२.००	४ वर्ष ९ माह
२९	श्री अगन्त राम ..	३–१२–६२	२.००	४ वर्ष ७ माह
३०	श्री गोकरन ..	२१–१–६३	३.००	४ वर्ष ६ माह
३१	श्री शिवराम ..	१३–३–६३	२.००	४ वर्ष ४ माह
३२	श्री अनोखे लाल ..	१९–१–६३	२.००	४ वर्ष ६ माह
३३	श्री सत्य नारायण ..	७–५–६३	२.५०	४ वर्ष २ माह
३४	श्री रविशंकर सिंह ..	१५–७–६३	४.००	४ वर्ष
३५	श्री सीताराम ..	६–५–६४	२.५०	३ वर्ष २ माह
३६	श्री शोभनाथ अवस्थी	२०–६–६४	३.००	३ वर्ष
३७	श्री मैव लाल नं० २	२५–६–६४	२.००	३ वर्ष
३८	श्री हरि प्रकाश राठौर	१३–१–६५	३.००	२ वर्ष ६ माह
३९	श्री राम औतार दुबे	८–२–६५	२.००	२ वर्ष ५ माह
४०	श्री मु० शेरा ..	७–८–६२	२.५०	४ वर्ष ११ माह
४१	श्री सालिग राम नं० १	१०–८–६५	२.००	१ वर्ष ११ माह
४२	श्री सीताराम कहार	२१–९–६२	२.५०	४ वर्ष १० माह
४३	श्री लड्डन ..	७–१–६५	२.००	२ वर्ष ६ माह
४४	श्री जहूर अहमद ..	६–१०–६५	२.००	१ वर्ष ९ माह
४५	श्री राम दत्त ..	२०–१०–६५	२.००	१ वर्ष ९ माह
४६	श्री बंशीधर ..	२१–१०–६५	२.००	१ वर्ष ९ माह
४७	श्री शम्भू रतन ..	८–११–६५	२.५०	१ वर्ष ८ माह
४८	श्री कल्लू राम नं० २	८–११–६५	२.००	१ वर्ष ८ माह
४९	श्री गुरू प्रसाद ..	८–११–६५	२.००	१ वर्ष ८ माह
५०	श्री मोहन लाल ..	२२–६–६४	२.००	३ वर्ष
५१	श्री मुन्नी लाल ..	८–११–६५	२.००	१ वर्ष ८ माह
५२	श्री जानूनाथ कहार ..	१८–११–६५	२.००	१ वर्ष ८ माह
५३	श्री शिवकुमार ..	१–१२–६५	२.००	१ वर्ष ७ माह
५४	श्री मो० असफाक ..	११–११–६५	२.००	१ वर्ष ८ माह
५५	श्री जनार्दन शुक्ला ..	७–१–६६	२.००	१ वर्ष ६ माह
५६	श्री माजिद अली ..	११–१–६६	२.००	१ वर्ष ६ माह

क्र० सं०	नाम कर्मचारी	नियुक्ति तिथि	दैनिक पारिश्रमिक	कार्यकाल
१	२	३	४	५
५७	श्री विद्या सागर ..	४–२–६६	२.००	१ वर्ष ५ माह
५८	श्री अयोध्या प्रसाद ..	१७–३–६६	२.००	१ वर्ष ४ माह
५९	श्री राम सिंह ..	२७–४–६६	२.००	१ वर्ष ३ माह
६०	श्री दीन दयाल ..	२९–४–६६	३.००	१ वर्ष ३ माह
६१	श्री डाम्बर बहादुर ..	१२–५–६६	२.००	१ वर्ष २ माह
६२	श्री सालिग राम नं० २	२–६–६६	२.००	१ वर्ष १ माह
६३	श्री तसद्दीकुल हसन ..	१४–६–६६	२.००	१ वर्ष १ माह
६४	श्री पुत्ती लाल ..	१६–६–६६	२.००	१ वर्ष १ माह
६५	श्री नवमी लाल ..	८–७–६६	२.००	१ वर्ष
६६	श्री महेश प्रसाद ..	८–७–६६	२.००	१ वर्ष
६७	श्री महेश प्रसाद जोशी	२१–११–६६	२.००	८ माह
६८	श्री शिव लाल ..	४–२–६७	१.५०	५ माह
६९	श्री चन्द्र मोहन तिवारी	६–३–६७	१.५०	४ माह
७०	श्री मो० फारूक हुसैन	६–३–६७	१.५०	४ माह
७१	श्री सुभाषचन्द्र निझावन	८–३–६७	२.००	४ माह
७२	श्री राम प्रताप सिंह ..	९–३–६७	१.५०	४ माह
७३	श्री शिव दत्त ..	९–३–६७	१.५०	४ माह
७४	श्री सुन्दर लाल ..	१०–३–६७	१.५०	४ माह
७५	श्री जगन्नाथ पाल ..	१३–३–६७	१.५०	४ माह
७६	श्री लोकई ..	१३–३–६७	१.५०	४ माह
७७	श्री इम्माद हुसैन ..	१३–३–६७	१.५०	४ माह
७८	श्री अजमद बेग ..	१३–३–६७	१.५०	४ माह
७९	श्री नसीरू अहमद ..	१३–३–६७	१.५०	४ माह
८०	श्री पूरण प्रसाद शर्मा	३१–३–६७	१.५०	३ माह १३ दिन
८१	श्री कृपा शरण द्विवेदी	२८–४–६७	२.००	३ माह १५ दिन
८२	श्री मकर बहादुर ..	३–५–६७	१.५०	२ माह १० दिन
८३	श्री शत्रुहन लाल ..	२८–६–६७	१.५०	१६ दिन

नत्थी 'ख'

(देखिए पीछे पृष्ठ ७४४ पर)

अनुदान संख्या ४—बिक्रीकर के अन्तर्गत कटौती के प्रस्ताव जो प्रस्तुत किए हुए माने गये

क्रम-संख्या	प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का रूप
१	श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—(१) बिक्री-कर की नीतियों में सुधार हेतु कानून में आमूल सुधार तथा संशोधन करना। (२) बिक्री कर से बकाये की रकम को वसूली करने हेतु प्रभावकारी कदम उठाना। (३) बिक्री-कर से सम्बन्धित अन्य महत्वपूर्ण नीतियों के सम्बन्ध में चर्चा करना तथा सुझाव देना। (२) व्यापारी वर्ग से बिक्री-कर प्रभावकारी ढंग से वसूल करने व उन्हें राहत देने पर विचार।
२	श्री लालन शर्मा ..	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना एवं सुझाव।
३	श्री प्रेम दत्त ..	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—सरकार की वर्तमान दोष पूर्ण नीति की आलोचना करना एवं सुझाव देना।
४	श्री अयोध्या प्रसाद आर्य ..	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभाग की नीति की आलोचना करना और सुझाव देना।
५	श्री चन्द्रावली सिंह ..	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—नीति की आलोचना करना और सुझाव देना।
६	श्री नौनिहाल सिंह ..	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में एक रुपये की कमी की जाय। कमी करने का उद्देश्य—सामान्य चर्चा एवं सुझाव।
७	श्री चन्द्र बली सिंह ..	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय। कमी करने का उद्देश्य—(१) गोरखपुर के बिक्री-कर उप-कमिश्नर के स्थाई न्यायालय को तोड़ने की आलोचना करना और उसे न तोड़ने का सुझाव देना। (२) होटल हलवाइयों के माल पर लगे बिक्री-कर को हटाने का सुझाव देना।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ८२ एल० ए०—१९६७—८४६।